राजस्थान विधान सभा

एकादशः बैठक, वृहस्पतिवार, दिनांक २४ अक्तूबर, १६५६

**विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर
में प्रातः ११ बज कर १६ मिनिट पर प्रारम्भ हुई**

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २०२

तहसील दूणी (जिला टोंक) में २८-८-५६ को सरपंच व कामदार ठिकाना की गिरफ्तारी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि तहसील दूणी, जिला टोंक में दिनांक २८-८-'५६ को सरपंच व कामदार ठिकाना वगैरह गिरफ्तार किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो किस जुर्म के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था ?

(ग) उपरोक्त व्यक्तियों की क्या क्या उम्र थी और अब सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी हां।

(ख) (ग) उन आदमियों के नाम निम्न लिखित हैं :—

नाम	आयु
श्री मदनलाल	३० वर्ष
श्री धर्मचन्द	२४ वर्ष
श्री लाडूलाल	३२ वर्ष
श्री रतनलाल	३० वर्ष
श्री गंभीरमल	२५ वर्ष
श्री गुलाब चन्द	५५ वर्ष
श्री नानूलाल	३२ वर्ष

इन व्यक्तियों को भारतीय दण्ड विधि संग्रह की धारा ११४ के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया। मामला अदालत के विचाराधीन है।

Page No 2

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या मन्त्री महोदय यह बतावेंगे कि गुलाबचन्द कोठारी, कामदार भी गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसमें गुलाबचन्द ५५ साल का है, उसको गिरफ्तार किया गया है।

श्री सरदारसिंह—यह सरपंच की कैपेसिटी में गिरफ्तार किया गया या किस कैपेसिटी में गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया कि गुलाबचन्द नाम के व्यक्ति को जो ५५ साल का है उसे गिरफ्तार किया गया है। अब वह सरपंच है या ठिकाने का कामदार है, यह मुझे पता नहीं।

श्री सरदारसिंह—मैं मन्त्रीजी की जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं कि गुलाबचन्द कोठारी ५५ वर्ष के नहीं हैं, बल्कि ७८ वर्ष के हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—होगें। पर मेरी जानकारी के अनुसार तो जो था वह मैंने अर्ज किया।

श्री सरदारसिंह—इसके मुतल्लिक क्या आपने चीफ पंचायत ऑफिसर से राय ली कि सरपंच गिरफ्तार किया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह कोई जरूरी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०३

श्री कुम्भाराम के खेत में कार्य करने के लिये कृषि विभाग द्वारा ट्रेक्टर भेजना एवं उनसे खर्च की वसूली

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Agriculture be pleased to state :—

(*a*) Did the Agriculture Department send its tractor (D4) for work at Shri Kumbharam's farm ? If so, on what dates ?

(*b*) For how many hours did the tractor work at that farm ?

(*c*) When was Shri Kumbharam's application received and the job opened ?

(*d*) Was any estimate made ? If not, why not ?

(*e*) Was the applicant intimated to deposit the required amount ? If not, why not ?

(*f*) Has any bill in respect of these services been prepared ? If so, on what date was the bill despatched and when payment thereof received ?

श्री खेतसिंह (उप मन्त्री)—(*a*) Yes. D4 Tractor was sent to Shri Kumbharam's farm for work and it was sent on 1-7-55.

[श्री खेतसिंह]

(*b*) The tractor worked for 71 hours at the farm.

(*c*) The application was received the day before the work was started.

(*d*) The job was opened on the day the work was started. A bill was to be prepared according to the work done as usual.

(*e*) The consumable articles were agreed to be supplied by the party.

(*f*) Yes. A bill for Rs. 350/7/- was prepared on 4-11-55 and was paid by the party on 26-12-55.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Is it the procedure of the Department to ask for deposit of the amount estimated and then open the job or it is the other way round ?

श्री खेतसिंह—हां, डिपार्टमेन्ट पहले डिपोजिट लेता है और इसके बाद में जोब ओपन करते हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इस पर्टिक्यूलर केस में जोब वर्क डिपोजिट मिलने के बाद खोला गया या पहले ?

श्री खेतसिंह--इस मामले में पार्टी ने एग्री कर लिया था कि हम इसका ओइल वगैरह यहीं से दे देगें, उस हालत में डिपोजिट नहीं लिया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस जोब के खोलने के पहले इसका एस्टीमेट बना लिया गया था ?

श्री खेतसिंह--किस बारे का एस्टीमेट ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--Estimate for the probable expenditure involved; जैसा डिपार्टमेन्ट में प्रोसीजर है बनाने का ।

श्री खेतसिंह—प्रोसीजर तो यह है कि जोब खोलने के पहले एडवांस लेते हैं पर उस हालत में जब कि पार्टी तेल वगैरह देने की बात एक्सेप्ट नहीं करती है, कन्जूम करने का पैसा देंगे या नहीं। तो जब पार्टी ने इस हालत में यह लिखकर दे दिया था कि जो ओइल वगैरह कन्जूम होगा वह देगी तो फिर एडवांन्स नहीं लिया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूछ यह रहा हु कि क्या यह जोब लेने के पहले एस्टीमेट बनाया था क्या ? यदि था, तो कितने का था ?

श्री खेतसिंह—इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--Was any estimate made ? If not, why not ? This is my specific part (d) of the question ; इसका जवाब दीजिये ।

श्री खेतसिंह—इसका जवाब मैंने दिया है। मैंने पढ़कर सुनाया। पार्ट (डो) का जवाब यह है : "A job was opened on the date the work was started. A bill was to be prepared according to the work done as usual." आगे हमने यह लिखा है, "The consumable articles were agreed to be supplied by the party."

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो यह है, "Was any estim te made? If not, why not ?" इसका उत्तर मैं चाहता हूं। न तो मुझे बिल के बारे में पूछना है और न एप्लीकेशन के बारे में पूछना है।

श्री खेतसिंह—मैंने आपसे निवेदन किया कि पार्टी ने एग्री कर लिया था कि ओइल वगैरह जो कन्ज्यूम होगा वह हम देंगे। इस हालत में इस केस में एस्टीमेट नहीं बनाया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो एप्लीकेशन का उल्लेख है, क्या यह विभाग के पास मौजूद है?

श्री खेतसिंह—जी हां, एप्लीकेशन मौजूद है तभी तो यह जवाब दिया है। वगैर इसके कैसे जवाब दिया जा सकता था ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें क्या कोई तारीख लगी है ?

श्री खेतसिंह—एप्लीकेशन में कौनसी इन्क से क्या लगा है, इतना तो मैं नहीं कह सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो बिल भेजा गया, इसके लिये यह बताया गया कि नवम्बर के महीने में यह भेजा गया, ४-११-५५ को भेजा गया। क्या सरकार ने इसकी ठीक तरह से जांच कर ली है कि ४-११-५५ को जो दर्शाया गया है वह भेज भी दिया गया या नहीं एक्चुअली ?

श्री खेतसिंह—मैंने जो उत्तर दिया वह ठीक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डिपार्टमेन्ट में कौनसी तारीख को रवाना किया गया है, क्या आप यह बताने की स्थिति में हैं ?

श्री खेतसिंह—मैंने भेजने की तारीख बता दी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह बिल इसके पेमेन्ट के एक दिन पहले डिपार्टमेन्ट में बना है और भेजने की तारीख एन्टीसिपेट करके लिखी गई है ?

श्री खेतसिंह—यह आपका फरमाना गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या जो इस बिल का डिस्पेच नम्बर है वह और दूसरे उस तारीख के डिस्पेच नम्बरों से कम्पेअर करने को आप तैयार हैं कि उस डिस्पेच नम्बर के लेटर्स कौनसे महीने में भेजे गये और वह किस महीने में भेजा गया ? डाक्युमेन्टरी एविडेन्स आप पेश करेंगे ?

श्री खेतसिंह—डोक्युमेन्टरी एविडेन्स आप पेश कर दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पूछ रहा हूं, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि जो तारीख बिल पर है वह सही तारीख है; मैं उसी सिलसिले में पूछ रहा हूं कि क्या इस बिल की तारीख के बारे में जांच करने के लिये सरकार तैयार है कि इस बिल में जो तारीख पड़ी है और जो नम्बर डिस्पेच का है उसको उस दिन के नम्बर से और डिस्पेच की तारीख से कम्पेअर किया जावे कि वह डिस्पेच नम्बर और तारीख कौन से महीने में करेन्ट थे या वे नम्बर इसी महीने में, जो महीना बताया जा रहा है, करेन्ट में थे ? उसके आगे पीछे के नम्बरों से मिलान किया जावे ।

श्री खेतसिंह—इसकी कोई आवश्यकता नहीं, जब कि उन्होंने बिल का पेमेन्ट पूरा का पूरा अदा कर दिया है । तो पैसे से मतलब था वह मिल गया । यह क्या आवश्यक है कि एक घन्टे पहले दिया या बाद में ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह इर्रेगुलर प्रोसीजर इस मामले में क्यों फोलो किया गया ?

श्री खेतसिंह—यह तो आपका ख्याल है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्री महोदय ने कुबूल किया कि पहले एस्टीमेट बनाया जाता है फिर डिपोजिट लिया जाता है और तब जोब खोला जाता है । तो क्या आप बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में बिना एस्टीमेट बनाये, बिना एडवान्स लिये जोब कैसे खोल दिया गया ?

श्री खेतसिंह—इस केस में मैंने निवेदन किया कि उन्होंने कह दिया था कि ऑइल वगैरह आर्टिकल्स जो कन्जूम होंगे वे सप्लाई कर देंगे इसलिये जोब खोल दिया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जिस ट्रेक्टर ड्राइवर को टेक्टर ले जाने का लिखित आदेश फोरमेन ने दिया उस लिखित आदेश पर लिखा है कि जो सामान चाहिये वह दुर्गापुरा के एग्रीकल्चर फार्म से ले लिया जावे ?

श्री खेतसिंह—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि वह लिखित आदेश डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी होने के बाद ड्राइवर ने अपनी वापिस कम्प्लायेन्स रिपोर्ट सबमिट की है और उस कम्प्लायेन्स रिपोर्ट में यह लिखा है कि जितना सामान चाहिये था वह सामान दुर्गापुरा के फार्म से इश्यू करवाया है ?

श्री खेतसिंह—इसके लिये अलग से प्रश्न पूछियेगा, मैं जवाब दूंगा ।

श्री हिम्मतसिंह—ऐसे प्रोसीजर में क्या ऐसा भी दर्ज है कि मुंह देखकर तिलक किया जाय ?

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इसका जो बिल बनाया गया और जिस जोब के बिनाह पर बनाया गया उसके इन्द्राज तो प्रदर्शित करते होंगे कि दुर्गापुरा फार्म से सप्लाई हुई या नहीं ?

श्री खेतसिंह—आप वापिस पूछिये, मैं समझा नहीं ।

Page No 6

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is there a job card in respect of this job available in this Department ?

श्री खेतसिंह—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Hon'ble Member be pleased to state what is the entry in that job card in respect of the consumable articles, and whether that entry tallies with the written order issued by the farm to the tractor driver, Shaitan Singh ?

श्री खेतसिंह—इस वक्त जोब बुक है नहीं। पर यह बता दूं कि उसमें है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस सिलसिले में जोब खुला वह कागज आज तक डिपार्टमेन्ट में मौजूद नहीं है ?

श्री खेतसिंह—यह बिलकुल गलत है।

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक मिनिट ठहरें। क्या यह सही है कि बिल बनाने के पहले से जोब के कोई कागजात मौजूद नहीं हैं, बीच में मौजूद नहीं थे और आज तक मौजूद नहीं हे ?

No job card has been opened in this case.

श्री खेतसिंह—यह बिलकुल गलत कहा है, जोब बुक है और उसमें बाकायदा लिखा है। उसमें रोजमर्रा की एन्ट्री है, पहले की एन्ट्री है और इसके बाद की एन्ट्री भी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या मंत्री महोदय वह जोब कार्ड सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हैं अगर एवेलेबल हैं तो ?

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री)—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस पूरे के पूरे मामले में जोब खोलना तो दूर फाइनेन्शियल रेकॉर्डस् के अन्दर एक भी एण्ट्री नहीं की गई है ; एक भी नहीं, Not even one.

श्री खेतसिंह—मैंने आपसे निवेदन किया है कि·····

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्री महोदय यह बता पायेंगे कि कौन से रजिस्टर में या किस जगह उस सिलसिले में एण्ट्री है सिवाय लॉग बुक के ?

श्री खेतसिंह—यह एक अलग सवाल है। आप पहले बजट के मौके पर भी इस पर बहस कर चुके हैं और उस वक्त माननीय मंत्रीजी के सामने सारे कागजात पेश हो चुके हैं और उसमें बाकायदा सब कुछ है।

Page No 7

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि माननीय मंत्रीजी ने जो यह कहा है कि सारे कागजात पेश हो चुके हैं उनमें डिपार्टमेण्ट का एक ओरीजिनल कागज है जिस पर डिपार्टमेण्ट की फाइलों की एण्ट्री हुई है जिसमें फोरमेन ने यह ऑर्डर दिया है कि दुर्गापुरा फार्म से मेटीरियल ले लिया जाय ? क्या वह ओरीजिनल कागज पेश हुआ है माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने ? Is it true ?

श्री खेतसिंह—It is a separate question.

(घण्टी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने पेश किया है वह कागज, अध्यक्ष महोदय, इसलिये मुझे वह पूछ लेने दीजिये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुझे लिख कर दिया है और आज ६ महीने से जांच हो रही है और उसकी जांच एग्रीकलचर मिनिस्टर कर रहे हैं और आज तक उत्तर नहीं आया है मेरे पास, इसलिये प्रश्न के रूप में पूछ रहा हूं। एक दो सप्लीमेण्ट्री और कर लेने दीजिये।

क्या यह सही है कि ऐसा कागज पेश हुआ है माननीय मंत्रीजी के सामने ?

श्री खेतसिंह—यह अलग से सवाल है, मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस सिलसिले में कोई जांच ऑर्डर किया गया था ?

श्री खेतसिंह—जांच ओर्डर का भी इस वक्त मैं नहीं कह सकता हूं कि किया गया था या नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय, श्री मोहनलाल सुखाडियाजी ने एक पत्र के द्वारा एक माननीय सदस्य को यह लिखित रूप में कन्वे किया था कि इसकी जांच की जा रही है ?

(घंटी)

माननीय अध्यक्ष, मुझे लिखा है और वे कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं।

श्री खेतसिंह—यह अलग से सवाल है, उसे आप पूछें तो बता देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह किस बिनाह पर उत्तर दिया जा रहा है कि जोब खोल लिया गया था ?

(घंटी)

मने एक चिट्ठी पेश की थी, अध्यक्ष महोदय, उसमें तो लिखा है कि दुर्गापुरा फार्म से मेटीरियल लिया जाय।

(घंटी)

Page No 8

प्रश्न संख्या २०४

वर्तमान वर्ष में किशनगढ़ एवं अराई तहसील में तालाबों की मोरियों के बन्द न करने से पानो निकलना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) चालू वर्ष में किशनगढ़ और अराई तहसील में किन किन तालाबों की मोरियों के बारिश शुरु होने के पहिले बन्द नहीं कराने की वजह से बारिश का पानी खाली हो गया ?

(ख) उक्त तालाबों में किस किस में कितने कितने पानी का नुकसान हुआ है ?

(ग) मोरियों के वक्त पर बन्द नहीं कराने में किन अधिकारियों की गफलत रही और उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया गया ?

श्री खेतसिंह (उप मंत्री)—(१) सब तालाबों की मोरियां बारिश शुरू होने से ही पूर्व बन्द करा दी गई थीं और किसी बन्ध का पानी खाली नहीं हुआ ?

(२), (३) और (४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि डीडवाना गांव के तालाब मदनसरोवर और जयसागर की मोरियों को बारिश होने के बाद बन्द किया गया है, इस लिहाज से पहली बारिश का सारा पानी निकल गया ?

श्री खेतसिंह—मेरी जानकारी में यह कतई सही नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, डीडवाना ने रजिस्टर्ड पोस्ट से मंत्री महोदय के पास इस संबंध में शिकायत की थी ?

श्री अध्यक्ष—रजिस्टर्ड पोस्ट की याद नहीं रखी जाती है ।

श्री चांदमल मेहता—इसीलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजता हूं क्योंकि वे यहां असेम्बली में इन्कार कर देते हैं और मैं अपनी रसीद रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप तो रसीद रखते हैं हरेक रजिस्टर्ड पोस्ट की लेकिन यहां हजारों पोस्ट्स आती हैं ।

श्री चांदमल मेहता—जवाब गलत देते हैं, इसका क्या इलाज है ?

श्री अध्यक्ष—(श्री खेतसिंह से) क्यों साहब, आया हो तो बता दीजिये ?

श्री खेतसिंह—मेरे पास रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा नहीं है । मंत्री महोदय के पास भजा होगा तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

Page No 9

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है……

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइण्ट ओफ आर्डर, सर, यह जो जवाब दिया जाता है कि सरकार के द्वारा सरकार की ओर से दिया जाता है, ऐसी स्थिति में यदि कोई माननीय मित्र यह कहे कि मंत्री महोदय के पास कागज भेजा होगा तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, यह रिप्लाई क्या वेलिड और पर्मिसिबल रिप्लाई गिना जाय ?

श्री खेतसिंह—इन्होंने कोई प्राइवेट चिट्ठी माननीय मंत्री महोदय के पास भेजी होगी, उसकी जानकारी मैं इस वक्त कैसे दे सकता हूं ?

श्री चांदमल मेहता—प्राइवेट चिट्ठी की जानकारी नहीं है। मैंने यह कहा है कि ग्राम पंचायत डीडवाना ने भेजा है, मैंने कभी नहीं कहा है कि प्राइवेट चिट्ठी भेजो है।

श्री खेतसिंह—कोई ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ग्राम रामपुरा के तालाब को मोरियां तो दो बार बारिश हो जाने के बाद भी बन्द नहीं की गई इस लिहाज से पानी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

श्री खेतसिंह—मैंने आपसे निवेदन किया है कि डिपार्टमेण्ट की जानकारी के हिसाब से कोई भी पानी वेस्ट नहीं हुआ है। इसलिये आप जो ग्राम रामपुरा का पूछते हैं और कभी दूसरे का प्रश्न पूछते हैं, वह पैदा नहीं होता है।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, जो जवाब दिया जा रहा है मैं उसको चेलेन्ज करता हूं और मांग करता हूं कि यदि आपकी (सरकार की) जानकारी सही है तो उसकी जांच कराई जाय।

(करतल-ध्वनि)

श्री खेतसिंह—हमने जो कुछ जवाब दिया है वह इनक्वायरी करने के बाद में दिया है और आप चेलेन्ज तो यों ही अक्सर कर दिया करते हैं।

श्री मेहता—यह एनक्वायरी किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ?

श्री खेतसिंह—इरिगेशन के एक्जीक्युटिव इन्जीनियर के द्वारा।

श्री मेहता—इरिगेशन एक्जीक्युटिव इन्जीनियर ने मोके पर पहुंच कर की, या दूसरे अधिकारी के कहने के आधार पर इस तरह की इन्क्वायरी होने का जवाब दिया है।

श्री खेतसिंह—आपका प्रश्न आया, उस पर वहां के जिम्मेवार अफसर ने दिया है। आपने पूछा है कि किस तालाब में वेस्ट हुआ है तो फिर उनका यह जवाब आया कि किसी तालाब में वेस्ट नहीं हुआ है।

श्री मेहता—वह जिम्मेदार अधिकारी कौन थे जिन्होंने मौके पर पहुच कर इस तरह की जांच की थी ?

श्री खेतसिंह—इनका नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो सब डिविजनल आफिसर किशनगढ़ में रहता है उसने की होगी ।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि कोई भी अधिकारी जांच पडताल करने के लिए डीडवाना और रामपुरा नहीं पहुंचा ?

श्री खेतसिंह—डिपार्टमेंट ने जांच की और जो आफिसर वहां पहुंचा उसने जवाब भेजा है कि मैंने देख लिया है मौका और कहीं पर वेस्ट नहीं हुआ ।

श्री मेहता—जो अधिकारी जांच करने के लिए गये उन्होंने वहां की पंचायत के सरपंच को या स्थानीय निवासियों को भी पूछ कर जांच की या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—Order please !

When the member of a particular constituency says with his personal knowledge that no officer had reached or a damage had occurred I think, it will be only proper when we are running democracy that the Governmet should review the enqiry again.

(Hear-Hear)

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे इसमें एतराज नहीं है। डिपार्टमेंट की जांच है उसके मुताबिक सारे तालाबों के लिए उन्होंने कहा है कि कोई लोस नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—But against this there are so many challenges. I am unable to decide what to do. I want that the reply given from the Treasury Benches should be taken as true, but when the members say the replies are not correct, some procedure must be evolved when we are running the administration by mutual discussion and co-operation. In democracy it is desirable that the Treasury Benches should pay attention to the protests of the Members and review the enquiry that is made.

श्री एच. के. व्यास—माननीय अध्यक्ष, वह असली कागज पेश कर दूं, अभी भी वह स्टिक करें तो ।

प्रश्न संख्या २०५

अप्रेल से जुलाई १९५६ तक दैनिक पत्र नवयुग, कांग्रेस संदेश व नवजीवन को दिये गये विज्ञापनों के मूल्य

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Home Minister be pleased to state:—

(a) What is the value of advertisements monthwise given to the following papers during the months April to July, 1956:—

Navyug, Congress Sandesh; Nav Jeevan.

(b) Has the Government given any advertisement to the AICC Bulletion ? If so, when and of what value ?

Page No 11

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(*a*) From April, 1956 to July, 1956, 120 advertisements were given.

कई माननीय सदस्य—Not audible.

श्री रामकिशोर व्यास—(*a*) From April 1956 to July, 1956, 120 advertisements were given to Nauyug. Out of these 107 bills have been verified and their payment amounting to Rs. 8,122/12/- has been made.

22 advertisements were given to Congress Sandesh and payment of Rs. 902/8/- for 15 bills dully verified has been made. 48 advertisments were given to Navjeevan and payment of Rs. 3381/8/- for 47 bills duly verified was made.

(*b*) No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि ये वीकलीज और डेलीज राजस्थान में राजस्थान सरकार के एडवर्टाइजमेंट के हाईएस्ट रेसीपियेन्ट्स हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह इस वक्त डेफिनिट, जब तक कि केलकूलेशन नहीं हो, नहीं कहा जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो नवजीवन और नवयुग को एडवर्टाइजमेंट के नम्बर दिये गये हैं कि २२ कांग्रेस संदेश को और ४८ नवजीवन को, तो क्या सरकार ने यह भी पता रखा है कि इस पीरियड में इन अखबारों के कुल कितने इश्यू निकले हैं और पर इश्यू (Per issue) कितने एडवर्टाइजमेंट्स छाया हुए हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो अलग दर्याफ्त करें तो जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि नवजीवन के इस पूरे अर्से में कुल १६ अंक निकले हैं, उन १६ अंकों में ४८ एडवर्टाइजमेंट्स दिये गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने आपसे कहा कि अलग दर्याफ्त फरमायें तो मैं जानकारी करके बता दूं कि कितने इश्यू निकले ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—चार महीने के चार इश्यू साप्ताहिक हैं। चार इश्यू के हिसाब से १६ हो गये, लेकिन ४८ दिये गये हैं। तो इस हिसाब से ३ का एवरेज आकर पडता है। दूसरे दैनिकों का ऐसा एवरेज कितना है, क्या यह सरकार ने पता लगाने की कोशिश की ?

श्री रामकिशोर व्यास—वह डिविजन में निकलते हैं, केल्कूलेशन नहीं किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कॉरेस्पोन्डेन्स इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ नम्बर; दूसरे कितने हैं यह पता लगाने की कोशिश की ?

श्री रामकिशोर व्यास—एक दफा लगाया था और फीगर्स भी बताये थे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उस समय जो डिस्पेरिटी चल रही थी वह अब भी चल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपको मालूम होगा कि लोकवाणी का हाइएस्ट था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि दूसरे दैनिकों का नवयुग के मुकाबले में वन टेन्थ था लोकवाणी को छोड कर और दूसरों का वन एट्थ था । वही प्रोपोर्शन अभी चल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—साप्ताहिक का मुझे मालूम नहीं है, डेलीज का पता है । नवयुग का हाईएस्ट नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नवयुग का हाईऐस्ट है । नेक्स्ट डेलीज और वीकलीज का नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से फरमायें तो पता लगा कर बता सकता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी जनकारी नहीं करायी कि फर्स्ट नम्बर के बीच में और सेकिन्ड नम्बर के बीच में कितना डिफरेन्स है ?

श्री रामकिशोर व्यास—टोटल कितना मिला, यह तो केल्कुलेशन करके साल के अखीर में बताया जा सकता है । (घंटी)

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूंसिंह ।

प्रश्न संख्या २०६

कस्बा उदयपुर (जिला झुन्झुनू) में ३०-३-५६ को राजस्थान दिवस के उपलक्ष में निकाले गये जुलूस के साथ पुलिस थानेदार द्वारा की गई ज्यादती संबंधी जांच

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या दिनांक ३०-३-५६ को राजस्थान दिवस के उपलक्ष में कस्बा उदयपुर जिला झुन्झुनू में आयोजित जुलूस जिस समय स्थानीय थाने के सामने होकर गुजर रहा था, थानेदार ने राष्ट्रीय झण्डा छीन लिया और जनता को गाली गलोच किया ?

(ख) क्या यह सही है कि अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उसही दिन कई व्यक्तियों के जमानत-मुचलके लिये गये ? यदि हां, तो कितने आदमियों के और क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(ग) जी हां, दिनांक ३०-३-५६ को १६ हिन्दू एवं १९ मुसलमानों के शान्ति रखने के लिए मुचलके लिये गये क्योंकि वहां दिनांक २७ मार्च, १९५६ से साम्प्रदायिक तनाव चला आ रहा था जब कि होली के जुलूस के सम्बन्ध में दोनों दलों के बीच में झगडा हो गया था ।

श्री भैरूंसिंह—यह झगड़ा हिन्दुओं की ओर से हुआ था या दूसरी पार्टी की ओर से ?

श्री रामकिशोर व्यास—प्रोसेशन निकल रहा था, आपस में झगड़ा हो गया ।

श्री भैरूंसिंह—यह प्रोसेशन किस बात का था ?

श्री रामकिशोर व्यास—होली का था ।

श्री भैरूंसिंह—होली का प्रोसेशन निकालने वालों की ओर से शांतिभंग का अन्देशा था या प्रोसेशन को बन्द कराने वालों की ओर से शान्तिभंग का अन्देशा था ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो अदालत तय करेगी ।

श्री भैरूंसिंह—जब शान्ति भंग करने वालों के मुचलके लिये हैं ......

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—But the Government cannnot act as a court of Law.

श्री भैरूंसिंह—इन्फोर्मेशन तो होगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०७

राज्य के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों को दिये जाने वाले भोजन के परिमाण में वृद्धि करने हेतु

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Medical and Public Health Department be pleased to state:—

(*a*) Is the Govt. aware that in many Hospitals the diet scale prescribed is much below the standard ?

(*b*) Will the Government state the calorific value of the diet at present being given in the various Class A Hospitals in the State ?

(*c*) Since when is the question of standardising diet in Hospitals pending consideration before the Government ?

(*d*) Will the Government state when it proposes to take a decision in this matter ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी हां ।

(ख) राजस्थान के ए क्लास के होस्पीटल्स की डाइट की किलोरिक वेल्यू निम्न प्रकार है :—

		आर्डिनरी	खिचडी	थूली	दूध	दही	साबूदाना
१. जयपुर	..	२५८२	१४६०	९९२	१६९२	१३६०	१३२०
२. उदयपुर	..	२४४५	२०१५	१९९५	१८०४	१८७५	१५३०
३. जोधपुर	..	२०५७	२१२९	..	२१७४	..	..
४. बीकानेर	..	२०८४	२११०	..	१८४०	..	..

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ग) यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष जुलाई, सन् १९५४ से विचाराधीन है ।

(घ) इस बारे में निर्णय निकट भविष्य में ही किया जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि भारत सरकार के न्यूट्रिशनल एक्स्पर्ट डा० ओकाय ने भारत के अस्पतालों में नॉर्मल डाइट कितनी होनी चाहिए, उसका नार्मल स्केल सजेस्ट किया हुआ है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि आज से ८ साल पहले डा० ओकाय ने नार्मल डाइट २८००० केलोरीज से ३०००० केलोरीज होना चाहिए, यह सजेस्ट किया था ?

श्री अध्यक्ष—How it is relavent. You are giving more information than seeking information.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मंत्रीजी ने फीगर्स दिये हैं वे १८०० और १४०० केलोरीज है

श्री अध्यक्ष—He can only give figures.

श्री हरिकृष्ण व्यास–Therefore I am asking whether the Government is aware that the present standard prescribed in the Rajasthan Hospitals is one third than the standard prescribed by the experts of the Government of India ?

श्री अध्यक्ष—It is to the extent.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the extent. क्या यह ध्यान में है कि राजस्थान के अस्पतालों का डाइट का जो स्टेन्डर्ड है वह भारत सरकार के ऐक्स्पर्ट द्वारा निर्धारित किये हुए से एक तिहाई जाकर पडता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी आपने फीगर्स दिये हैं, १८००, १४०० केलोरीज; उनकी ओर संकेत कर पूछना चाहता हूं कि क्या वे १।३ और १।४ नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में नहीं है । अब तक कोई शिकायत नहीं आयी थी, 'ए' क्लास होस्पिटल हैं । जोधपुर, जयपुर के फीगर्स दिये हैं । अच्छे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कुल डाइट की केलोरिफिक वेल्यु कितनी है इसका पता लगाने की कोशिश की गई क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जवाब दिया कि बिलो स्टेन्डर्ड है । इसके माने यह नहीं हैं कि सारे राजस्थान के अस्पतालों में ऐसा है । 'ए' क्लास के होस्पिटल्स का जो स्टेन्डर्ड है मैंने बता दिया ।

They are quite upto the standard.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि 'ए' क्लास में जो स्टेन्डर्ड डाइट है वह एक्सपर्ट के हिसाब से जो स्टेन्डर्ड होना चाहिए उससे ८०० केलोरिफिक कम है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार के एक्स्पर्टस् से डाइट की दुबारा जांच करायेगी और सम्मति लेगी? (घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २०८

रलावता, त० किशनगढ़ के सिंचाई के तालाबों का जीर्णोद्धार कराने सम्बन्धी शासकीय योजना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम रलावता तहसील किशनगढ में सिंचाई के कितने तालाब हैं?

(२) किस किस तालाब के पीछे कितनी सिंचाई योग्य भूमि है?

(३) उक्त तालाबों में से इस वर्ष कितनी भूमि की सिंचाई की गई?

(४) उक्त तालाब कब से टूटे हुए हैं और उनके अब तक तैयार नहीं कराने के क्या कारण हैं?

श्री खेतसिंह (उप-मन्त्री)—

(१) सिंचाई का कोई भी तालाब नहीं है।

(२) (३) (४) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है रलावता तहसील के जो सिंचाई के तालाब हैं उनको सिंचाई विभाग को सुपुर्द किये जाने का जवाब दिया जा चुका है?

(हंसी)

श्री खेतसिंह—जवाब तो दिया है।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले होगा साहब।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जागीर पुनर्ग्रहण के बाद ये तालाब रेवेन्यू विभाग के मातहत आये थे और इन तालाबों में से सिंचाई विभाग को जो तालाब ट्रान्सफर किये गये उनमें रलावता के तालाब भी थे?

श्री खेतसिंह—यह बिल्कुल सही है, लेकिन अब तक इरिगेशन विभाग के मातहत वे तालाब नहीं आये हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्व मन्त्री महोदय ने इन तालाबों को सिंचाई विभाग के मातहत दिये जाने का जवाब दिया है।

(हंसी)

श्री खेतसिंह—राजस्व मन्त्री महोदय ने दिया होगा, लेकिन अभी तक वे तालाब सिंचाई विभाग के अधीन आये नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग कहता है कि उनके अधीन वे नहीं आये; राजस्व मन्त्री महोदय कहते हैं कि सिंचाई विभाग को दे दिये, तो आखीर एक यह बडी विचित्र स्थिति है कि हैं किसके अन्तर्गत ?

श्री अध्यक्ष—जागीर पुनर्ग्रहण और उनके ट्रान्स्मीशन में हों।

श्री रामकिशोर व्यास—जागीर पुनर्ग्रहण द्वारा प्राप्त हुए तालाब सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जांय। एक्चुअल पजेशन नहीं हुआ होगा।

श्री चांदमल मेहता—एक्चुअल पजेशन न होने में बाधा क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिए प्रोसीजर है। कलेक्टर वगैरह लेते हैं।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रोसीजर को कब तक ठीक करेंगे और कब तक किसी जिम्मेदार महकमे के जिम्मे इसे करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अंडर प्रोसेस है, जल्दी ही हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इनको तैयार नहीं करने से प्रतिवर्ष ३ हजार बीघा जमीन सिंचाई से महरूम रहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह नहीं जानता लेकिन इन्तजाम ठीक करना गवर्नमेन्ट भी चाहती है।

एक माननीय सदस्य—ट्रान्सफर ओर्डर कब हुआ।

प्रश्न संख्या २०६

श्री अध्यक्ष—क्वेश्चन, श्री नारायण चतुर्वेदी।

श्री श्रीदास गोयल—प्रश्न संख्या २०९.

श्री अध्यक्ष—नारायण चतुर्वेदी आप हैं क्या ?

श्री श्रीदास गोयल—वे आज नहीं आये हैं। यह प्रश्न जरूरी है इसलिये आप रूल्स से मुझे पूछने की इजाजत दे दें।

(श्री नारायण चतुर्वेदी की अनुपस्थिति में प्रश्न संख्या २०९ को पूछने की अनुमति नहीं दी गई)।

Page No 17

प्रश्न संख्या २१०

ग्राम पंचायत मण्डोर (जोधपुर) के सरपंच का मण्डोर टाउन पर अनुचित क्षेत्राधिकरण

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state:—

(a) Has the Government received any representation from various parties and public organizations of Jodhpur stating that the Sarpanch of the Gram Panchyat Mandore, Tehsil Jodhpur, is irregularly assuming jurisdiction on the Mandore Town?

(b) If so, what action has the Government taken in the matter?

(c) Is it a fact that as per Council Resolution of the former Jodhpur State this area had been included in the development area of the Jodhpur City and was excluded from the revenue area ?

(d) Will the Government take steps to restrain the Sarpanch from assuming such irregular jurisdiction?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(अ) जी हां।

(ब) सरकार इस विषय में वास्तविक जांच कर रही है।

(स) जी हां।

(द) विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कब तक सरकार निर्णय करेगी इस सम्बन्ध में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस एरिया के बारे में अभी तक तय नहीं हुआ है कि आया यह ग्राम पंचायत में रहे या म्युनिसिपैलिटी में रहे। यह अंडर एग्जामिनेशन है। कलेक्टर को रिपोर्ट इस सम्बन्ध में मांगी गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस बीच में जुरिस्डिक्शन एजूम नहीं किया जाय, ऐसा ऑर्डर देने को सरकार तैयार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक्सरसाइज किया गया या नहीं, इसकी जांच हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कलेक्टर जोधपुर ने इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है जिसमें इसका उल्लेख है कि स्टेटस को मेन्टेन करने के ऑर्डर का उल्लंघन किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रिपोर्ट कलेक्टर की आई है, उस पर और वगैरा की गई है लेकिन ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसमें लिखा हो कि ऑर्डर का उल्लंघन किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कलेक्टर ने एस. पी. का एक्सप्लेनेशन पूछा है कि किसके ऑर्डर से मेले में मौजूद थे और हस्तक्षेप किया जब कि स्टेटस को मेन्टेन करने का ऑर्डर दिया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग बात है। लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कहा गया कि कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ और कोई जुरिस्डिक्शन एज्युम नहीं किया गया था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि न केवल जुरिस्डिक्शन एज्यूम किया गया बल्कि कलेक्टर ने पुलिस सुपरिनटेन्डेन्ट से लिखित में एक्सप्लेनेशन पूछा है, क्या यह सही ह ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सवाल अलग है, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह आज्ञा देने को तैयार है कि जब तक सरकार इस बारे में पूरा निर्णय नहीं ले लेती तब तक मौजूदा स्थिति कायम रहेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जाब्ते से भी मौजूदा स्थिति कायम रहनी चाहिये। उसका आज तक कोई ब्रीच नहीं हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह स्पेसिफिक बात है कि मौजूदा स्थिति कायम नहीं रखी जा रही है। क्या सरकार स्पष्ट आज्ञा देने के लिये तैयार है कि जब तक फाइनल निर्णय नहीं हो जाता तब तक मौजूदा स्थिति के डिस्टर्ब नहीं किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मौजूदा स्थिति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिये। इसमें ऑर्डर देने का सवाल नहीं है। The order should be avoided.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कलेक्टर के लिखित आदेश का पालन नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—इसकी जानकारी इनको नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ब्रीच होने की रिपोर्ट आयेगी तो I will take action.

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार को जानकारी नहीं है, तभी तो मैं उनको जानकारी देने की एडिशनल ड्यूटी कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यही तो गड़बड़ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जांच करके ऑर्डर देने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री भैरूंसिंह।

सदन में पेम्फलेट्स बंटने सम्बन्धी आपत्ति

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, हाउस में पेम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं इसकी अनुमति किसने दी है ?

Page No 19

श्री अध्यक्ष—आप सवाल पूछिये।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २११

लांपिया (बनेडा) के जंगल से जून-जुलाई, १९५५ को हरे वृक्ष काटने की चोरी का मुकदमा

श्री भैरूं सिंह (१६)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि माह जून व जुलाई, सन् १९५५, थाना पुलिस बनेडा में लांपिया के जंगल से हरे पेड़ काट कर बेचने के सम्बन्ध में एक चोरी का मुकदमा कायम हुआ था?

(ख) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कई टालों पर चोरी की लकड़ियां भी पुलिस द्वारा जब्त की गई थीं?

(ग) इस चोरी में मुलजिम कौन कौन थे और इस मुकदमें का क्या हुआ? यदि फाइनल रिपोर्ट दी गई तो कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) जी नहीं।····

श्री भैरूं सिंह—सुनाई नहीं देरहा है।

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी नहीं। लेकिन एक एप्लीकेशन २५-५-५५ को पेश की गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) बनेडा के कस्तूरचन्द के विरुद्ध आरोप लगाया गया था। यह केस डी. एस. पी. भीलवाड़ा के पास पैंडिंग है।

प्रश्न संख्या २१२

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या २१२, श्री बाफना।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २१३

अराई डिस्पेन्सरी में डाक्टर की शीघ्र व्यवस्था करना

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) अराई डिस्पेन्सरी में कितने समय से डाक्टर नहीं है?

(२) क्या स्थानीय जनता ने इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या एक्शन लिया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री)—

(१) दिनांक ८-८-५६ से डाक्टर नहीं है।

(२) अब तक तहसील पंचायत अरांई से एक प्रार्थना-पत्र आया है। जल्दी से जल्दी यहां डाक्टर भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—अरांई के डाक्टर को तब्दील करने का जो ऑर्डर भेजा गया, क्या उसके साथ उस डाक्टर के स्थान पर दूसरे डाक्टर को भेजने का आदेश नहीं था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दूसरा डाक्टर भेजना चाहिये, लेकिन इस समय डाक्टरों की कमी है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि अराई के डाक्टर का तबादला किया गया लेकिन अराई किसको भेजा जायगा, इसका उल्लेख ऑर्डर में नहीं किया गया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है कि दूसरे डाक्टर को भेजने का उल्लेख नहीं हुआ हो। डाक्टरों की कमी है इसलिये ४ महीने जगह कहीं खाली रखनी पड़ती है और २-४ महीने और कहीं खाली रखनी पड़ती है।

श्री चांदमल मेहता—जब अराई में पहले डाक्टर था, उसका तबादला किया जाता है तो क्या वजह है कि उसके स्थान पर दूसरा डाक्टर नहीं भेजा जाता?

श्री अध्यक्ष—पॉसिटी (paucity) ऑफ मैडिकल ऑफीसर्स बताया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डॉक्टर्स और नर्सेज है नहीं। ६० डाक्टरों की जगह खाली है।

श्री अध्यक्ष—इनकी कांस्टीट्युएन्सी का ध्यान रखियेगा।

श्री रामकिशोर व्यास—इनकी कांस्टीट्युएन्सी का खयाल हमेशा रखते हैं।

प्रश्न संख्या २१४

पूर्व जोधपुर राज्य के जुडीशियल ऑफीसर्स का शीघ्र फिक्सेशन करने सम्बन्धी

श्री भोपालसिंह—Will the Law Minister please state:—

(1) If it a fact that though the posts of Hakims and Naib Hakims were abolished in the former Jodhpur State after coming into force of New District Administration Scheme on 1-1-49 the fixation of a number of Judicial Officers has not yet been made on the basis of their substantive appointments?

(2) If it is such, why so happened?

(3) Is it a fact that inspite of the orders of fixation being issued by the Government the matter is being delayed by the A.G.Office?

[श्री. भोपालसिंह]

(4) If so, is the Government prepared to have action against the authorities on account of whose negligence the matter has not yet been settled so far?

(5) In what time the Government is now thinking to decide the whole matter?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (विधि मन्त्री)—(1) It is a fact that the posts of Hakims and Naib Hakims in the former Jodhpur State were abolished after the coming into force of the New District Administration Scheme on 1-1-1949. Fixation of all the judicial officers on the basis of their substantive appointment has been made.

(2) The question in veiw of the reply to part (1) above does not arise.

(3) Necessary fixation has since been made and orders in this connection have been issued.

(4) Tha matter has not actually been delayed but in order to satisfy him (A.G.) all the relevant dates of appointments of the pre-merger employees are being supplied and it is expected that the case will be very soon settled in the A. G's Office.

(5) The question does not arise.

प्रश्न संख्या २१५

बस नम्बर आर. जे. एफ. ७६६ का रजिस्ट्रेशन होने के कारण

श्री भेरूसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या यह सही है कि रजिस्टरिंग ऑथोरिटी बीकानेर ने बिना प्रोवियस रजिस्ट्रेशन की जानकारी लिये ही बस नं० आर. जे. एफ. ७६९ का रजिस्ट्रेशन कर दिया?

(ख) क्या यह सही है कि इस बस का प्रोवियस रजिस्ट्रेशन देहली में नं० ७३४८ दिनांक ४-४-४९ को होकर दिनांक १९-५-५४ को बस ठीक न होने के कारण मंसूख कर दिया गया था?

(ग) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कई व्यक्तियों ने रजिस्टरिंग ऑथोरिटी को जानकारी भी दी थी? यदि हां, तो फिर यह रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) रजिस्ट्रेशन प्रार्थी श्री किशनगोपाल उर्फ गूटल महाराज बीकानेर के हलफनामें एवं उनके द्वारा श्री अमरसिंह वल्द सोहन सिंह द्वारा कबाड़खाने देहली के बेचान की रसीद पेश करने पर किया गया।

(ख) इस सम्बन्ध में रजिस्टरिंग ऑथोरिटी दिल्ली से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ग) नहीं।

श्री भैरूं सिंह—रजिस्ट्रेशन की पूर्व जानकारी के बिना अपने स्टेट के रजिस्टरिंग ऑथोरिटी ने ऐसा रजिस्ट्रेशन क्यों किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हलफनामा पेश किया इसलिये किया गया।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि राजस्थान में आवेदन-पत्र पेश किया जाता है उसमें यह लिखना पड़ता है कि इस मोटर का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मालूम होने पर जानकारी की जा रही है कि दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं ?

श्री भैरूं सिंह—मेरा मतलब यह है कि आवेदन-पत्र में लिखने की आवश्यकता थी या नहीं ? यदि आवश्यकता थी तो लिखा हुआ है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उस समय उनके हलफनामे पर दे दिया गया। ६ महीनों के बाद जब शिकायत आई तब से जानकारी की जा रही है।

श्री भैरूं सिंह—गलत हलफनामा देने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—जानकारी की जा रही है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जानकारी प्राप्त की जा रही है, दिल्ली गवर्नमेन्ट से पूछा है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह नियम है कि जब तक आवेदन-पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी जाती तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उसने पूरी जानकारी दी और हलफनामा दिया तभी तो रजिस्ट्रेशन किया गया था। बाद में उसकी शिकायत आई तब से उसकी जानकारी की जा रही है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो खाने हैं उनको ब्लेन्क रखा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इस बारे में और जानकारी प्राप्त करूंगा।

प्रश्न संख्या २१६

अप्रेल १६५४ के पश्चात् रूपनगर डिस्पेन्सरी में डॉक्टर्स

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) १ अप्रेल, १९५४ के बाद रूपनगर डिस्पेन्सरी में कितने कितने समय तक कौन कौन डॉक्टर रहे ?

(२) उक्त डिसपेन्सरी से ऐसे किन किन डाक्टरों को तनख्वाह मिली है जिन्होंने रूपनगर में काम नहीं करके अन्य अस्पताल में काम किया है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(३) रूपनगर की डिस्पेन्सरी में डॉक्टर कितने समय से नहीं है ?

(४) स्थानीय ग्राम पंचायत व वहां की जनता ने डॉक्टर भेजने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र कब कब पेश किये और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--(१) रूपनगर डिस्पेन्सरी में निम्नलिखित डॉक्टर उनके सामने अंकित समय तक रहे:—

डॉ. महबूब अली—अप्रेल, १९५४ से पहले से ६ अक्तूबर, १९५४ तक।

डॉ. पी. पी. गोयल—१० फरवरी, १९५५ से मई, १९५५ तक।

डॉ. देवी प्रसाद माथुर—नियुक्त किये गये, किन्तु कार्यभार नहीं संभाल सके फिर दूसरी जगह स्थानान्तरण हो गया।

डॉ. आर. एस. टंडन—इस स्थान के नाम पर सवाई मानसिंह अस्पताल में २४-११-५५ से ३०-४-५६ तक शिक्षण काल में रहा।

(२) डॉ. आर. एन. टंडन, सी. एस. क्लास २ ने २४-११-५५ से ३०-४-५६ तक गवर्नमेन्ट के आदेश से रूपनगर के स्थान को जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में तब्दील कर वेतन उठाया।

(३) वास्तव में रूपनगर अस्पताल में जून, १९५५ से ही डॉक्टर नहीं है।

(४) रूपनगर की जनता तथा ग्राम पंचायत का प्रार्थना-पत्र डॉक्टर भेजने के सम्बन्ध में फरवरी, १९५६ में आया था और डॉक्टर की नियुक्ति भी की गई थी लेकिन उसने अभी तक ड्यूटी ज्वाईन नहीं की है। जल्दी से जल्दी दूसरा डॉक्टर नियुक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—इतने अधिक समय तक रूपनगर में डॉक्टर नहीं भेजे जाने का कारण क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया न कि डॉक्टरों की कमी थी।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि जिस डॉक्टर का रूपनगर तबादला किया जाता है उसके चार्ज लेने से पहले ही उसका तबादला केन्सिल कर दिया जाता है ?

श्री गुप्ता—वहां कोई डॉक्टर जाना ही नहीं चाहे तो मजबूरी है।

श्री मेहता—क्या सरकार डाक्टरों को उनकी मर्जी के अनुसार भेजना चाहती है या अपना आदेश पालन कराने को तत्पर रहती है ?

श्री गुप्ता—दोनों ही बातें हैं, आदेश भी पालन कराने को तत्पर रहती है और डॉक्टरों की मन्शा का भी ध्यान रखती है क्योंकि डॉक्टरों की मन्शा के खिलाफ करती है तो डॉक्टर इस्तीफा देकर चले जाते हैं। एक तो लेडी डॉक्टर ने इस्तीफा भी दे दिया था। डॉक्टरों की ग्रेज्युएट्स की तरह भरमार तो है नहीं, डाक्टरों की बहुत कमी है।

श्री मेहता—क्या यह सही है कि डॉक्टर को रूपनगर में तनख्वाह दिला कर काम दूसरी जगह लिया जाता है?

श्री गुप्ता—एम. डी. कर रखा था इसलिये उच्च शिक्षा के लिये सुविधाएं दी थीं।

श्री मेहता—ऐसा डॉक्टर वहां क्यों नहीं भेजा जो वहां से तनख्वाह ले और वहीं पर काम करे?

श्री गुप्ता—अब तो अपोइन्टमेन्ट कर दिया है, वहां जल्दी ही डॉक्टर जाने वाला है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(श्री रामकिशोर व्यास के उत्तर देने के लिये खड़े होने पर)

प्रश्न संख्या २१७

श्री अध्यक्ष—Sorry, Shri Chhanga Ram.

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २१८

श्री गंगानगर जिले में जारी किये गये हथियारों के लाइसेन्स एवं बाहर से असला मंगाये जाने की छूट

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) श्री गंगानगर जिले में आज तक कितने हथियारों के लाईसेंस जारी हुए हैं तथा उनमें से गंगानगर के कितने हैं; राजस्थान के कितने और आल इंडिया के कितने हैं?

(ख) क्या यह सच है कि केवल गंगानगर जिले के लाइसेंस इसलिये दिये जा रहे हैं कि लाइसेंस लेने वाले बाहर से असला न खरीद सकें?

(ग) क्या यह भी सच है कि लोगों ने जो असला मंगाये थे वे आज तक दर्ज नहीं किये गये हैं?

(घ) क्या सरकार इसकी व्यवस्था और आर्मस् एक्ट के अनुसार असला मंगाये जाने की छूट देगी?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) जिला गंगानगर में जारी किये गये हथियारों के लाइसेंसों की संख्या ३,३७३ है।

तफसील समस्त भारत	५१
देहली, पंजाब, पेप्सू व राजस्थान	९
राजस्थान व पंजाब	१३

[श्री रामकिशोर व्यास]

राजस्थान	...	४७६
बीकानेर डिवीजन	..	११
जिला गंगानगर ..	..	२८१३
	योग ..	३३७३

यह सही नहीं कि जिले के लाइसेंस इसलिये दिये जाते हैं कि लाइसेंसदार असला बाहर से खरीद कर न ला सके। जिले के लाइसेंसदार बाहर से यानि देहली वगैरह से राजस्थान गवर्नमेण्ट से नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करके असला खरीद कर ला सकते हैं और ऐसे लोगों को ज्यों ही, वे नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिये दरख्वास्त पेश करते हैं जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट गवर्नमेण्ट से मंगवा दिया जाता है। लाइसेंसों का क्षेत्र हर एक केस के हालात पर गौर करने के बाद निर्धारित किया जाता है।

(ख) करीब ७७ आदमी जिनके पास सिर्फ जिला गंगानगर के लाइसेंस हैं अन्य जगह से बिना नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल किये, खरीद कर ले आये थे, यह मामला गवर्नमेण्ट को रिपोर्ट किया गया जिस पर अभी हुक्म सादिर हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा न चलाया जाकर इनके हथियार दर्ज कर लिये जावें। इनमें से काफी हथियार दर्ज हो चुके हैं, बाकी के लाइसेंसदारान को उनके हथियार व लाइसेंस के साथ तलब किया जा रहा है जिनको दफ्तर में हाजिर होने पर असला दर्ज कर लिया जावेगा।

(ग) जिला एवं राजस्थान के लाइसेंस होल्डरों को असला बाहर से लाने के लिये आर्म्स एक्ट के अनुसार सरकार से नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, इसकी छूट नहीं दी जा सकती।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--जो हथियार बाहर से आये वे आज तक दर्ज क्यों नहीं हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास--मैंने अर्ज किया कि तलब किये गये हैं, बहुत से दर्ज हुए हैं, कुछ बाकी हैं वे भी दर्ज कर लिये जावेंगे।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--जो बाकी हैं कितने अर्से से बाकी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास--मैं समझा नहीं ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--सुना नहीं।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास--मैंने अर्ज किया कि ७७ आदमी ऐसे थे जो बाकी थे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—कितने अर्से से बाकी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—डेट्स तो हर एक को मालूम नहीं हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि राजस्थान गवर्नमेण्ट ने गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया को इस बारे में लिखा था कि बाहर से ऐसे आर्म्स क्यों भेज रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है, नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरुरी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया ने लिखा था कि बाहर से आर्म्स भेजे जा सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग से पूछें।

श्री मोतीराम—इनका मतलब यह है....

श्री अध्यक्ष—आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सवाल होने लगे ?

(हंसी)

श्री मोतीराम—हां साहब, ऐसी बात है। सरकार इस मामले में इस बात का विचार करने को तैयार है कि जब एक आदमी को लाइसेंस मिल जाता है तो बाउण्ड क्यों किया जाता है कि ला कर दे ? या तो सरकार उसको तय कर ले या छुट्टी कर दे, यह मतलब था उनका।

श्री अध्यक्ष—नहीं समझे ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह आपका मतलब है।

श्री मोतीराम—सरकार को इसमें क्या अड़चन है ?

श्री रामकिशोर व्यास—किसमें अड़चन है ?

श्री अध्यक्ष—मैं तो कुछ नहीं समझा, समझ नहीं सके आप भी इसको !

श्री मोतीराम—यह पाबन्दी क्यों है ?

श्री रामकिशोर व्यास—लाइसेंस है, उससे खरीद सकते हैं। दुकान एक ही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २१६

गंगानगर नगरपालिका के एग्जीक्युटिव आफिसर की नियुक्ति के आधार

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर नगरपालिका के एग्जीक्युटिव ऑफिसर के पद पर इस समय कौन काम कर रहे हैं और उनकी क्या ग्रेड है ?

[श्री भैरूसिंह]

(ख) इनको नियुक्ति कब और किस ग्रेड पर हुई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि अब इनको ग्रेड प्रमोशन दिये जाने की सिफारिश की जा रही है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अधिकारी सप्लाई विभाग द्वारा झूंझुनूं से रिश्वत के मामले में बर्खास्त शुदा हैं ?

(ङ) यदि हां, तो इनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) श्री राजेन्द्र गुप्ता, ग्रेड २००-१०-२८०-ई. बी. १५-४०० ।

(ख) दिनांक २४-२-५५ से ग्रेड २००-१०-२८०-ई.बी.-१५-४०० ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने नौकरी के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था उसमें उल्लेख है कि आज से पहले मैं राजस्थान सरकार की सेवा में कभी नहीं था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसे डिटेल्स की मुझे जानकारी नहीं है । सरकार किस कारण से इस बात को कहने की स्थिति में है कि उनको सप्लाई विभाग से बर्खास्त नहीं किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बर्खास्त नहीं किया था । सरप्लस होने के रीजन से या और कोई रीजन से उनको डिस्चार्ज कर दिया था ।

श्री भैरूंसिंह—और कोई रीजन का आपने फरमाया तो इसमें क्या रिश्वत लेने का भी रीजन था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Without assigning any reason the Government discharged him from service. कोई कारण नहीं बताते, तुम चाहो तो और जगह एम्प्लोयमेण्ट सीक कर सकते हो ।

श्री एच० के० व्यास—क्या जिस समय राजस्थान सरकार की सर्विस से डिस्चार्ज का आर्डर आया हुआ था तो कोई डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—No. उसने कहा कि इन्क्वायरी करवाइये, but the Government said that this is a temporary department. इसलिये डिस्चार्ज कराना चाहा था और कहा गया था कि और जगह नौकरी कर सकते हो ।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह इन्क्वायरी की मांग इसलिये की थी कि इस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम था और इसी कारण से उसे डिस्चार्ज किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं अर्ज कर रहा हूं कि without assigning any reason the Government discharged him. इसलिये, तो शिकायत की। अगर रीजन होता तो शिकायत ही किस बात की होती ? The Government said that he was in a temporary department.

श्री भैरूंसिंह—क्या उनकी नियुक्ति के पहले सरकार ने सप्लाई विभाग की उनकी फाइल देखी थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अपोइण्टमेण्ट डिपार्टमेण्ट में लिखा हुआ देखा है . . . . . He may seek any job any where else. We are discharging him without assigning any reasons.

श्री भैरूंसिंह—फाइल देखी थी कि नहीं, मेरा मतलब पूछने का यह है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पर्सनली देखी है, अपोइण्टमेण्ट्स डिपार्टमेण्ट में मौजूद है ।

श्री भैरूंसिंह—फाइल है कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—फाइल में कोई रीजन नहीं दिया हुआ है । I had seen the whole file yesterday.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या २२०

तहसील नोहर व भादरा में इस वर्ष भाखरा केनाल द्वारा दिया गया पानी और उससे सिंचाई

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

तहसील नोहर व भादरा में इस साल भाखरा केनाल द्वारा कितना पानी दिया गया और उससे कितनी सिंचाई हुई ?

श्री खेतसिंह (उप-सिंचाई मंत्री)—तहसील नोहर व भादरा में इस वर्ष खरीफ सन् १९५६ में भाखरा की नहरों से मास सितम्बर तक अनुमानित १००० एकड़ रकबा सिंचित किया गया और ७२९० क्यूसेक दिन पानी आया ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २२१

सार्वजनिक यातायात के लिये उपभोग में आने वाली गाड़ियों को योग्यता प्रमाण-पत्र देने के नियम

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सार्वजनिक यातायात के लिये उपयोग में आने वाली गाड़ियों को सर्टिफिकेट ऑफ़ फ़िट्नेस (योग्यता प्रमाण-पत्र) देने संबंधी कोई निश्चित नियम है ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

Page No 29

[श्री भैरूंसिंह]

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि ऐसा सी. एफ. देने के संबंध में बीकानेर के क्षेत्र में नाना प्रकार की अनियमितताएं की जा रही हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि बस आर. जे. एफ. ३७९ के दिनांक २०-८-५४ का दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के उपरान्त उसका सी. एफ. विलम्बित कर दिया गया था ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि आज इस बस को सी. एफ. पुनः प्राप्त हो गया है जिसके कारण इसके द्वारा सफर करने वाले समस्त यात्रियों का जीवन सर्वथा असुरक्षित है ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि ऐसी ऐसी मोटरों को भी सी. एफ. जारी किये जा रहे हैं जिनका अस्तित्व भी नहीं है ?

(च) सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (यातायात मंत्री)—

(क) मोटर विहिकल्स एक्ट, १९३९ की धारा ३८, ६९ व ७० तथा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ के नियम ७१, ७५ व १५१ से २२९ का अवलोकन करने की कृपा करें।

(ख) जो आपत्ति-पत्र आते हैं उन पर उचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) हां।

(घ) गाड़ी की सब खराबियों को दूर करवा देने के पश्चात् ही फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया और फिटनेस प्राप्त ऐसी गाड़ियों में जनता का जीवन असुरक्षित नहीं कहा जा सकता।

(ङ) ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २२२

पुलिस ट्रेनिंग में सब इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग में भेजे जाने वाले विभागीय व्यक्ति एवं उनमें से हरिजन

श्री तेजपाल—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) इस वर्ष सरकार की ओर से डिपार्टमेन्टली कितने व्यक्ति पुलिस सब इन्सपेक्टरों को ट्रेनिंग के लिये भेजे जावेंगे तथा इनमें से शिडयूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन के लिहाज से कितने भेजे जायेंगे ?

(ख) क्या यह सही है कि इनकी योग्यता न्यूनतम मैट्रिक तक होनी चाहिये ?

(ग) यदि डिपार्टमेन्ट में शिडयूल्ड कास्ट के उपरोक्त योग्यता के व्यक्ति न हों तो क्या सरकार कोटा पूरा करने के लिये डिपार्टमेन्ट के बाहर से शिडयूल्ड कास्ट के नये व्यक्ति लेने का विचार रखती है।

श्री रामकिशोर व्यास—(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२३

चम्बल बेरेज से जल पूर्ति हेतु कोटा डिवीजन की विभिन्न तहसीलों में बनाई गई नहरें

राज श्री हिम्मतसिंह—Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(a) In which tehsils have canals been built in the Kotah Division for the supply of water from the Chambal barrage ?

(b) For how many miles has the canal been built, complete and continuous?

(c) How many acres of land have been acquired for the construction of these canals ?

(d) Has t' e Government paid compensation to all the cultivators whose lands have been acquired so far ?

श्री खेतसिंह (सिंचाई मन्त्री)—(a) Construction of canals is in progress in Tehsils Ladpura, Digod, Anta, Mangrol, Etawah, Pipalda, Indergarh and Baran and Kotah d strict and Patan, Talera and Bundi in Bundi district.

(b) The work of these canals is in progress.

(c) 1723 bighas.

(d) Compensation to the owner of land in respect of which compensation proceedings have been completed, has been paid and the remaining will be paid soon.

श्री हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, (बी) में मैंने पूछा है; "For how many miles has the canal been built, complete and cont nuous." इसका जवाब नहीं मिला है।

श्री खेतसिंह—मैंने जबाब दिया है कि कार्य चालू है। अभी कितना कम्पलीट हुआ है उसके एग्जेक्ट फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इसका पूरा उत्तर मंगा कर मुझे देने की कृपा करेंगे ?

श्री खेतसिंह— यदि आप एग्जेक्ट फिगर्स चाहेंगे तो मंगाये जाएंगे।

श्री हिम्मतसिंह—मैंने फिगर्स ही तो मांगे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टोटल कम्पेन्सेशन कितना दिया गया है ?

श्री मानसिंह—माननीय अध्यक्ष, जवाब तो माकूल आना चाहिये ?

श्री खेतसिंह—जवाब तो माकूल दिया गया है। आपकी आदत ही ऐसी है।

श्री मानसिंह—आपकी समझ में माकूल जवाब दिया गया है, मगर वास्तव में माकूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—We should not waste such jokes. They should be reserved for being used outside the House.

श्री खेतसिंह—कितना रुपया दिया गया, यह अभी मुझे मालूम नहीं है।

श्री एच० के० व्यास—कितना एकड़ लेन्ड में कम्पेन्सेशन दिया गया है ?

श्री खेतसिंह—मैंने निवेदन किया कि (अश्रव्य)

श्री एच० के० व्यास—कितने केसेज डिस्पोज ओफ हो गये ?

श्री खेतसिंह—यह मुझे मालूम नहीं कि कितने केसेज डिस्पोज ओफ हो चुके हैं।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, काफी समय मिल गया था मगर फिर भी पूरा जवाब नहीं मिला है इसलिये इसका जवाब पूरा मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट टर्न पर ले लीजिये। Next. Should we come to Resolution now ?

श्री हिम्मतसिंह—प्रश्न तो अभी बाकी है।

श्री अध्यक्ष—I come here in time, have to wait here for half an hour for the presence of th hon'ble members who do .ot turn up in time.

श्री एच० के० व्यास—अध्यक्ष महोदय, आज १०-१५ बजे से बस की इन्तजार कर रहे थे, बस नहीं आई; और दिनों की बात तो छोड़ दीजिये लेकिन आज के लिये तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि the bus was late.

श्री अध्यक्ष—The Members do not get into the buses. The buses always reach the Government Hostel in time. It may have been the case for today; otherwise even after coming over here the Members go in the lobby and gossip.

श्री हिम्मतसिंह—प्रश्न १० मिनट में समाप्त हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ? प्रश्न संख्या २२४।

प्रश्न संख्या २२४

पदमपुर रायसिंहनगर सड़क पर रोड रोलर द्वारा पिछले दो महीने में किया गया कार्य

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:–

(क) पदमपुर रायसिंहनगर सड़क पर पिछले ४ महीनों में कितना कार्य हुआ है ?

(ख) उस सड़क पर काम कर रहे रोड रोलर ने पिछले दो महीनों में कितना और कहां कहां काम किया है तथा उस पर सरकार का कितना खर्च हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(क) करीब ८३००० रुपये का कार्य हुआ है।

(ख) रोड रोलर दिनांक १-८-५६ से २३-९-५६ तक खराब था। दिनांक २४-९-५६ से ३०-९-५६ तक रोड रोलर ने सड़क पर २१२ से २१४ मील में कोलतार व ४१६ से ५१० मील में सड़क की कुटाई का काम किया। अन्दाजन ४००) रुपये व्यय हुए।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—आप जवाब पढ़ लीजिये।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२५

नगरपालिका लोसल (जिला सीकर) की ओर से डाइरेक्टर के पास भेजे गये बाइलॉज

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) नगरपालिका लोसल, सीकर जिला की ओर से डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के पास म्युनिसिपल बाइ-लॉज किस तारीख को स्वीकृति हेतु पहुंचे ?

(ख) क्या यह सही है कि यह बाइ-लॉज अभी तक मंजूर नहीं किये गये हैं, जिसके कारण नगरपालिका को कोई आमदनी नहीं हो रही है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका ने कर्मचारियों को वेतन चुकाने तक के लिये धन नहीं रहने के कारण सरकारी सहायता के लिये प्रार्थना की है ?

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) ६-८-५६ को।

(ख) जी नहीं। क्योंकि बोर्ड से अन्तिम रूप से पास किये हुए प्रस्ताव की प्रति २०-८-५६ को चाही गई थी जो बोर्ड ने अब तक नहीं भेजी, इसी कारण बाइ-लॉज स्वीकृत नहीं हो सके।

(ग) जी हां। ५०००) रु० की ऋण की मांग की गई थी।

(घ) यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No 33

प्रश्न संख्या २२६

कोटा सिटी व बाग के समीप के तालाब कम भरे जाने से संकट-स्थिति

श्री हिम्मतसिंह--Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(*a*) To what extent in feet the tank near the Kotah City and gardens is filled this year ?

(*b*) Why in spite of heavy rainfall, this year, has the tank not been filled completely ?

(*c*) Is it a fact that due to lack of water in the tank the public gardens will suffer and most of the trees, plants and flowers will die ?

(*d*) What arrangements has the Government made to meet this situation ?

श्री खेतसिंह (उप सिंचाई मंत्री)--(*a*) The tank has been filled this year to a level of 15 feet.

(*b*) As work of rock-cutting in the right main canal was in progress during the rains, water was held up for filling the tank to avoid hind rance in the progress of work. It was anticipated that the work will be completed before the Monsoons actually comes to an end and the last rain will fill the tank. Due to this the tank has remained unfil ed by six feet.

(*c*) There is no such danger.

(*d*) No arrangements seem necessary

श्री हिम्मतसिंह--अगर पानी की कमी आवेगी तो उसके लिये क्या इन्तजाम होगा ?

श्री खेतसिंह--जैसा मैंने निवेदन किया है, पानी काफी है और कमी नहीं आवेगी।

श्री हिम्मतसिंह--तालाब कितना खाली है ?

श्री खेतसिंह--मैंने अर्ज किया और पढ़ कर सुनाया कि तालाब ६ फुट खाली है।

श्री अध्यक्ष--अभी बताया है कि ६ फुट खाली है।

प्रश्न संख्या २२७

श्री नारायण चतुर्वेदी

(अनुपस्थित)

श्री जगतसिंह झाला।

प्रश्न संख्या २२८

उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर व कोटा में जनता को नल द्वारा जल देने की दर

श्री जगतसिंह झाला—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर व कोटा में नलों द्वारा जनता को पानी देने की क्या दरें हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि और जगहों के मुकाबले में उदयपुर में पानी की दर तथा मीटर किराया अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार इन डिवीजनल हैड क्वार्टर्स में समान दर कायम करने का विचार कर रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—

(क) उदयपुर—आधा इंच या पौन इंच एक रुपया प्रति मीटर प्रति माह ।

१।) प्रति हजार गैलन ।

(ख) बीकानेर १।) रु० प्रति माह मीटर का व १।।) रु० प्रति १०,००० गैलन तक, १।) रु० १० हजार से ३० हजार गैलन तक । व १ रु० ३०००० गैलन से ऊपर तक ।

जोधपुर—१४ आना प्रति ।। इंच का मीटर प्रति माह व एक रुपया दो आना ।।। इंच का प्रति माह । एक रुपया प्रति हजार गैलन ।

जयपुर—आधा इंच के नल के लिये प्रतिमाह ८ आना प्रतिमाह । एक रुपया प्रति हजार गैलन कम से कम चार्ज १।। रु० प्रतिमाह ।

कोटा—१० आना आधा इंच का, १४ आना पौन इंच और सवा रु० १ इंच के पा० । ८ आने प्रति हजार गैलन ।

श्री जगतसिंह झाला—(ख) और (ग) का जबाब नहीं दिया ।

श्री रामचन्द्र चौधरी—(ख) नहीं । (ग) नहीं ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या रेट और जगह से उदयपुर में ज्यादा नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—कुछ ऐसा ही है । जयपुर में १।। आना फी यूनिट की दर से बिजली है उदयपुर में ३ आना फी यूनिट है इसलिये उदयपुर में खर्चा अधिक आता है ; कहीं कुछ दर है और कहीं कुछ दर है ।

श्री जगतसिंह झाला—क्या इन दरों में समानता करने का सरकार का विचार है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—समानता नहीं हो सकती ।

प्रश्न-संख्या २२६

बीकानेर पशु-चिकित्सालय में टेलीफोन व्यवस्था

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर पशु चिकित्सालय में टेलीफोन लगाने की मांग कब से की जा रही है ?

(ख) क्या टेलोफोन लगाने का सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था ?

(ग) यदि हां, तो कब ?

(घ) अब तक नहीं लगने का क्या कारण है ?

(च) इस ढिलाई के लिये कौन अधिकारी जुम्मेवार है ?

(छ) क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या (कृषि मंत्री)—

(क) गत वर्ष से ।

(ख) हां, स्वीकृति दे दी गई है ।

(ग) स्वीकृति आज से ६ महीने पहिले दे दी गई है ।

(घ) टेलीफोन अधिकारियों को लिखा गया ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्रभुदयाल—यह कब तक लग जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या— सामान आ जाने पर लग जावेगा ।

श्री प्रभुदयाल—आपने कहा कि पिछले साल मंजूरी दे दी थी, क्या यह सही है चार साल से बराबर मंजूरी मिलती जा रही है ।

श्री भोगीलाल पंड्या—गत वर्ष जरूर स्वीकृति दी गई थी और इसका उत्तर भी पहले दे दिया जा चुका है ।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है जिन्होंने अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

Page No 36

प्रश्न संख्या २३०

डा० ब्रजबिहारी सक्सेना एवं केशो प्रसाद खुंटेटा द्वारा राजकीय सेवा छोड़ने के कारण

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--Will the Medical and Public Health Minister be pleased state :—

(1) Is it a fact that Drs. Brij Beharilal Saxena and Kesho Pratap Khutenta left the service of the Medical Department and joined elsewhere in the State?

(2) Is it also a fact that they were compelled to leave the services of the Medical Department on account of personal prejudices and ill treatment of the present D.M. & H.S.?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री)—

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या यह सही है कि इन दोनों डाक्टरों का स्थानान्तरण बार बार किया गया, इसलिये इनको नौकरी छोड़नी पड़ी और दूसरी जगह जाकर जोइन करना पड़ा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे हमारे यहां डाक्टर थे, दूसरी जगह भी वे मेडिकल डिपार्टमेंन्ट में गये हैं । एक तो हाउस सर्जन बन कर गये हैं और दूसरे को डिमोन्सट्रेटर बनना था इसलिये उन्होंने नौकरी छोड़ दी ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या उनकी सर्विसेज को ट्रान्सफर किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--दूसरी जगह ट्रान्सफर करने का नियम नहीं है ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनका बार बार स्थानान्तरण किया गया था, इसलिये उनको जाना पड़ा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--ऐसी मेरी जानकारी नहीं है ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—क्या उनके साथ इल-ट्रीटमेन्ट हुआ इस वजह से उनको यहां की नौकरी छोड़नी पड़ी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--इसमें इल ट्रीटमेंट का कोई सवाल नहीं ।

श्री अध्यक्ष--Frequent transfers does not mean ill-treatment. There should be specific question about frequent transfers. Ill-treatment is quite a different affair.

Page No 37

प्रश्न संख्या २३१

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, पब्लिक इन्टरेस्ट में इसका उत्तर दिया जाना उचित नहीं होगा ?

प्रश्न संख्या २३२

डा० बी० एन० शर्मा डाक्टरों के वरिष्ठ निर्णायक समिति के सदस्य होने के नाते उस समिति की अवैधता

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will the Medical and Public Health Minister kindly state:—

1. Whether Dr. B.N.Sharma, the present D.M. & H.S., was a member of the Committee which decided his own seniority amongst the doctors ?

2. If so, were the recommendations of the aforesaid committee be set aside and a fresh committee constituted with appropriate terms of reference to decide the matter ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--जिस समय डॉक्टरों की वरिष्ठता निर्णय करने के लिये कमेटी बनायी गई थी उस समय डा० शर्मा उसके सदस्य नहीं थे; निम्नलिखित सदस्य बनाये गये थे :

(१) श्री किशनपुरी, एक्स चेयरमेन, रेवन्यु बोर्ड ।

(२) डा० केलावकर, डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज ।

(३) श्री सरदारी लाल कक्कड़ और (४) डा० मेनन ।

२. आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि वरिष्ठता के बारे में जो सिफारिशें कमेटी ने की हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं ।

एक माननीय सदस्य--क्या यह सही है कि डा० केलावकर के जाने के बाद डा० शर्मा को उस कमेटी का सदस्य बना लिया गया था ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जिस कमेटी द्वारा डा० शर्मा की खुद की सीनियोरिटी का भी निर्णय होना था उसी कमेटी के अन्दर डा० शर्मा को क्या स्थान दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कमेटी में डी० एम. एच. एस. को रखने का नियम था । जब श्री केलावकर चले गये तो उनके स्थान पर जो डी. एम. एच. एस. हुए तो वे उस कमिटी में आ गये ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--जब उनको खुद की सीनियोरिटी का भी सवाल उस कमेटी के अधीन था तो उनको क्यों रखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह कमेटी तो पहले ही बनी हुई थी, उसमें श्री शर्मा नहीं थे।

श्री अध्यक्ष—He says that the person who was D.M. and H.S., his interest was involved in that Committee; that is the question.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वे तो उस कमेटी में आते थे। उसके लिये जो रूल्स बनाये गये, जो फॉर्म्स बनाये गये वह तो उनके शामिल होने से पहले बन चुके थे and that was approved by the Government. They are only recommendations. The Government are examining all the recommendations. Dr. Kelawkar was D.M. and H.S. and now Dr. Sharma is D.M. & H.S.

श्री अर्वानकुमार मुकर्जी—मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब कि डा० शर्मा का खुद का इंट्रेस्ट था, डा० केलावकर की पोजीशन तो दूसरी थी और इनकी पोजीशन दूसरी थी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पोजीशन तो वह है जो डा० केलावकर की थी और वही डा० शर्मा की है। वे भी डाइरेक्टर ओफ मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज थे और डा० शर्मा भी डाइरेक्टर ऑफ मेडीकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज हैं। दोनों की पोजीशन में कोई भिन्नता नहीं। इसमें भी उनके इन्ट्रेस्ट की कोई बात नहीं। The question is pending before the Government and we are examining it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—डा० शर्मा डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज की पोस्ट पर प्रोवीजनली अपोइन्टमेन्ट हुआ है, उनका कन्फरमेशन होना बाकी है. इसी बिना पर फोर्मर डाइरेक्टर की पोजीशन में और मि० शर्मा की पोजीशन में भिन्नता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It makes no difference, whether a doctor is a permanent or temporary?

श्री हरिकृष्ण व्यास—He has been only provisionally appointed to officiate as D.M.& H.S. and, therefore, in regard to seniority he is also a person-an incumbent-whose seniority will be fixed. Therefore his position is entirely different from the former D.M. & H.S. As has been said that he has been provisionally permitted, so is it a fact that the substantive position of Dr. Sharma remains as that of a surgeon.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—फोर्मर डाइरेक्टर में और इन डाइरेक्टर की पोजीशन में कोई भिन्नता नहीं, जो पावर्स उनको थे वे ही इनको हैं। यह तो अपोइन्टमेन्ट का तरीका होता है कि किसी को ६ महीने के लिये नियुक्त कर दिया जाय और उसके बाद फिर ६ महीने के लिये नियुक्त कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सब्स्टेन्टिव पोजीशन डा० शर्मा की एज़ ए सर्जन है और उनका खुद का केस सीनियोरिटी के सिलसिले में जेर एग्जामिनेशन है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—He has been appointed Director of Medical and Health Services.

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि notwithstanding his appointment as a Director डा० शर्मा की रेस्पेक्टिव पोजीशन इन दो डिपार्टमेंन्ट एज ए सर्जन है और उनका खुद का पर्सनल केस सीनियोरिटी के तय करने के बारे में उस कमेटी के सामने जेर तजवीज है; still under consideration pending decision ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--सीनियोरिटी के बारे में कमेटी की सिफारिश सरकार के पास आ चुकी है, उनका कन्फर्मेशन होना बाकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अगर ऐसी स्थिति है, जिस लिस्ट में डाक्टरों की सीनियोरिटी तय करने का सवाल है उसमें डा० शर्मा खुद एक इनकम्बेन्ट है तो खुद के मामले को तय करने वाली कमेटी में उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मैं इसका जवाब दे चुका हूं, आप उसको समझो नहीं तो मैं क्या करूं ? जो सीनियोरिटी के बारे में उस कमिटी ने सिफारिश की है वह गवर्नमेंन्ट के पास फाइनल होने के लिये आयी है, सरकार उसको एग्जामिन करेगी, इन्टीग्रेशन डिपार्टमेंन्ट उसको एग्जामिन करेगा, it is being examined. That committee has only made recommendations and he is not the only member of the Committee. उस कमेटी के केवल वे ही मेम्बर नहीं हैं। चीफ सेक्रेटरी भी मेम्बर हैं, डिपार्टमेंन्ट के दूसरे सेक्रेटरी भी उसमें हैं। उसके अलावा डा० मेनन भी उस कमेटी में है। जब डाक्टरों की सीनियोरिटी तय करने में कोई डाक्टर नहीं होगा तो कैसे संभव हो सकता है कि उनको सीनियोरिटी तय करना। डाइरेक्टर ऑफ मेडीकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज उसमें लेने का मतलब यह था कि वे ही डाक्टरों में सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं; he must be in that committee, otherwise सारा मामला गड़बड़ होजाता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि ऐसे मसले जब कभी सरकार के सामने आये हैं तो भारत सरकार के विशेषज्ञों को बुलाया गया और उनके द्वारा तय कराया गया, यही एक ऐसी मिसाल है जिसमें खुद के मामले को तय करने के लिये उसी व्यक्ति को उसमें रखा गया ? There is not a single case of this nature so far found in Rajasthan excepting this.

श्री अध्यक्ष--आप यह तो आर्गुमेन्ट दे रहे हैं। It is not a question of arguments. The intent and purpose of asking questions is to elicit facts from the Ministry and expose it. There is no occasion for any discussion.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी--अध्यक्षमहोदय, सवाल मैंने पूछा है इसलिये मुझे प्रश्न करने का अधिकार होना चाहिये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अन्य सेवाओं के लिये सीनियोरिटी डिसाइड करने के लिये जो प्रोसीजर अख्त्यार किया गया, क्या उसी प्रणाली का इस सिलसिले में भी अवलम्बन किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--मैं समझा नहीं।

श्री भवानीकुमार मुकर्जी–मैं यह पूछना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में डाक्टरों की सर्विसेज के अलावा दूसरी भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज में सीनियोरिटी निर्धारित करते समय क्या ऐसे व्यक्ति को भी रखा गया जिनका खुद का केस उसमें आता हो या केवल यह एक ऐसी कमेटी आपने नियुक्त की जिसमें एक डा० शर्मा का खुद का केस शामिल था और उनको उसमें तय करने के लिये रखा गया? क्या इसी कमिटी के सिलसिले में यह प्रणाली अपनायी गई?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता–उनका अपोइन्टमेन्ट उस कमेटी में नहीं किया गया। पहले केलावकर थे, उन्हीं के समय के रूल्स बने हुए हैं, फोर्म्स बना दिये गये थे। जब डा० शर्मा डाइरेक्टर बने तो वे केलावकर की जगह आ गये। इसके अलावा जो उस कमेटी ने सिफारिशें की हैं गवर्नमेन्ट उनको एग्जामिन कर रही है।

श्री मानसिंह महार––उस कमेटी में डा० शर्मा का नाम क्यों रखा गया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता––अध्यक्ष महोदय, मैंने कितनी बार ही निवेदन कर दिया; उस कमेटी में उनका नाम नहीं था, उसमें तो डा० केलावकर का नाम था।

श्री मानसिंह महार––क्या जिस समय डा० शर्मा की सीनियोरिटी के बारे में तय हो रहा था, क्या उस समय वे उस कमेटी से उठ कर चले गये थे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता––हां, मेरी जानकारी भी ऐसी ही है।

श्री मानसिंह महार–जानकारी नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वे उसमें मौजूद थे या नहीं?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष–हां साहब, एक क्वेश्चन और है वह कल परसों से आरहा है। भैरोंसिंहजी का नम्बर १०४ दामोदरलाल जी के जवाब देने के लिये। कल रक्खा था तो इन्टीमेशन आया कि आज देंगे, २२ को रक्खा तो कहा गया २३ को देंगे। तो अब कल रक्खें इसको?

श्री भोगीलाल पंड्या (वाणिज्य मन्त्री)––जी हां, उनको याद दिला देंगे।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष––सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री भानुप्रतापसिंह ने २२ अक्टूबर, सन् १९५६ से २६ अक्टूबर, सन् १९५६ तक के लिये विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान पशु-पक्षी (बलिदान प्रतिषेध) विधेयक, १९५६ को कार्य सूची में रखने सम्बन्धी आपत्ति

श्री अध्यक्ष--श्री भैरुंसिंह ।

श्री भीमसिंह--अध्यक्ष महोदय, आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि गये टाइम दिनांक १६ मई, १९५६ को जब पशु-पक्षी बिल टेक अप हुआ था तो आपने ओब्जर्वेशन दिया था कि इस सदन के लाइफ टाइम तक यह एजेन्डा पर नहीं लिया जावेगा। पर वह आज के एजेन्डा पर मौजूद है, इसलिये मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--अभी लिया थोड़ा ही जा रहा है।

श्री भीमसिंह--यह दुबारा आगया इसलिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--That will not be taken up.

सरकारी धन के दुरुपयोग व गबन की रोकथाम हेतु विधान सभा के सदस्यों की समिति के निर्माण सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

श्री भैरूंसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन की सम्मति है कि श्री टीकाराम पालीवाल, श्री हिम्मतसिंहजी कुन्हाडी, श्री वेदपाल त्यागी, श्री रामकरण जोशी, सदस्य राजस्थान विधान सभा की एक समिति बनाई जावे जो सदन को सरकारी रकम के दुरुपयोग एवं गबन की रोकथाम के लिये सुझाव पेश करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को लेकर यह प्रस्ताव किया गया है वह विषय राजस्थान के लिये कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का ज्ञान तो समय समय पर राजस्थान विधान सभा में सरकारी रकमों के दुरुपयोग एवं गबन के मामलों से, जो इस सदन के कतिपय माननीय सदस्यों ने सदन में प्रस्तुत किये हैं, उनका आभास मिलता है।

केवल इतना ही नहीं, जिस समय भी इस प्रकार के गबन के मामले और सरकारी रकम के दुरुपयोग के मामले दिनों दिन बढ़ने लगे तो हमारी राजस्थान की सरकार भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त करने लगी और उन्होंने इस चिन्ता के कारण जून, १९५३ में एक एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी कमेटी की नियुक्ति की। उस समय कुछ ऐसा लग रहा था कि जब यह एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी कमेटी राजस्थान में नियुक्त हो जावेगी तो इसके बाद में राजस्थान में अव्वल तो एम्बेजलमेन्ट के केसेज इतने जो हो रहे हैं उनकी रोकथाम होगी और दूसरे आज तक जितने भी एम्बेजेलमैन्ट इत्यादि के केसेज जो ध्यान में आये हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करके जो कल्प्रिट होंगे उनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा मिलेगी और जो रकम इसमें इन्वोल्व है वह रकम भी वापिस बरामद करली जावेगी।

लेकिन जून, १९५३ से लेकर इसके कार्यकाल तक, जितने भी मामले इस कमेटी के सामने आये उन मामलों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है, मैं कह सकता

[श्री भैरूंसिंह]

हूं कि वह किन्हीं रिकार्डों पर आधारित अधिकृत जानकारी है और उसके अनुसार २०० मामले इसके समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उनमें से जब तक सिर्फ २२ मामलों को निपटाने की बात कही गई है बाकी मामले यों के यों अनिर्णीत हैं। इनके डिस्पोज ऑफ नहीं होने का असर राजस्थान की जनता पर जो पड़ना था वह तो पड़ा ही, बल्कि ऐसे कर्मचारियों पर जो सरकार के धन का दुरुपयोग करना चाहते थे, उसका गबन करना चाहते थे, उनको प्रोत्साहन मिला है एक रूप में। उन्होंने सोचा कि यदि गबन के मामले होते हैं तो पहले तो कई वर्षों तक वे मामले उच्चाधिकारियों तक प्रस्तुत ही नहीं होते और इसके बाद कभी प्रस्तुत भी हुए तो उनकी एन्क्वायरी इतनी लम्बी होती है कि जिसके कारण जो असली कलप्रिट हैं वे अपने बचाव की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एम्बेजेलमेंन्ट एन्क्वायरी कमेटी ने जिन मामलों पर सिफारिश की वे सारे ही मामले चीफ सेक्रेटरी के सामने आये। इससे इस बात की उम्मीद की गई कि जिन अधिकारियों के खिलाफ इस एम्बेजलमेंन्ट एन्क्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है उनको कम से कम चार्ज शीट दिया जावेगा और उनको सजा दी जावेगी। पर चीफ सेक्रेटरी स्वयं ऐसे मामलों की एन्क्वायरी करे, स्वयं ऐसे अभियुक्तों पर चार्ज शीट लगाकार उनको सख्त से सख्त सबक दे, यह न करके उन्होंने एक नया विभाग और खोल दिया और कहा गया कि वह नया विभाग एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी ऑफिसर के नाम से एक नये अफसर के मातहत राजस्थान में रहेगा। माननीय अध्यक्ष, फरवरी, १९५४ में उस एम्बेजलमेन्ट अधिकारी की नियुक्ति हुई। तो जो एम्बेजलमेन्ट कमेटी ने एक्शन लेने, चार्ज शीट देने और उन पर सजा देने के लिये जो मामले चीफ सेक्रेटरी के पास भेजे थे वे सारे मामले एक्शन लेने के लिये और चार्ज शीट देने आदि के लिये इस अफसर को दे दिये गये। उस समय ऐसी आशा थी कि कम से कम अब इस चालू वर्ष में इनका डिस्पोजल हो जावेगा। तो इनमें कुछ केसेज तो ऐसे रहे जो चीफ सेक्रेटरी ने अपने पास रखे और कुछ ऐसे थे जो इस अफसर के सामने चले गये। फरवरी, १९५४ में इस अफसर की नियुक्ति हुई।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, इन ६ महीनों के लिये उसकी नियुक्ति हुई। इस कार्यकाल में इस अफसर ने कइयों को चार्जशीट दिये, कई केसेज इन्वेस्टिगेट किये और बाकी में कइयों को बरी करने की भी सिफारिश की। लेकिन जब इनकी ६ महीने की अवधि समाप्त हुई तो इसके बाद चाहिये तो यह था कि जो काम बाकी था उसको पूरा किया जाता, यदि इस अफसर के सामने और भी मामले थे तो उनकी एन्क्वायरी होती, जिनकी एन्क्वायरी हो चुकी थी तो उन पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करना बाकी था और किन्हीं पर रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जा चुकी थी तो उनको चार्ज शीट देने का काम बाकी था, वह काम पूरा होता और वह अफसर अपना काम जारी रखता। पर हमारी सरकार तो चौंकती भर है ऐसे मामलों में और वह भी दिखावे के रूप में। कहने की कोशिश भर करती है कि डेमोक्रेटिक रूप में वह काम करने में प्रयत्नशील है। उसके प्रयत्नशील होने का यह एक नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जिस अफसर की नियुक्ति फरवरी, ५४ में होती है वह ६ महीने के लिय होती है और ६ महीने के बाद वह अफसर काम करना बन्द कर देता है। इस ६ महीने के समाप्त होने के बाद तीन महीने तक अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, तक इस अफसर की नियुक्ति के बारे में या इसकी कार्यकाल की अवधि को बढ़ाने के बारे में कोई आज्ञा प्रसारित नहीं करती है और उधर ६

[श्री भैरूंसिंह]

महीने की अवधि समाप्त हो जाने से उस अधिकारी के पास कोई जायज आधार नहीं था, कोई जूरिस्डिक्शन नहीं था कि जिससे वह इन केसेज, की एन्क्वायरी होल्ड करता और आगे कार्यवाही करता। इन तीन महीनों तक वह बैठा रहा और १२००) महीने की तनखा लेता रहा चुपचाप। फिर सरकार उसका एक्स्टेन्शन करती है फरवरी, ५४ से लेकर एक वर्ष के लिये। अब सरकार से पूछें हम कि अगर ऐसे मामलों में आप दिलचस्पी वाकई रखते होते और दिखावा नहीं करते होते तो फिर कौनसे कारण थे कि उस अफसर की अवधि समाप्त हो जावे और तीन महीने तक पता ही नहीं रहे, वह १२ सौ रुपया मासिक पाने वाला अफसर एक भी केस अपने पास न रक्खे और तीन महीने तक बैठा बैठा तनखा लेता रहे और अपना जूरिस्डिक्शन न होने के कारण कोई निर्णय किसी मामले पर न दे और जनता की गाढ़ी कमाई का तीन महीने का ३६००) रुपया यों ही बरबाद हो जाय और सरकार चौथे महीने में उसका एक्स्टेन्शन करे ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पता लगता है कि हमारी सरकार ऐसे एम्बेजेलमेंन्ट के केसों में कोई विशेष प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखती। यदि ऐसा भी मान लें कमेटी की स्थापना से, अफसर की नियुक्ति से कि अब आगे से कम से कम ऐसे मामलों की कमी हुई है तो भी सन्तोष हो सकता है। ऐसा महसूस किया जा सकता है कि हमारी सरकार ऐसे एम्बेजेलमेंन्ट के मामलों में सतर्क है और चाहती है कि जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है उस पैसे का दुरुपयोग न हो। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब के साथ पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी १९५५-५६ के पेज १७ के ऊपर जो उन्होंने एक स्टेटमेंट तैयार किया है कि जिस स्टेटमेंट के आधार पर यह पता लगेगा कि राजस्थान में ३०० एम्बेजलमेंट के केसेज हुए हैं और उनके १३,४१,०००) रु० की प्रापर्टी इन्वाल्ड है, आपके सम्मुख पेश करता हूं और राजस्थान में जो अपने आपको सक्रिय कहना चाहते हैं, जो एम्बेजलमेंट के केसेज को रोकने के लिये अपने आपको बहुत प्रयत्नशील बताते हैं उनके द्वारा कुल २,००,०००) रु० अभी तक बरामद हुए हैं। इन पांच वर्षों के अन्दर १३ लाख रुपयों का गबन हुआ और उसमें से २ लाख रूपये की बरामदगी हुई, ११ लाख रूपये उसी प्रकार बकाया रहे। यह इस बात का संकेत है कि हमारी राजस्थान सरकार एम्बेजलमेंट के केसेज में बिल्कुल ही अयोग्य सिद्ध हुई है।

अब केवल यह कह दिया जाय कि हमारी सरकार इस मामले में अब भी सतर्क है तो इस सतर्कता का एक थोड़ा सा हवाला मैं ऑडिट रिपोर्ट का, जो कि आडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट १९५५ में इन्हीं एम्बेजलमेंट केसेज के बारे में जिक्र किया है, एक पेरेग्राफ, माननीय उपाध्यक्ष, पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें लिखा है —

"One hundered forty-three cases of embezzlements and defalcations involving about Rs. 9.68 lakhs were pending for final orders on 1st January, 1955. A statement of these cases by years of report and departments showing the number of cases and amounts involved in each department, is given in Appendix "A." एपेन्डिक्स "ए" का जिक्र बाद में करूंगा। उन्होंने जो अपना निर्णय दिया है वह यह है :—

"It shows that:—

(i) the number of cases coming to notice is increasing from year to year,

[श्री भैरूंसिंह]

(*ii*) 45 cases, the maximum number, were reported in the year 1953-54 alone, while the number reported in the 1st nine months only of the year 1954-55 is 44; and"

इसका मतलब यह हुआ कि १९५३-५४ में जहां ४५ केसेज एम्ब्रेजलमेंट के होते हैं वहां १९५४-५५ के नौ महीनों के अन्दर ४४ केसेज होते हैं। कहने का तात्पर्य यह ह कि जहां १९५३ में एम्ब्रेजलमेंट कमेटी और १९५४ में एम्ब्रेजलमेंट ऑफिसर को नियुक्ति करते है उसी वर्ष में जिन दिनों एम्ब्रेजलमेंट इन्क्वायरी कमेटी काम करती है, एम्ब्रेजलमेन्ट ओफिसर काम करते हैं, राजस्थान सरकार की रकम का दुरुपयोग, गबन के रूप में, दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। और इतनी तरक्की की कि ९ महीनों में ४४ केसेज एम्बेजलमेन्ट के डिटेक्ट हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल यह कह देना कि एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी केमेटी के मुकर्रर करने के बाद या एम्ब्रेजलमेंट एन्क्वायरी ओफिसर के मुकर्रर करने के बाद एम्बेजलमेंट केसेज में कमी आई है तो मैंने इस बात के लिये पब्लिक एकाउन्टस कमेटी का हवाला दिया है, ओडिट रिपोर्ट १९५५ का हवाला दिया है ताकि माननीय सदस्यों को सरकार मुगालता नहीं दे सके कि एम्बेजलमेंट एन्क्वायरी कमेटी या एम्ब्रेजलमेंट एन्क्वायरी ओफिसर की नियुक्ति कर देने से वह सारे मामले ठीक होते जा रहे हैं।

प्रश्न, माननीय उपाध्यक्ष, अब यह है कि १९५५-५६ और १९५६ में कितने मामले एम्ब्रेजलमट के अन्दर हुए हैं जिनके बारे में कि सरकार को सतर्क होना चाहिये था और सरकार सतर्क नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि ऐसे केसज को मैं दो भागों में विभक्त करूंगा। एक ऐसे केसेज ह कि जिनमें सरकार के अधिकारियों के हाथ में सोधा सरकार के पैसे का नियन्त्रण है और एक ऐसे एम्ब्रेजलमेंट केसेज हैं जिनमें सरकारी अधिकारियों के हाथ में जनता का धन नहीं है लेकिन ऐसी संस्थाओं का धन हाथ में है जिनको हम सरकारी सस्थाएं तो नहीं लेकिन गवर्नमेंट एडेड ओरगेनाइजेशन कह सकते हैं। यानी ऐसे आरगेनाइजेशन जिनके काम करने वाले गवर्नमेंट एडेड नहीं हैं लेकिन गवर्नमेंट ने उनको गवर्नमेंट का रुपया खर्च करने को दिया है। यह दो श्रेणियों के एम्ब्रेजलमेंट केसेज हैं। उनको अलग अलग रूप से देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा धन जो सरकार के रूप में सरकारी धन है वह किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी १९५२-५३ की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था। सरकार को इस बात से आगाह किया था कि एम्ब्रेजलमेंट केसेज दिनोंदिन बराबर बढ़ते जा रहे हैं उनकी रोक थाम की जाय। १९५३-५४ में भी इस प्रकार की रिक्वेस्ट की गई थी। ५४-५५ में भी इस प्रकार की रिक्वेस्ट हुई थी, लेकिन न मालूम क्यों सरकार एम्ब्रेजलमेंट के केसेज में इन्ट्रेस्टेड है? उसके लिये कोई रोकथाम नहीं बल्कि जो पकडे जायं उनके लेने देने की भी कोई तजवीज नहीं होती है। यह दिनोंदिन इस ढंग से बढती जा रही है कि यदि किसी मामले में एन्क्वायरी की जाय तो जबरदस्त घोटाले मालूम होते हैं।

कुछ दिन पहले इसी सदन में इस बात का जिक्र हुआ था कि राजस्थान के पी. डब्लू. डी., राजस्थान पॉवर हाउसेज में, जयपुर के पॉवर हाउस में इस प्रकार बहुत दुरुपयोग होता है। जिसके अन्दर रकम रखी गई तो उस रकम का पता नहीं लगता है, जिसमें कोई सामान खरीदा गया तो उस

[श्री भैरूंसिंह]

सामान का पता नहीं लगता है, जिसके अन्दर कोई रेकॉर्ड रखा गया है तो रेकॉर्ड का कोई पता नहीं लगता। आज से कुछ दिन पूर्व इसी सदन में इस बात की चर्चा हुई थी कि राजस्थान में श्री सत्संगी के खिलाफ कई इस बात की शिकायतें हैं कि राजस्थान पॉवर हाउसेज का लाखों रुपया उन्होंने गबन किया है। इस बात की एन्क्वायरी रेवेन्यू बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमेन श्री राणावत ने की थी। श्री राणावत ने अपनी रिपोर्ट राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के पास भेज दी। उन्होंने उसमें इस बात की अपेक्षा की कि सत्संगी ने लाखों रुपयों का गबन किया है। उनके मामलों में जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाय। लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया इसके बावजूद भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने भी श्री सत्संगी के विषय में जयपुर पॉवर हाउस की जांच की थी। वे भी इस नतीजे पर पहुंचे कि पॉवर हाउस की मशीनरी खरीदने में, पॉवर हाउस के लिये कोयला खरीदने में, पॉवर हाउस के लोगों को तनख्वाह देने में, पावर हाउस के लोगों की नियुक्ति करने में श्री सत्संगी ने लाखों रुपये का घोटाला किया है, लाखों रुपयों का माल गायब किया है। उसके खिलाफ तुरन्त से तुरन्त कार्यवाही की जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों में जिस प्रकार की अफवाह है उस अफवाह के आधार पर कह सकता हूं कि श्री सत्संगी के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिये तैयार नहीं है। क्यों नहीं ? क्योंकि उनके एक रिश्तेदार कांग्रेस में एक पद ग्रहण किये हुए हैं। पद हो नहीं लेकिन उस पद के कारण वे अच्छे अच्छे मिनिस्टरों को प्रभावित उन्होंने कर रखा है। मिनिस्टर्स यदि यह कहें कि उनके हाथ की कठपुतली होकर किसी भी प्रकार का काम करने को तैयार हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि आखिर एम्बेजलमेंट के केसेज क्यों होते हैं ? एम्बेजलमेंट के केसेज होने के बाद भी सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती है ? इसका डिटेल तो मैं आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कुछ उन मुद्दों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना है कि आज एम्बेजलमेंट किसी सरकारी संस्थाओं में ही नहीं हो रहा है बल्कि अर्धसरकारी संस्थाओं के नाम जनता के धन का दुरुपयोग और गबन होता है। उनको लेकर आपको पता लगेगा कि हमारा धन किस प्रकार से सुरक्षित है ?

राजस्थान में यह कई दिनों तक चर्चा चली है कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लाखों रुपयों का गबन हुआ है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लाखों रुपयों का गबन हुआ और उसके चेयरमेन थे आज के हमारे लोकसभा के सदस्य श्री बंसीलाल जी लुहाडिया। उनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं आज उनकी कद्र इस दृष्टि से नहीं करता हूं कि वे लोकसभा के सदस्य हैं लेकिन उनसे घृणा इस दृष्टि से करता हूं कि चेयरमेन होकर उन्होंने राजस्थान की गरीब जनता का कई लाखों रुपयों का गबन किया है। और गबन ही नहीं किया है बल्कि जयपुर की गरीब जनता के उस पैसे से उन्होंने जयपुर में एक बड़ा भवन तैयार किया, एक यादगार के रूप में कर दिया कि गबन के मामले में भी मकान बन सकता है और राजस्थान सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती है। (शेम, शेम) सरकार ने ऑर्डर दिया कि एन्क्वायरी की जाय। एन्क्वायरी के लिये कोर्ट्स में यह बयान होने लगे और बयान होने पर बयानों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख आया कि श्री बन्सीलाल ने अमुक आदमी को रुपये दिये और लेने वाला कहता है कि दिये नहीं। रसीद पेश की जाती है। जांच की जाती है तो

[श्री भैरूंसिंह]

रसीद लिखने वाले का पता नहीं, रसीद पर दस्तखत करने वाले का पता नहीं, वाउचर्स का किसी को पता नहीं। कोई काम हुआ है या नहीं इस बात का जिक्र नहीं। रुपये ड्रॉ किये जाते हैं। रुपये ड्रॉ करते करते इतने बढ गये कि वह लाखों पर चले गये। मालूम यहां तक हुआ था कि श्री बन्सीलाल लुहाड़िया अब गिरफ्तार होने वाले हैं, लेकिन उनको हमने लोकसभा का सदस्य बनाकर भेज दिया। इससे पहले उनका किसी दूसरे दल से सम्बन्ध था, लेकिन उस गिरफ्तारी से बचने के लिये उन्होंने देखा कि जिस दल की हुकूमत है और उस दल में जो दल आज सत्तारूढ है उस दल के यदि पैर पकड़ लिये जायें या उसका साथ दिया जाय तो बहुत मुमकिन है कि बच सकते हैं। उन्होंने यही कोशिश की कि आज जो वर्तमान में सत्तारूढ दल है उसका पक्ष लेकर इस बात की चेष्टा की कि वे किसी तरह से बच जांय।

जिस समय वे एक दूसरे दल से सम्बन्धित थे उनके मामले पुलिस को दिये गये, वे मामले आज तक पुलिस के समक्ष विचाराधीन हैं और कुछ मामलों में तो पुलिस का इन्टलीजेन्स ब्रान्च अपनी इन्टरिम रिपोर्ट भी कर चुका है और उसमें यह कहा है कि इनका चालान कराया जाय, लेकिन न मालूम क्यों सरकार उनका चालान करने के लिये तैयार नहीं है? एक दल बन्दी के कारण, एक दल विशेष से सम्बन्धित होने के कारण, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने लाखों रुपया का घोटाला किया, एक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से लाखों रुपयों का गबन करने के अपराध में इन्वोल्व है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यह कहा जा सकता है कि बड़े नेता हैं, ऐसा समझ लें कि बडे नेता के कारण से, लोकसभा के सदस्य होने के कारण से या एक ऐसे व्यक्ति होने से, एक दल विशेष से सम्बन्धित हैं चालान रोका जाय, सरकार द्वारा चालान न किया जाय यह तो समझ में आ सकता है। लेकिन प्रश्न आता है कि ऐसे आदमियों को छोड सकते हैं, ऐसी संस्थाओं को रुपया दे सकते हैं जिनका हमें इत्मीनान नहीं है, ऐसी संस्थाओं को रुपया दे सकते हैं जिनकी हमें तसल्ली नहीं है, यह भी तसल्ली नहीं है कि जो रुपया हम दे रहे हैं वह उस काम में आजावेगा में उस बात का जिक्र करूगा, उपाध्यक्ष महोदय, जिसके बारे में कल प्रश्नोत्तर काल में ज्ञान कराया गया। कल प्रश्नोत्तर काल में एक अजीब प्रश्न पूछा गया था, उपाध्यक्ष महोदय, जिसके कारण से सदन को जानकारी कराई गई कि राजस्थान सरकार ने चर्म उद्योग के नाम से किसी उप-मन्त्राणी के पति को ३५ हजार रुपया नकद दिया है। किसी इन्डस्ट्री के उत्थान के लिये रकम दी जाय, जो रकम उधार के रूप में दी जा रही है, जो रकम सहायता के रूप में दी जा रही है उसका निश्चित रूप से उपयोग होगा ऐसा मान कर चलना चाहिये। जिस व्यक्ति को जिस काम के उपयोग के लिये रुपया दिया जाय तो निश्चित रुप से वह विश्वासी है और एक विश्वसनीय व्यक्ति होने के नाते जिस काम के लिये वह रुपया दिया जावेगा वह उसी काम में लाया जावेगा। लेकिन एक उप-मंत्राणी के पति होने के कारण सारे नियमों को ताक में रख कर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उनको कौनसी भूमि दी जाय यह प्रश्न आया और एक आना गज के हिसाब से उनको भूमि दी जाती है। एक आना गज के हिसाब से उनको भूमि मिल गई और चर्म उद्योग का काम करने के लिये उनको ३५ हजार रुपया मिल गया, लेकिन आगे चलकर इस बात का पता चला कि जो भूमि उनको दी जा रही है वह भूमि नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह भूमि दूसरे काम के लिये अलॉट की जा चुकी है और उस हालत में आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, रुपया दे दिया गया पहले कोई जानकारी नहीं की गई। जो श्योरिटी रुपया देने के पहले ली जाती है वह

[श्री भैरूंसिंह]

श्योरिटी नहीं ली गई और उनको ३५ हजार रुपया दे दिया गया। जमीन पर उनका अधिकार नहीं रहा, जमीन उनको मिली नहीं। यह कहा गया कि रुपया एक जगह रख दिया जावे ताकि आपको जमीन मिले तब उसका उपयोग हो जावेगा। अगर यही रुपया दूसरे व्यक्ति के पास रखा होता, अगर यही रुपया किसी सरकारी बैंक में रखा होता, यही रुपया उनके अधिकार में नहीं होता तो मैं यह मानने के लिये भी तैयार होता कि वह रुपया सुरक्षित है। लेकिन वह रुपया तो उस सोसाइटी पर है, यह कह कर उन्होंने कोई ग्रामोद्योग समिति बना रखी है और यह कहा जाय कि वह रुपया सुरक्षित है मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार धन सुरक्षित नहीं रहता है। एक व्यक्ति को उधार देते हैं, वह धन उस काम में जिस काम के लिये दिया गया है आवे नहीं, बैंक के अन्दर उनके नाम से रहे तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अगर इस प्रकार का धन बिना जमानत के एक व्यक्ति के अधिकार में रहे तो उस धन का दुरुपयोग होगा, कभी नहीं होगी ऐसी बात नहीं। यदि किसी काम के लिये जमीन दें, जिस काम के लिये वह जमीन दें उस काम के लिये वह जमीन यदि अधिकार में नहीं है, उस सूरत में वह दिया हुआ लोन तुरन्त ले लेना चाहिये, जो लोन दिया है वे कागजात कैन्सिल कर दिये जाने चाहिये, और फिर भूमि ले ले और उस पर फिर कार्यवाही नियमानुसार हो। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक उप-मन्त्राणी के लिहाज से चूंकि वे उसके पति हैं रुपया दे दिया। उप-मन्त्राणी के पति हों, सरकार सहायता दे लेकिन हमारा काम है यह देखना कि उप-मन्त्राणी के पति हैं इसलिये विश्वसनीय हैं, ऐसी बात नहीं। उन पर भी वे ही नियम लागू हैं जो दूसरी बाकी की जनता पर लागू होते हैं। बाकी की जनता से जो जमानत ली जाती है, बाकी की जनता से उस धन की सुरक्षा के लिये श्योरिटी कराई जाती है वो ही उनसे भी होना चाहिये था। लेकिन ऐसा नहीं है। मामूली आदमी से सिफारिश कराई और वह रकम दे दी गई। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार से जीती जागती जनता के रुपयों का मखौल उड़ाने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, वे यह कहेंगे कि एक तरीका है ग्रामोद्योग को पनपाने का। जिला बोर्ड के लिये तरीका है। एक तरफ नयी समिति बनी हुई है और वह नई समिति है, उपाध्यक्ष महोदय, जल बोर्ड। यह कहा जाता है कि राजस्थान के जिले में जल की जो विकट समस्या है, उस जल की विकट समस्या को इन जल बोर्डों ने हल कर दिया। जल बोर्ड आज करीब दो वर्ष से बने हुए हैं। इन जल बोर्डों के विषय में कई दफा इस सदन में चर्चा हुई है और उसके दौरान में सारे सदन के माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है कि जल बोर्डों का रुपया सुरक्षित नहीं है। जल बोर्ड का सारा रुपया सेक्रेटरीज के हाथ में रहता है। उनकी जमानत ली गई नहीं होती। जल बोर्ड ने ही उनकी नियुक्ति की। सरकार के एक दो सदस्य हो सकते हैं। जल बोर्ड कुओं के ऊपर जितना रुपया खर्च करता है वह सारा का सारा रुपया सरकार का होता है। सरकर का रुपया प्राइवेट समिति के हाथ में इस प्रकार से देना और सरकार उनके इन्तजाम को न सम्हाले यह किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। अगर आप इस सम्बन्ध में ओडिट रिपोर्ट और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट्स को उठा कर देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि राजस्थान के अकाउन्टेन्ट जनरल ने राजस्थान सरकार को यह सूचित किया कि अगर सरकार अपना धन दूसरे व्यक्ति को देती है, अगर वह धन सरकार के मुलाजिमों के अधिकार से दूर रहता है वैसी सूरत में सरकार को कम से कम यह पाबन्दी जरूर करना चाहिये कि कम से कम सरकार द्वारा जिसको इतना धन दिया जाय, जिसके सम्पर्क में इतना धन रखा

[श्री भैरूसिंह]

जाय उसकी जमानत तो ले ले और उस धन के बारे में जांच तो कराले, समय समय पर कितना धन रहता है उसकी जांच कराले, चैंकिंग तो कराले । इन सब बातों के बावजूद भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितने जल बोर्ड के सेक्रेटरीज हैं, जिस जिस जिले के जल बोर्ड सेक्रेटरीज हैं उनके ऊपर बिना जमानत लिये, जब कि वे स्वयं जल बोर्ड समिति द्वारा ही चुने गये हैं, सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, लाखों रुपया उनके पास छोड़ दिया गया है। एक अफवाह है इस बात को ओर शायद एक दो दिन में गिरफ्तारी भी हो जाय, अलवर जल बोर्ड में ४० हजार का गबन मालूम हुआ है। पुलिस द्वारा चालान होगा या नहीं उस व्यक्ति से वह माल बरामद हो जावेगा यह भी संभव नहीं है क्योंकि वहां भी एक एम. पी. का सहारा है, कांग्रेस के एक नेता का सहारा है, राजस्थान सरकार के भूतपूर्व राजस्व मन्त्री का सहारा है। मुझे आशंका है कि ४० हजार रुपये निश्चित रूप से गायब हो जावेंगे और वह गिरफ्तारी भी नहीं होगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो उस व्यक्ति को दूसरी जगह नौकर भी रख दिया जावेगा, क्योंकि यह तो होता ही चला आया है। इस सम्बन्ध में एक नहीं अनेकों उदाहरण सामने हैं। अभी अभी गंगानगर के बारे में सवाल के वक्त यह बात सामने आयी थी जिस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के आरोप में सप्लाई विभाग से निकाल दिया गया था उसी व्यक्ति को ऊंचे पद पर नौकरी रख लिया। जवाब यह दिया गया कि उसकी जांच कराली। यह कह कर कि उस वक्त उसको जांच कराली, यह हो सकता है कि वह व्यक्ति उस समय जब कि उसको भ्रष्टाचार के आरोप में पृथक् किया गया था अपनी फाइल निकाल कर ले गया हो और आप कहते हैं कि जांच कराली तो किसी दूसरी फाइल की जांच कराली हो, कौनसी फाइल की जांच कराली है ? लोगों को संशय में छोड़ कर उसी व्यक्ति की एक जिम्मेदारी के पद पर नियुक्ति करदी जिसको ग्रेड है २००-१०-३०० । हजारों रुपया उसके अधिकार में उस जगह पर रहेंगे । वही व्यक्ति उन रुपयों का इन्चार्ज रहेगा जिसको सप्लाई विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप में सजा मिली थी और जो सरकारी नौकरी से पृथक् कर दिया गया था। चाहिये तो यह था कि उस व्यक्ति को आप सजा दें। लेकिन राजनैतिक कारणों से या ऐसे व्यक्ति के कारण जो स्वयं इन्वोल्व है कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से राजस्थान में कोई ऐसा विभाग नहीं होगा कि जिसके लिये यह कहा जा सके कि इसमें गबन के मामले नहीं होते हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि राजस्थान के पुलिस विभाग में भी गबन होता है। पुलिस विभाग से उम्मीद यह की जाती है कि इस विभाग में गबन नहीं और दूसरे विभागों में यदि कोई गबन करे तो जल्दी से जल्दी वे पकड़े जायें और उनको सजा मिले, लेकिन ३० जून, सन् १९५५ तक पुलिस विभाग में ४० मुकदमें गबन के पैन्डिंग थे और यह गबन किसी दूसरे ने किया हो यह बात नहीं है बल्कि पुलिसवालों ने ही किये और गबन किये ८९ हजार रुपयों के और उनमें से ४ हजार रुपयों की बरामदगी हुई है। आपको इससे अन्दाजा लग सकता है कि जिस विभाग से हम उम्मीद करते हैं कि वह विभाग गबन को रोकथाम करे, रुपये बरामद करे, स्वयं उस विभाग में ८९००० रु० का गबन हो और उसमें से केवल ४००० रु. की बरामदगी हो। इससे ज्यादा राजस्थान की बदकिस्मती नहीं हो सकती। जिस विभाग पर हम ३ करोड रुपये सालाना खर्च करते हैं उसमें ८९००० रु० का गबन हो तो यह बदकिस्मती नहीं तो और क्या है ? जब किसी मामले के बारे में अधिकारियों और सरकार से पूछा जाता है कि फलां मामले का क्या हुआ तो उत्तर

[श्री भैरूंसिंह]

मिलता है कि पुलिस में कार्यवाही हो रही है या डिपार्टमेन्टल कार्यवाही हो रही है या कोर्ट में कार्यवाही हो रही है अथवा पी. डी. आर. के मातहत रिकवरी के लिये नोटिसेज जारी किये हैं। लेकिन जहां सरकार के गबन के ऐसे मामले हैं वहां यदि सरकार के ऊपर मोटे से मोटा लान्छन लगाया जाय तो भी उन पर असर नहीं होगा। लेकिन गबन के मामले में सरकार निश्चित होकर बैठी है और कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिन लोगों के पैसे लुटते हैं, जो लोग पैसे जमा कराते हैं उनसे फिर दुबारा मांगे जाते हैं और उसकी शिकायत करने पर भी तीन २ वर्ष तक उसकी जांच नहीं की जाती।

बीकानेर में गंगा चिल्ड्रन स्कूल, बीकानेर है उसमें ४८,४४४ रु० का गबन हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, गबन किस प्रकार हुआ है इस बारे में मैं यदि थोड़ी बात बताऊंगा तो मैं समझता हूं सारे सदन के ध्यान में यह बात आयेगी कि सरकार किस प्रकार इन मामलों में शिथिल रहती है जिसकी वजह से कोई कार्यवाही नहीं होती और रकम का दुरुपयोग होता है।

अब से ४ वर्ष पहले जब इस स्कूल का सबसे पहले इन्सपेक्शन हुआ था तब सैंकडों ही लोगों के पास फीस जमा कराने की रसीद थी उन लोगों ने शिकायत की कि स्कूल में अकाउन्ट बुक मेन्टेन नहीं की जाती है, इसलिये जब हम पैसा जमा कराते हैं तो इस बात का पता नहीं रहता कि कितना पैसा जमा करा दिया और दुबारा पैसा जमा कराने के लिये कहा जाता है। दूसरे साल जब फिर इन्सपेक्शन हुआ तो लोगों ने शिकायत की कि हमारे पास रसीदें मौजूद हैं। उन्होंने शिकायत पेश की सरकार के पास और रसीदें पेश कीं और कहा कि जल्दी से जल्दी इस प्रकार की कार्यवाही रोकी जाय। उस समय मुख्य मंत्री जयनारायण व्यास थे उनके पास उक्त स्कूल के खिलाफ शिकायत पेश की जिस पर उन्होंने आदेश दिया कि इसकी इन्क्वायरी की जाय लेकिन उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई। ५३-५४ और ५४-५५ में कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। लेकिन जब ५४-५५ में ऑडिट पार्टी ने हिसाब जांचने की कोशिश की तो मुख्य अध्यापिका वहां से पार हो गई और उसने १५ दिन की छुट्टी लेली और किसी अधिकारी को हिसाब नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और यह बढ़ते बढ़ते ४८,००० रु० का गबन हो गया और फिर एक दिन यह आया कि ३ वर्ष की निरंतर शिकायत करने के बावजूद जब ओडिट पार्टी ने हिसाब देखा तो ४८,००० रु० का गबन निकला। बच्चों की फीस के रुपये, गेम्स फीस के रुपये, ट्यूशन फीस के रुपये, काशन मनी आदि के जितने रुपये थे उन सब को मुख्याध्यापिका हजम कर गई। गत वर्ष जब यह मामला पकड़ा गया तब बीकानेर में विशेष चहल पहल थी और बीकानेर की जनता को विश्वास था कि यह औरत गिरफ्तार नहीं होगी। जब वह गिरफ्तार हो गई तब कुछ लोगों ने कहा कि मामला पुलिस में चला गया है लेकिन आगे कुछ नहीं होने वाला है। जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर मैं आज भी कह सकता हूं कि वह मामला आज भी पुलिस के अंडर-इन्वेस्टीगेशन है और कोर्ट में नहीं गया है। जो मामला कोर्ट में जाने लायक है उसको पुलिस यदि दबा नहीं सकती तो उसके बारे में ऐसी कार्यवाही की जाती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सजा नहीं मिल सके। आदेश दे दिया जाता है कि मामला कोर्ट में भेजा जाय लेकिन वहां उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता। प्रोसिक्यूशन इन्सपेक्टर मामले की पैरवी अच्छी तरह से नहीं करते और वह मामला वैसे ही रह जाता है।

[श्री भैरूंसिंह]

आज जगह जगह गबन के मामले होते हैं। सिविल सप्लाईज विभाग में लाखों-करोड़ों रुपयों का हिसाब नहीं है । ६० लाख रुपयों के करीब के वाउचर्स भी नहीं हैं । यह भी पता नहीं है कि किस को रुपये दिये थे, अनाज आया या गया उसका भी हिसाब नहीं, कौन २ लोग सरकार में रुपये मांगते हैं या सरकार किन में रुपये मांगती है उसका भी हिसाब नहीं । यदि आप पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को और ऑडिट रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके हिसाब से २ करोड़ रुपये ऐसे हैं जो सप्लाईज विभाग में बाकी निकलते आरहे हैं । उनमें से कुछ का हिसाब एडजस्ट हुआ है लेकिन बाकी के रुपये जो एक करोड़ से ऊपर हैं उनका कोई हिसाब नहीं है और उस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की बात नहीं, वाउचर्स नहीं, हिसाब-किताब नहीं, कोई जांच-पड़ताल नहीं, १ करोड़ रुपयों का बकाया हिसाब नहीं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है । यह शर्म की बात है सरकार के लिये जो यह कहे कि जांच हो रही है । पहला काम तो सरकार का यह होना चाहिये कि उस हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाय । जो आदमी आज भी डाइरेक्टर ओफ ट्रान्सपोर्ट बना हुआ है और बनीपार्क में जिसकी २ लाख रु० की बिल्डिंग सरकार को चुनौती देती है कि उसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती । वह सरकार का ही नहीं बल्कि राजस्थान की जनता को चुनौती देती है कि मैं रुपये खा चुका हूं पर मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता । आज बदकिस्मती से वही मकान दूसरे लोगों को प्रेरणा देता है, पर उक्त ऑफिसर के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठाया गया ।

गनी बेग्ज का फिजीकल वेरिफिकेशन होता है तो पता चलता है कि हजारों मन अनाज कम है और उसके बारे में कहा जाता है कि यह शोरटेज इसलिये हुआ है कि अनाज में घुन लग गया है या बोरियें कट गई हैं जिसके कारण अनाज कम हो गया है या सील लग जाने से खराब हो गया है । मैं समझता हूं घुन में से, सीम से या बोरियों के कट जाने से अनाज गोदाम से बाहर नहीं जा सकता, बल्कि लाखों मन अनाज इधर से उधर हुआ है । पी. ए. सी. की रिपोर्ट से और ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार लाखों मन अनाज फिजीकल वेरिफिकेशन में कम आता है और सरकार यह कह कर इस मामले को दबाने की चेष्टा करती है कि जानवरों के कारण अनाज खत्म हो गया ।

यहां कोयलों की खरीद के बारे में भी विधान सभा में कई बार प्रश्न आते हैं । किस भाव से खरीदा जाता है और किस क्वालिटी का कोयला खरीदना है यह बात छोड़ें । लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद कोयला पॉवर हाउस में पहुंचा है या नहीं इसकी कोई जांच नहीं, कोई चेकिंग नहीं और यह पता नहीं कि उसमें से कितना पॉवर हाउस में पहुंचा और कितना नहीं पहुंचा । लेकिन कोयला पहुंचा या नहीं इस बात की कोई परवाह नहीं है, परन्तु जितने रुपयों का बिल्टी में जिक्र है उतने रुपये तुरन्त चुकाने चाहिये यह सरकार का फर्ज है ।

इसी कारण से राजस्थान के पॉवर हाउस के अन्दर कोयलों का मामला इतना चक्करदार बना हुआ है । हम ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं जिनको चालीस, पचास रुपया माहवार मिलता है या जिनको सौ डेढ़ सौ रुपया मिलता है । चाहिये तो यह कि जितने इमिजियेट ऑफीसर्स हैं जिनका कि जांच करने से सम्बन्ध है, देख रेख करने से सम्बन्ध है उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लें । पर

[श्री भैरूंसिंह]

ले कौन ? जो लेते हैं या लेने को तैयार होते हैं वे महसूस करते हैं कि यदि किसी एक अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया तो कहीं वह अधिकारी मेरे खिलाफ ऐसा वातावरण शिकायतें करके पैदा न करदे कि मेरे खिलाफ भी इस तरह के मामलों की जांच हो जाय । इस तरह पॉवर हाउस में कोयलों का मामला चक्करदार बना हुआ है ।

गनी बैग्स सोविल सप्लाइज ने खरीदे थे, रेट्स क्या थीं, इसका कहीं जिक्र नहीं, टेन्डर्स किसने इन्वाइट किये इसका कहीं जिक्र नहीं, किस तारीख तक गनी बेग्स लेंगे इसका कहीं जिक्र नहीं पर एक आदमी को रियायत देनी थी, एक व्यक्ति की ख्वाहिश पूरी करनी थी इसलिये उससे ले लिये गये। हमारी सरकार चाहती थी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाना और गनी बैग्स के नाम पर रियायत कर दी।

आज राजस्थान का कोई विभाग नहीं बचा हुआ है, जिसमें गबन नहीं हुआ हो , पॉवर हाउस में गबन हुआ, कोओपरेटिव डिपार्टमेन्ट में गबन हुआ, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में गबन हुआ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गबन हुआ यहां तक कि जेल विभाग में गबन हुआ, जेल में जहां कैदियों को भेजा जाता है जिस जेल में कैदी सुधारने के लिये भेजे जाते हैं, सजा भुगतने के लिये भेजे जाते हैं, उसमें भी गबन ! मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि राजस्थान में कोई ऐसा महकमा नहीं बचा हुआ है जहां कि गबन नहीं हुआ हो । पर फिर भी अच्छा शासन है, कल्याणकारी राज्य है, अधिकारियों को जो गबन करते हैं उनको सजा दी जाती है, गबन की रोकथाम के लिये राजस्थान सरकार सतर्क है, फिर ये गबन क्यों होते हैं ?

राजस्थान में जो गबन होते हैं उनकी रोकथाम के लिये मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि हमारी सरकार इन गबनों को रोकने में बिल्कुल अयोग्य साबित हुई है, बिल्कुल अयोग्य । पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में, न केवल एक रिपोर्ट में बल्कि ५२-५३ की रिपोर्ट में, ५३-५४ की रिपोर्ट में और ५४-५५ की रिपोर्ट में ये सारे हवाले दिये हैं । ओडीटर जनरल ने भी ५२-५३ की रिपोर्ट में, ५३-५४ की रिपोर्ट में और ५४-५५ की रिपोर्ट में इन सब का हवाला देते हुए इस बात का सर्टिफिकेट राजस्थान सरकार को दिया है ।

इन दो सर्टिफिकेट्स से यह साबित हो चुका है कि राजस्थान सरकार सरकारी रकम को गबनों को रोकने में बिल्कुल अयोग्य साबित हुई है । इसलिये मैंने कुछ शब्दों में यह निवेदन किया है कि सरकार कोई समिति मुकर्रर करे जिसमें विरोधी भावना रखने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्री रामकरण जोशी, राजस्थान के भूतपूर्व रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर श्री वेदपाल त्यागी और इस सदन के एक सदस्य श्री हिम्मतसिंह कुनाड़ी उस समिति के सदस्य होंगे । ये चार व्यक्ति साथ बैठ कर राजस्थान में बढ़ते हुए गबन के मामलों की रोकथाम करेंगे तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से इन मामलों में कमी आयेगी और जो सुझाव वे पेश करेंगे उन पर सरकार अमल करेगी तो गबन के मामलों में कमी होगी ।

मैं और भी बातें इस सदन में पेश करता परन्तु गला खराब होने के कारण दूसरे सदस्यों के द्वारा ही अपने विचार प्रस्तुत कराऊंगा ।

इतना ही कह कर मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष मेरे दांता-रामगढ़ से आये हुए मित्र ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के कोने २ में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । लेकिन भ्रष्टाचार जहां तक सीमित था वहां तक दिल को यह तसल्ली होती थी कि यह भ्रष्टाचार ऐसे मामलों में किया जाता है कि सरकार को कुछ रकम अगर हड़प को भी जाती है तो उस रकम में कुछ हिस्सा और रकम का भी होता है, तो हमें अधिक अफसोस नहीं होता था, पर उस भ्रष्टाचार के साथ २ अब तो हम यह देखते हैं कि राजस्थान के करोब २ प्रत्येक विभाग में राज्य को रकम का भी गबन होना और उसका दुरुपयोग होना एक रोजमर्रा की बात हो गई है ।

उपाध्यक्षजी, आज मैं कहूंगा कि इस सदन में बैठने वाले मन्त्रियों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो सर को ऊंचा करके हमको यह कह सके कि मेरे विभाग में तो एक भी एम्बेजलमेन्ट का या डिफॉल्केशन का मामला नहीं हुआ है, यह बड़े अफसोस की स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय ।

जयपुर रियासत के समय यदि हम कोई डिफॉल्केशन या एम्बेजलमेंट का केस सामने आ जाता था तो एक तरह से गवर्नमेंट की सारी मशीनरी होल्ड-अप हो जाती थी, इसके लिये विचार किया जाता था कि सरकारी रकम का भी कोई गबन कर सकता है, इसका कोई खयाल तक नहीं कर सकता था, पर आज तो जमाना ही पलट गया । आज मैं मानता हूं जनता की चुनी हुई सरकार आ गई है, जनता के चुने हुए सार्वजनिक मंत्री आ गये हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि खादी बोर्ड में से पैसा ले लें, यहां तक तो ठीक पर अपने कृपा पात्रों को राजस्थान राज्य के उन २ महकमों में लगाया जाय और राजस्थान सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जाय और सरकारी खजाने में से लोग सरकारी रकम को ले कर चम्पत हो जायें और उनका पता तक नहीं चले ।

माननीय उपाध्यक्ष, कुछ एम्बेजलमेंट केसेज का पता मुझे सरकारी दफ्तरों में चला, तो मुझे पता चला कि किस कदर से सरकारी अधिकारी इस तरह के मामलों को डील विद् करते हैं ।

सेटलमेन्ट डिपार्टमेंट में एम्बेजलमेंट का केस हुआ । मैं एस. ओ. सीकर के दफ्तर में बैठा हुआ था । एक क्लर्क ने एस. ओ. साहब से कहा कि २०००) रु० तनख्वाह बांटने के लिये आये थे । खजांची जो तो आये नहीं, मुझे दे गये थे, ताला खोल कर रुपया निकालना चाहा तो रुपया एक भी नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ताज्जुब की बात है कि इस प्रकार दो-दो तीन-तीन हजार रुपयों की रकम क्लर्क को देकर कह दिया जाय कि तनख्वाह तुम बांट देना, मैं तो छुट्टी में जाता हूं, यह रोजमर्रा की बात हो गई है ।

आज फिर निवेदन करूंगा कि इस विधान सभा के दफ्तर में तो आज तक इस प्रकार की बात सुनने में नहीं आई है, इस विधान सभा के दफ्तर के अलावा सबको ले लीजिये उनमें इस प्रकार के केसेज आपको बहुत मिलेंगे । और हमारे फूड मिनिस्टर साहब या सप्लाई मिनिस्टर साहब कह दीजिये, जो मुस्कुरा रहे हैं, उनके विभाग के बारे में तो देखा जाय तो मैं कहूंगा कि राजस्थान की जनता के पैसे का कितना ज्यादा एम्बेजलमेंट उनके डिपार्टमेंट में हुआ है, इससे अधिक शर्म की बात और नहीं है ।

[श्री मानसिंह महार]

वह तो एक ऐसा महकमा है कि जिसके अन्दर कितना पैसा खर्च हुआ, कितना आया है, कितने पैसे कहां गबन हुए, कितने पैसे का दुरुपयोग हुआ है, इन बातों को मंत्रीजी तो क्या राजस्थान सरकार तक नहीं जानती है। इसका किसी को आज तक पता नहीं। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि हमको तो अनाज रियासतों के समय से मिला था, क्या मालूम कितना अनाज रियासतों के समय में गल गया या सड़ गया, हमने भी हमारा अनाज उसमें रख दिया, इसलिये हम तो आज तक कुछ नहीं कर सके हैं कि कितना सड़ गया, कितना गल गया? कुछ हद तक देखने से यह महसूस होता है कि माननीय मंत्रीजी वाकई में सही फरमाते हैं लेकिन अगर हम वास्तविकता को ओर जावेंगे तो माननीय उपाध्यक्ष, हम यह पावेंगे कि राजस्थान में जो वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रियासतों का एडमिनिस्ट्रेशन कभी इन्फिरीयर नहीं था। जयपुर जिसमें सर मिर्जा इस्माइल जैसे और वी. टी. कृष्णमाचारी जैसे व्यक्तियों का एडमिनिस्ट्रेशन रहा जो आज प्लानिंग कमिशन के चेयरमेन हैं, इस प्रकार के योग्य व्यक्तियों द्वारा यहां का शासन चलाया जाता था। यह तो उनकी योग्यता थी कि उन्होंने कन्ट्रोल की स्थापना की और आपको तो सारा काम जमा जमाया मिला, मगर उसको भी आप संभाल न सके। माननीय उपाध्यक्ष, आज रियासतों के नाम पर लाखों रुपयों का गोल माल हुआ है और वह गोल माल अब भी उसी के नाम पर चालू रखा जावे यह उचित नहीं है। आज भी उसकी जांच पडताल की बात आती है तो उसको किसी न किसी तरह से टालमटोल किया जाता है। मैं यह कह सकता हूं कि रियासतों के समय का एकाउन्ट इतना क्लीयर था कि अगर सरकार सही तरीके से देखती तो उसको पता लगता कि एकाउन्ट कितना आइने के माफिक साफ है और इस प्रकार की बातों को यहां पर कहने की नौबत नहीं आती। मैं जयपुर को लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बात आपको अर्ज करूंगा कि जब २ हमने सप्लाई विभाग के बारे में प्रश्न पूछा, राजस्थान के मर्जर से ६ महीने पहले की बात है, मैंने प्रश्न पूछा उसका बिल्कुल सही जवाब दिया जाता था। हमको मालूम है कि जयपुर का एकाउन्ट उस समय बिल्कुल आइने के माफिक था। मगर आज यह कहा जाता है कि राजाओं के जमाने का घोटाला मिला। मैं यह निवेदन करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में रियासतों का एडमिनिस्ट्रेशन आज के एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं अधिक अच्छा था। उस समय जयपुर कांग्रेस के योग्य व्यक्ति जैसे दोलतमल भंडारी जो आज राजस्थान उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के जज हैं, पंडित हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल से योग्य व्यक्ति काम करते थे। उनसे हम कभी भी इस प्रकार की किसी गड़बड़ी की आशा नहीं कर सकते थे जैसी कि इस लवर सरकार से की जा सकती है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो पुराने जमाने के हिसाब की आड में जो बातें आज कल कही जाती हैं वे बिल्कुल गलत हैं।

पहली बात जो मैं निवेदन कर रहा था वह सिविल सप्लाइज के बारे में है। इसके बारे में माननीय उपाध्यक्ष, जितना भी कहा जावे थोड़ा है। लेकिन अब मैं इस पर अधिक नहीं कह कर

[श्री मानसिंह महार]

यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको दुबारा कन्ट्रोल करना पडे तो पुराने अनाज के हिसाब-किताब को अलग करके और अत सरे नौ हिसाब जारी करेंगे तो हमको मालूम हो सकेगा कि हमको एक रुपया में चार आने हो दे रहे हैं या रुपये में दो ही आने मिल रहे हैं । ऐसा न हो कि पुराने ढांचे पर चल कर हमको धोका न दे सकें । कम से कम वराये महरबानी नये एकाउन्ट जरूर रखें ताकि आपसे हम पूछ सकें और आप उसका जवाब हमको दे सकें । हमको भी मालूम हो जाए कि हमको रुपये के ४ आने मिलते हैं । हम इस बात को जानते हैं कि रुपये में १२ आने तो लोग खा जाते हैं । चार आनों का लेखा हो मिल जाए ।

सिविल सप्लाइज के बाद में मैं आपका ध्यान एक ऐसे विभाग की ओर आकर्षित करूंगा जिसके बारे में कुछ कहने का हमको बहुत कम मौका मिलता है और वह विभाग है एग्रीकल्चर विभाग। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज सिविल सप्लाइज में चाहे लाखों और करोड़ों का घोटाला हुआ होगा लेकिन हमको उसका इतना अधिक अफसोस नहीं होना चाहिये जितना कि एग्रीकल्चर विभाग के बारे में होना चाहिये ।

एग्रीकल्चर विभाग में पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा इस विभाग में बुलडोजर आदि पर खर्च किया गया है किसी दूसरे विभाग में खर्च नहीं किया गया है । लेकिन जितना पुअर रिटर्न हमको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने दिया है उतना और किसी महकमे ने आज तक नहीं दिया और न कभी आयन्दा देगा ।

माननीय उपाध्यक्ष, इस डिपार्टमेन्ट की तो आप बात ही न पूछिये, यह तो वह डिपार्टमेंट है जिसके अन्दर लाखों रुपये की मशीनरी खरीदी जाती है । अगर एक २ केस को साइट करूं तो बहुत समय लगेगा । मेरे समक्ष कई केस मौजूद हैं । हमारे इस सदन में भूतपूर्व और वर्तमान मंत्रियों में आपस में इस विभाग को लेकर आपस में झड़प हुई है और एक दूसरे पर आपस में छींटाकशी की है । यह झड़प आपस में ट्रेक्टर और बुलडोजर की खरीद फरोख्त को लेकर हुई तो इस विभाग के बारे में ट्रेक्टर और बुलडोजर की खरीद फरोख्त में क्या २ कार्यवाही की गई, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विषय पर इस विभाग में यहां तक नौबत आ गई की कुछ बाहर से ओफिसरों को बुलाया गया । मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ ओफिसरों को बाहर से लोन पर बुलाया जाता है और अगर बाहर से लोन पर आने वाले अधिकारी गबन कर जाते हैं तो उस पर हमारी सरकार किस प्रकार से पंगु बन जाती है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं । एक अधिकारी मि० कोली पंजाब से यहां पर आये हुए थे । उन्होंने गनी बैग खरीदे । उनके खिलाफ मुकदमा साबित हो गया । उन्होंने जो गनी बेग खरीदे उनकी रेट बहुत ज्यादा दी । उन्होंने टेन्डरों में गडबडी की । यह सब बात साबित होते हुए भी सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी । माननीय उपाध्यक्ष, इस पर मैं जानता हूं कि हमारी सरकार यह जवाब देगी कि वह पंजाब सरकार का नौकर था । मैं यह कह सकता हूं कि वह किसी भी सरकार का नौकर था । यदि कोई दबंग सरकार होती तो इस प्रकार धन के दुरुपयोग करने वाले को सरकार गिरफ्तार करती । सरकार को चाहिये था कि उसको गिरफ्तार करती, उस पर मुकदमा चलाना चाहिये था, माननीय उपाध्यक्ष, आज तो बात बिल्कुल उल्टी हो रही है । अगर कोई

[श्री मानसिंह महार]

ईमानदार ऑफिसर आता है परेशान किया जाता है, उस पर हर प्रकार के लांछन लगाये जाते हैं, उनको वापिस भेज दिया जाता है लेकिन जो इस प्रकार से धोकादेही करते हैं उन लोगों को तरक्की दी जाती है।

तो एग्रीकल्चर विभाग के बारे में मैं निवेदन कर रहा था। इसमें खास बात यह है कि इस विभाग में जितना गोलमाल हुआ है और मैं यह कहूंगा कि हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि इस गोलमाल के बारे में हम लोग सदन में भी अधिक जिक्र नहीं कर सके हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डिपार्टमेन्ट सिविल सप्लाइज में किसी हालत में रिश्वतखोरी कह दीजिये या और कोई शब्द काम में ले लीजिये कम नहीं है। इस विभाग में यदि बीज भी खरीदा जाता है तो वह भी चंद व्यक्तियों से खरीदा जाता है। इसमें इसको रिश्वत कह दीजिये या डिफेक्ट कह दीजिये कुछ भी कह दीजिये, फौरन हुक्म हो जाता है। १० हजार मन फलां व्यक्ति से फलां रेट पर खरीद लिये जाते हैं। यह मालूम नहीं होता कि कौनसी तहसील में वह एलॉट हुआ, कितने गांवों में वह बांटा गया, वह बीज कहां पर रखा गया उसकी सूचना नहीं। हजारों मन बीज खरीदा जाता है वह अपने कृपापात्रों के घरों में रहता है और वहां रह कर उनके पैसे का पेमेन्ट हो जाता है।

यह तो हम नहीं कह सकते। हम इस प्रकार का लांछन अफसरों पर लगा सकते हैं मंत्रियों को तो हम इस बात से बहुत ऊंचा मानते हैं। मंत्रियों पर इस प्रकार का लान्छन मैं लगाना नहीं चाहता। लेकिन मंत्रीगण से मैं यह अवश्य निवेदन करूंगा कि उनको इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिये। जनता जरूर इस प्रकार का लांछन लगाती है मंत्रियों पर कि उनको भी सौदेबाजी होती है। मैं तो इस बात को गलत मानता हूं लेकिन जब हम जनता के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनते हैं कि फलां गल्ले की खरीद में इस प्रकार की बात हुई उन मंत्री महोदय का हाथ था ट्रैक्टर्स की खरीद में फलां मंत्री के रिश्तेदार का हाथ, फलां महकमा फलां मंत्रीगण के रिश्तेदारों के लिये परवरिश का महकमा है। जब हम इस प्रकार की बातें जनता से सुनते हैं तो हमें दुःख जरूर होता है। इस प्रकार की अगर सौदेबाजी है तो मैं तो मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि उनको तो पीछे से ही शिकार खेलना चाहिये मैदान में न आये तो बेहतर होगा। मैं आशा करता हूं कि यह जो बेश कीमती सुझाव मैंने प्रस्तुत किया है उस कमेटी को यह बात भी बताई जावे कि वे मंत्रियों को इस प्रकार का सुझाव दे सकें कि वे मैदान में तो न आयें क्योंकि मैदान में आने से बदनामी होती है। और साथ ही हम लोगों को भी शर्मिन्दा होना पड़ता है। आखिर चाहे हम विरोधी पक्ष में ही क्यों न बैठे हों किन्तु आज जो मंत्रीगण हैं उनको अधिकतर हमारे विधान सभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त है, जब उनके प्रति हम इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा शर्म के मारे सिर झुक जाता है। एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के बारे में यह बात मैंने इसलिये कही, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस डिपार्टमेन्ट के बारे में सदन में बहुत कम कहा जाता है, इसलिये मैंने इस विभाग के बारे में निवेदन किया।

कुछ दिनों पहले, उपाध्यक्ष महोदय, घास वगैरह की खरीद की गई हमारी सरकार ने फेमिन रिलीफ डिपार्टमेन्ट के सिलसिले में ··········

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष--१५ मिनिट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

श्री मानसिंह महार--उपाध्यक्ष महोदय, मुवर ने भी तो कुछ समय मुझे दिया है। मैं तो दस मिनिट में ही खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको आज्ञा मेरे शिरोधार्य है। मैं फेमीन रिलीफ विभाग के बारे में निवेदन कर रहा था, इस विभाग के बारे में इसलिये निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार ने तहसीलदारों से पूछा है कि कौन कौन सी तहसीलों में चारे वगैरह की कमी है ताकि बाहर से चारा वगैरह मंगवाया जा सके और उसकी व्यवस्था भी हो रही है। इसलिये मैं इस बारे में खास तौर से निवेदन कर देना चाहता हूं कि पहले का इतिहास इस बारे में फिर दोहराना न पडे। पहले से चारे के मामले में लाखों रुपयों का गोलमाल हुआ है, किसी ने किसी मंत्री के माथे मढ़ा, किसी ने किसी दूसरे के माथे। उसी तरह की नौबत इस बार नहीं आने पावे, इसलिये पहले ही मैंने आगाह कर दिया है। मैं किसी के ऊपर लांछन लगाना नहीं चाहता किन्तु इतना जरूर निवेदन कर देना चाहता हू कि उसमें पैसे की बरबादी जरूर हुई। उस पैसे का दुरुपयोग हुआ। अब भी हमारी सरकार बाहर से घास वगैरह मंगवायगी मैं आशा करता हूं, कि पुरानी गलतियों को फिर नहीं दोहराया जायगा। मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी गलती फिर नहीं होगी, फिर भी इस प्रकार की सौदेबाजी का काम होता है उसके अन्दर कम से कम अफसरों की जो रेपुटेशन होती है उसकी ओर तो हमें अवश्य ध्यान देना चाहिये। कुछ अफसरों पर तो एलीगेशन्स बहुत वाईड हैं, कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ आम जनता की राय है कि वे न्यायप्रिय हैं, कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिनके लिये आम जनता में इस प्रकार धारणा है कि वे बहुत गडबडियां करते हैं, लेकिन हमने अमूमन देखा है जो गंडबडियां करते हैं उन्हीं को तरजीह दी जाती है. इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जो खरीद फरोख्त का मामला है उसके अन्दर कुछ ईमानदार अधिकारी हों उनको लगाया जाय ताकि इसमें किसी प्रकार की गडबडी न हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के बारे में भी मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। पुलिस विभाग के बारे में पहले भी काफी निवेदन किया जा चुका है कि पुलिस के भूतपूर्व इन्सपेक्टर जनरल ओफ पुलिस के समय में सरकारी धन का काफी दुरुपयोग हुआ था। यही नहीं पुलिस विभाग, के वायरलेस विभाग के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को इस बारे में मोअत्तिल भी किया गया है। इसके अलावा भी लाखों रुपयों के गबन के मामले इस विभाग में हुए हैं जिनके बारे में एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक और बात भी निवेदन कर दू इसी सिलसिले में जब एक रोज बातों ही बातों में कुछ लोगों ने यह बात कही कि लाखों रुपयों का गबन केवल डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कर लिया यह बात मानने लायक नहीं है खाने वाले तो खा पीकर बंबई चले गये हैं मरे तो बेचारे नीचे के अधिकारी, जो कुछ भी उन्होंने किया था वह उनके हुक्म से किया था। मैं यह भी निवेदन कर दूं चूंकि अब होम मिनिस्टर साहब पधार गये हैं भूतपूर्व आई० जी० पी० के समय में पुलिस विभाग में बहुत सारे गबन हुए हैं अभी तक वायरलेस का केस चल रहा है, छोलदारियों की खरीद में गड़बड़ी हुई, ट्रकों वगैरह की खरीद में गड़बड़ी है, यह सब कान्ड हुए भूतपूर्व आई० जी० पी० के समय में। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सही तरीके से जांच करके उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाय।

[श्री मानसिंह मह्लार]

एक बात में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, इस पर शायद मेरे जोधपुर से आये हुए मित्र ज्यादा रोशनी डालेंगे, मैं तो केवल पासिंग रेफरेन्स ही दे रहा हूं। लेकिन मैं यह पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस विभाग के अन्दर एक पर्टीकूलर व्यक्ति ने जिस प्रकार का गोलमाल किया निःसन्देह वह बहुत ही शर्म की बात है हमारी सरकार के लिये। जिन सब बातों का सरकार को मालूम होते हुए भी कुछ आदमियों के दबाव में आकर जिनका स्थान पार्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके दबाव में आकर इस मामले को दबाना चाहती है, यह कतई उचित बात नहीं है, इसलिये इस विभाग के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं केवल कोमर्स और इन्डस्ट्रीज के डिपार्टमेन्ट के बारे में एक दो बातें कह कर अपने भाषण को समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज एण्ड कोमर्स डिपार्टमेन्ट एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है जिसके अन्दर किसी फैक्टरी या बड़े कारखाने को खोलने में हमारे उच्च से उच्च अधिकारी दस बीस हजार रुपये तो एक ही इजाजत के अन्दर ले सकते हैं। लेते नहीं हैं बल्कि ले सकते हैं। पहले लेते थे अब तो कम से कम मैं यह कहूंगा हमारा यह सौभाग्य है कि जो कमिश्नर इन्डस्ट्रीज हैं मि० मेनन वे तो इस बात से बहुत ऊंचे हैं, उनकी इन्टीग्रीटी में डाउट करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि बेचारे मेनन साहब चाहे कितने ही ऊंचे हों लेकिन जब हमारे चर्म उद्योग की बात आती है तो हमारे खादी बोर्ड में काम करने वाले श्री रामचन्द्र बेनीवाल को ३५ हजार रुपये का ऋण दे दिया जाता है चमड़े का कारखाना सांगानेर में खोलने के लिये। इसको डिफॉलकेशन कहे या न कहें जिनके पास जमीन नहीं कारखाना खोलने के लिये औजार नहीं। उनको भी ३५ हजार रुपया दे दिया गया। जिनके पास जमीन नहीं, मशीनरी नहीं। आज भी उनकी हैसियत क्या है, बारह महिने पहले जिनकी क्या हैसियत थी, वह हम सब जानते हैं, वे अगर आज भी यह कह दें कि वे पचास रुपये की सिक्युरिटी दिला नहीं सकते आज भी उनकी यह पोजीशन नहीं लेकिन फिर भी उनको ३५ हजार रुपया ऋण दे दिया गया। ऋण के लिये कल प्रश्न के जवाब में कहा गया वह तो खादी बोर्ड की मार्फत दिया गया। खादी बोर्ड को आप सहायता देते हैं या नहीं यह मैं पूछना चाहता हूं? क्या राजस्थान सरकार खादी बोर्ड के कार्य को भी गवर्नमेन्ट के कार्य नहीं मानती है? अगर मानती है तो इस प्रकार की गड़बड़ी क्यों कराई?

आज जब चारों तरफ से यह आन्दोलन चलाया जाता है कि हम हरिजनों का उद्धार करना चाहते हैं, हम हरिजनों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इस सदन के अन्दर दस सीट हरिजनों की रिजर्व करके भी हरिजनों का उद्धार नहीं किया जा सकता। इनका उद्धार तो तब ही होगा जब ३५ हजार रुपया दस चमार भाइयों को उनकी एक सोसायटी बनाकर इस काम के लिये दिया जाता रहेगा। उनकी चर्मकार सोसायटी बनाई होती, या और कोई सोसायटी बनाई होती तब उनको पूरा लाभ मिलता। कहा यह जाता है कि इस कमेटी में इन हरिजनों को विशेषज्ञ के तौर पर नौकर रख लेंगे। आज नौकर रखने का जमाना नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, आज तो जनता उस स्टेज पर पहुंच गई है जब कि वह मंत्रियों को भी अपने नौकर मानकर चलती है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि नौकर रख

[श्री मानसिंह महार]

लेंगे विशेषज्ञ के तौर पर यह सरासर गलत बात है। मैं सरकार से दुबारा अपील करूंगा कि सरकार की अगर नीयत साफ है इस मामले में और सरकार अगर ईमानदारी से काम करना चाहती है तो ३५ हजार रुपया श्रीमती कमला बेनीवाल के पतिदेव श्री रामचन्द्रजी बेनीवाल से वापिस लिये जाने चाहिये। और उस सोसाइटी के, जो कि एक झूठे नाम से रजिस्टर कराई गई है, बदले उन हरिजन भाइयों की किसी कमेटी या सोसाइटी को दिया जाना चाहिये। आश्चर्य की बात यह और है कि इस सोसायटी के रजिस्टर्ड होने के तीन दिन के अन्दर अन्दर सरकार की ओर से ३५ हजार का लोन मिल गया, जब कि औरों को तीन तीन साल और चार २ साल हो गये सरकार के यहां नाक रगडते रगडते, दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें देते देते और सरकार के दर पर भटकते भटकते और ठोकरें खाते खाते पर तब भी बड़ी मुश्किलों से कुछ को कुछ रुपया मिलता है, वह भी सब को मिलता नहीं, जब कि वे डिजर्व करती हैं और इनकी सोसायटी को रजिस्टर्ड होते ही लोन मिल जावे इससे अधिक कमाल की और क्या बात हो सकती है ? मैं तो सरकारी धन का एम्बेजलमेन्ट और डिफॉल्केशन का इसे सबसे बड़ा नमूना मानता हूं। चाहे आज यह कहा जावे कि वह तो बड़ी ईमानदारी से सोसाइटी खोलकर काम करते हैं। पर इनके सदस्यों को तो देखिये कौन कौन हैं ? इसके अन्दर किसी ने अपनी जिन्दगी में भी चर्म उद्योग की ए. बी. सी. डी. का काम भी किया है या जाना है ? कभी भी नहीं किया। वह इस हैसियत का व्यक्ति भी नहीं कि वह पचास हजार का कारखाना आज भी चला सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहूंगा कि आज भी वे अपनी तरफ से अगर पचीस हजार रुपया जातीतौर से इसके अन्दर शेअर लेकर लगावेंगे तो वह पैसा भी ईमानदारी का नहीं हो सकता। अभी मेरे मित्र ने श्री बहुरनसिन्हा के खिलाफ कहा कि उनका मकान चुनौती दे रहा है। मैं कह रहा मैं कह रहा हूं कि मकान क्या चुनौती दे रहा है चुनौती तो यह ३५ हजार का कारखाना दे रहा है। यह चुनौती हमें ही नहीं, हरिजन भाइयों को भी सरकार दे रही है। यह उनको भी चुनौती है कि उनके हक हकूक को मारकर एक उपमन्त्राणी अपने निजी फायदे के लिये इतना बड़ा कारखाना खोलती है इससे बढ़कर डिफाल्केशन कह लीजिये, एम्बेजलमेन्ट कह लीजिये, धोखेबाजी का कह लीजिये और कौनसा नमूना हमारे सामने आ सकता है ? मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर वे ईमानदार आदमी हैं तो उन्हें चाहिये कि उन्होंने जो तमाम गलत कार्यवाही की है उसके लिये इस सदन में माफी मांगे और यह पैसा वापिस लौटाएं और आगे से इस प्रकार की भूल न करेंगे, ऐसा आश्वासन दें। और उधर बैठने वाले उन सदस्यों से भी आशा करूंगा कि इस प्रकार के जो लांछन सरकार पर लग रहे हैं उनके फलस्वरूप हिम्मत करके वे भी कह दें कि ऐसी सरकार के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं और वे उधर की बैंचों से उठ कर सामने वाली बैंचों के ऊपर बैठ जावें। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो हमारी सरकार हमारी आंखों में ऊपर उठेगी। पर इस प्रकार की उम्मीद उन से करना बालू से तेल निकालना है। फिर इस प्रकार की बात का उनके पास कोई जवाब भी नहीं होगा। अब सरकार ने यह अच्छी तरह से समझ लिया है कि इन पचड़ों से तो मौन रहना सबसे अच्छा है। उन्होंने सीख लिया है कि ऐसे वक्त मौन ही रहना चाहिये।

तो यह जो हमारे सामने एक नमूना कल ही आया है ताजा, और भी नमूने तो बहुत हैं, कहें जिसके लिये प्रस्तुत कर सकता हूं, यह ताजा बात आई इसलिये कह रहा हूं।

[श्री मानसिंह महार]

इसलिये मेरे मित्र ने कमेटी का जो सुझाव दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और दो शब्द अपने साथी सदस्यों से भी निवेदन कर दूं कि वे भी ऐसी बातों की तरफ अवश्य ध्यान रक्खें और इस प्रकार की जो गलत परम्पराएं हमारी सरकार आज कायम कर रही है उनकी ओर से भी सतर्क रहें और उन परम्पराओं को न पड़ने दें। कहीं को पांच रुपया का डिफॉल्केशन हो गया इसकी ओर अगर हम अधिक ध्यान न भी दें तो भी कोई हर्ज नहीं, पर इस तरह से लाखों रुपयों का एक तरह का जो डिफॉल्केशन होता है जिसको कि शायद एक्चुअली डिफॉल्केशन के मामलों में शरीक ही नहीं किया जाता पर जो डिफाल्केशन से भी कई गुना बडी चीज है उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाये। ऐसे मामलों में तो हम लोगों को भी जनता के सामने शरमिन्दा होना पड़ता है, कहीं बहार अगर हम आते हैं तो लोग हमें इन बातों का जिक्र करके कहते हैं कि यह क्या हो रहा है, तो हमें भी शर्म लगती है।

कहा यह भी जाता है कि आप भी कहीं कारखाना खोल लीजिये, दस बीस हजार का कर्जा सरकार से ले लीजिये। कोई कहता है आप जूतों के कारखाने खोल लीजिये, मैंने कहा यह उनको नजर करो जो इस प्रकार का कारखाना खोलते हैं। जिनकी चर्म रोग से अधिक मोहब्बत है या जिनका चर्म बहुत मुलायम है उनको ऐसी बातें कहो। हम क्या जूतों का कारखाना खोलेंगे। हम तो ऐसे कारखाने खोलने वालों को जूते खरीद खरीद कर देते हैं। हम तो यह कहते हैं लेकिन फिर भी किसी को कुछ लगती नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता यह वे जानते हैं। आज बैठे बैठे सुनते हैं और इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, धन का दुरुपयोग होता है, सरकारी पैसे को बिना धणी धोरी के बहाया जा रहा है। हमारे पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है राजस्थान में, जितना दुरुपयोग सरकारी धन का यहां राजस्थान में हो रहा है उतना भारत के किसी भी अन्य राज्य में नहीं हो रहा है। इसलिये इस प्रकार का दुरुपयोग रोकना बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा हम लोगों को भी मिलकर बैठ कर विचार करना चाहिये कि इस प्रकार का जो डिफॉल्केशन लोग करते हैं उसको तो हम ही यहां सही कर लेवें। यह बात की जावे तो अधिक उचित होगा। इसलिये मेरा यह कहना है कि अगर आप इस प्रस्ताव को जिसे दांता-रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां प्रस्तुत किया है आप ठुकरा देंगे तो लोग आपको भी इस गोलमाल में शरीक मानेंगे। लोग यह कहेंगे कि आप लोग भी इसमें हिस्सा बटाते हैं। वे अगर दस हजार लेते हैं तो आप भी दस रुपया तो लेते ही हैं। तो इस लांछन से बचने के लिये दुनिया को तो दिखा दीजिये कि हम ऐसे नहीं हैं, हमारा इसमें हिस्सा नहीं है। और माननीय गृहमंत्रीजी से तो मैं आशा करता हूं कि वे मन्त्री महोदय इस कमेटी में चेयरमेन और बन जावेंगे और मुख्यमंत्रीजी या होम मिनिस्टर महोदय बडी धूम धाम से इस काम को करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और यह बात कह कर मैं सदन के सदस्यों से कहूंगा कि हमारे होम मिनिस्टर महोदय के चेयरमेन की बात को इस प्रस्ताव में और जोड़ दीजिये, नहीं तो मन्त्री लोग बुरा मानेंगे कि हमें तो ये चाहते ही नहीं। हम तो उनको अपने दिलों से लगाना चाहते हैं। आप हमारे हैं। आप काम ऐसा करिये कि हम बाहर वालों के सामने शरमिन्दा न हों। अब होम मिनिस्टर साहब में चूंकि हमारा विश्वास है इसलिये फौरन कह दिया कि इनको चेयरमेन बना दीजिये क्योंकि हमें विश्वास है। पर जैसे तुरन्त हमने इनके लिये कह दिया वैसे उपमंत्राणीजी के लिये हम नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने

[श्री मानसिंह महार]

जो नमूना पेश किया उससे उनके विश्वास का जनाजा तो पहले ही निकल चुका है। इसलिये यह निवेदन करते हुए समस्त मित्रों से निवेदन करूगा कि इस प्रस्ताव को वे समर्थन करके इस कमेटी को बनावें और होम मिनिस्टर साहब को चेयरमेन बनाने की बात को भी वे मन्जूर करें और अगर यह संशोधन दांता-रामगढ से आने वाले प्रस्तावक महोदय न मानें तो मैं उनसे कहकर मनवा दूंगा, अगर यह प्रस्ताव पास हो जावेगा तो ऐसा मैं सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दांतारामगढ से आये हुए माननीय मित्र ने जो प्रस्ताव रक्खा है मैं भी उसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उनके सुझाव का तात्पर्य यह है कि सरकारी रकम के दुरुपयोग के सिलसिले में और गबन के सिलसिले में राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अब इसका इन्तजाम करने के लिये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी मेजर्स लेने आवश्यक हो गये हैं। सरकार की ओर से सम्भव है कि जो दो मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं उनमें से जो भी जवाब देवे ऐसा कहेंगे कि सारा काम व्यवस्थित तरीके से ठीक चल रहा है गबन अगर हो जाते हैं तो उनकी जांच भी हो जाती है, दुरुपयोग हो जाता है तो उसकी भी जांच हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अब भला ऐसी कमेटी की क्यों आवश्यकता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, विशेष तौर पर उस स्थिति की ओर संकेत करना चाहूंगा कि जो स्थिति आज राजस्थान में सरकारी रकम के दुरुपयोग के सिलसिले में और सरकारी रकम के गबन के सिलसिले में आज मौजूद है और पैदा हो गई है।

जहां तक ऑडिट रिपोर्ट से आंकडे उपलब्ध हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और जहां तक मेरी जानकारी है, आज राजस्थान में जो एम्बेजलमेन्ट के केसेज हैं उनके आंकडे ३०० से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं। और इन ३०० केसेज में जितनी रकम गबन के सिलसिले में खोई हुई बताई गई है वह लगभग ८ लाख या १० लाख के नजदीक पहुंची है। सन् १९५१ से लगाकर आज तक ३०० या ३२५ गबन के केसेज हैं। यदि १० लाख रुपये गबन के तहत लोग ले गये हों तो हम या आप या राजस्थान की जनता क्या आशा करे कि सरकार ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए कुछ न कुछ कदम तो उठायेगी और सरकार ने कदम उठाये लेकिन क्या उठाये, उपाध्यक्ष महोदय, चार साल बीत जाने के बाद एक जांच कमेटी मुकर्रर की। वह जांच कमेटी अपना काम पूरा कर पाई अथवा न कर पाई तो एक जांच अधिकारी मुकर्रर किया गया। उस जांच अधिकारी ने भी फिर से वही काम अपने हाथ में लिया और वह कितना पूरा कर पाया या नहीं कर पाया इसके आज कोई आंकडे हमारे सामने उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि ये ३२५ एम्बेजलमेन्ट के जो केसेज हुए हैं उनमें से अभी तक ७, ८ केसेज ही फाइनेलाइज हो पाये हैं। पांच साल की अवधि के बाद में ३००, ३२५ एम्बेजलमेन्ट के केसेज जो विचाराधीन सरकार के पास पडे हुये हैं और ८ लाख या १० लाख की रकम के मामले इस प्रकार से सरकार के सामने पडे हुए हैं और उन से केवल ७, ८ मामलों का फैसला हो तो वैसी स्थिति में मैं समझता हूं कि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑरडीनरी सेचुएशन होगी, ऐसा मानना किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। ३०० या ३२५ केसेज में से ७, ८ केसेज अभी तक तय हो पाये हैं और १ महीने में नहीं, दो महीने में नहीं, ६ महीने में नहीं, बल्कि ४, ४ साल में, ५, ५ साल में के बीत जाने के बाद जब यह स्थिति है तो क्या

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आशा की जाय कि इस रफ्तार से ३० साल के अन्दर सारे के सारे केसेज तय होंगे ? क्या यह आशा की जाय कि जिन लोगों ने एम्बेजलमेन्ट किये हैं शायद वह रिपोर्टेड डेट हो जाय, सरकार की नौकरी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी निकल जांय, उसके बाद में सरकार इन मामलों पर फैसला करे। और बार बार जोर देने के बाद भी नाकाबिल रहती है कि सरकार इस बात की ओर कुछ कदम उठाये। इस सिलसिले में तो आवश्यक समझा और मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव दांता-रामगढ से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है कि इस मामले में उच्चस्तरीय विचार करना आवश्यक है और एक कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करवा लेना उपयुक्त होगा।

यह जो किये गये हैं, जांच हुई है ७, ८ केसेज की और जो पांच साल में केसेज हुए हैं उनके बारे में केवल एक मिसाल आपसे अर्ज करके इस पहलू को यहीं तक सीमित रखूंगा। वह जो ७, ८ केसेज तय हुए हैं उनमें से एक उदयपुर डिविजन का केस है। वह उदयपुर के रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट का केस है। वह केस इस विशेष प्रकार का है कि जिसकी वजह से मैं उसका यहां उल्लेख कर रहा हूं। रिहेबिलिटेशन के एक अधिकारी महोदय के दफ्तर का इन्सपेक्शन होने वाला था। कल इन्स-पेक्शन होने वाला था और आज शाम को उनके दफ्तर में आग लग गई। आग लगी कहां ? वह आग लगी मेज के दराज में, उपाध्यक्ष महोदय। वह केस जांच के लिये गया तो जांच समिति ने ऐसा निर्णय दिया कि यह आग जानबूझ कर लगाई गई थी और केमिकल एक्शन के द्वारा लगाई गई। लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि किस अधिकारी द्वारा यह काम किया गया, क्योंकि इसमें कई गजेटेड ऑफिसर्स इन्वाल्व्ड हैं, इसलिये यह हमारी कमेटी के बूते के बाहर का काम है। यह रिपोर्ट सन् १९५३ में होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट १९५२ में जो आंकडे लिखे हैं, जो फेक्टस् लिखे हैं उनका मैं उल्लेख कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जांच कमीश्नर महोदय को दी गई। उसके बाद वह एम्बजलमेन्ट कमेटी को दी गई यानी एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी कमेटी समझ लीजिये, हालांकि काम तो एम्बेजलमेन्ट कमेटी जैसा हुआ, तो वह एम्बेजलमेन्ट कमेटी को दी गई और उसके बाद में एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी ऑफिसर को दी गई। अब मालूम पडा है कि सरकार ने ऐसा निर्णय दे दिया है कि उस मामले में किसी भी अधिकारी की कोई विशेष जिम्मेवारी नहीं है इसलिये किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाय। ऑफिस के इन्सपेक्शन के पहले दिन आग लगी। वह भी दराज में जिसके अन्दर रुपये रखे हैं, और उसके बाद जांच के जरिये यह पता लग जाय कि केमिकल एक्शन के द्वारा आग लगी तो फिर यह कैसी कमेटी है, यह कैसा एन्क्वायरी ऑफिसर है, यह कैसी सरकार है, और पब्लिक मनी के बारे में इस सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? इतना सब होने के बाद में वह कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। किसी की गलती नहीं है। किसी को सजा नहीं दी जाय। यदि नहीं दी जायगी तो जानबूझ कर ऐसे झूंठे लोगों को पनपाने का काम किया जा रहा है। ऐसा लोग कहेंगे, दुनियां कहेगी, आपके रूबरू कहेंगे सारे के सारे इमानदार लोग कहेगें। यह मैं जो कुछ आज कह रहा हूं वह, उपाध्यक्ष महोदय, ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर छपे हुए आंकडे हैं, उनके मुताबिक कह रहा हूं। सन् १९५३ की ऑडिट रिपोर्ट को आप देखलें और आज १९५६ के फरवरी महीने के अन्दर शायद वह केस फैसल किया है जिसके अन्दर उस मामले में जितने अफसर थे उनको बहाल कर दिया। जो केसेज तय हुए हैं वह ७, ८ केसेज

[श्री हरिकृष्ण व्यास]
हैं वे इस रिपोर्ट में हैं। उनमें जिस गम्भीर स्वरूप से गबन हुआ है उस गम्भीर स्वरूप के बावजूद किसी के खिलाफ न कोई कार्यवाही की गई है और न आयन्दा के लिये कोई कदम उठाया गया है।

अभी एक माननीय मित्र ने उल्लेख किया था बीकानेर के स्कूल के बारे में। मैं बीकानेर स्कूल से ज्यादा दिलचस्प काण्ड, दिलचस्प ही नहीं गुस्सा दिलाने वाला एक काण्ड और अर्ज कर दूं उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के वेटरनरी विभाग का यह काण्ड है। जोधपुर डिविजन के वेटरनरी ऑफिस में एम्बेजलमेंट होता है और किस रूप से। इज्जतनगर की जो भारत सरकार की इन्स्टीट्यूट है वहां से वेक्सीन मंगाये जाते हैं राजस्थान में और राजस्थान विभाग का एग्रीकलचर विभाग उसको मगाता है। वहां का बिल आता है उस बिल के पेमेन्ट के सिलसिले में ट्रेजरी से पैसा उठाया जाता है और पैसा उठाने के बाद उन डिविजनल वेटरनरी आफिसर महोदय के दस्तखतों से एक चिट्ठी शाया होती है कि यह ड्राफ्ट भेजा जाता है पांच हजार रुपये का अथवा तीन हजार रुपय का एक नहीं दो-दो तीन-तीन चिट्ठियां ऐसी है लेकिन ड्राफ्ट नहीं है। जो ड्राफ्ट के नम्बर चिट्ठी में दिये गये हैं उन नम्बरों का ड्राफ्ट बक ने पंजाब के किसी दूसरे व्यापारी को ईश्यू किया है ऐसा बैंक का कहना है। ट्रेजरी से पैसा उठाया, ड्राफ्ट बनाया नहीं और फर्जी एन्ट्री कर दी और ड्राफ्ट का नम्बर फर्जी दे दिया। यही नहीं लेकिन ऑडिट आफिस में रसीद और वाउचर भी फर्जी भेज दिये और करीब करीब ८ महीनों के बाद एम्बेजलमेंट का पता चला तो एन्क्वायरी होती है और एन्क्वायरी हो कर राजस्थान सरकार का निर्णय होता है कि किसी की विशेष गलती नहीं पाई गई। ड्राफ्ट नम्बर गलत दिया गया। आंखें मूदकर अफसर दस्तखत करते हैं। ट्रेजरी से पैसा उठाया जाता है लेकिन भेजते नहीं है। वह १० हजार रुपये का मामला है कोई एक या दो रुपयों का मामला नहीं है।

उस सम्बन्ध मे गवर्नमेन्ट और कोई चीज करना न संभव मानती है और न ही आवश्यक, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह कहूंगा कि जिस राज्य में ३२५ ऐम्बेजलमेन्ट केसेज पड़े हुए हैं उन पर विचार और फैसला नहीं हो रहा है। उसमें से ८, १० केसेज जो तय हुए हैं वह इस रूप में कि आखों देखते हुए किसी ने जानबूझ कर यह काम किया है उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की जाय। जहां कि ८, १० केसेज में ऐसा हुआ है और पब्लिक के रुपये का दुरुपयोग की रोकथाम में वह असफल हुई है उसके बाद में भी राज्य के द्वारा इस सिलसिले में सुधार किया जा सकता है तो वह तभी किया जा सकता है कि जब गम्भीरता से एक्स्ट्राऑर्डीनरी रूप से इस समस्या पर विचार करें, इसके इसके बारे में कदम उठायें। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो समिति मुकर्रर करने का जो सुझाव है वह दुरुस्त है।

यह तो हुआ ऐम्बेजलमेन्ट केसेज के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, अब में सरकारी रकम के बारे में जो स्थिति है उसके बारे में अर्ज करदूं। सरकारी रकम के दुरुपयोग की स्थिति का काम पूरा का पूरा ऐसे रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं; उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं उसके सिलसिले में एक मिसाल जो बन चुकी, एक मिसाल जिस हद तक जो बन पाई है उसका उल्लेख करके मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ एक दो बातें अर्ज करना चाहूंगा और वे क्या ? वे यह हैं कि सरकारी रकम के दुरुपयोग में यदि नीयत के बारे में शक-शुबा की बात हो, यदि इन्टेशन के बारे में कुछ डाउट हो और सरकारी रकम के दुरुपयोग में ऐसा प्रतीत

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

होता हो, किसी ने निर्णय करने में गलती की, चाहे निर्णय गलत किया हो और उसमें नुकसान हुआ हो तब तो समझ में आ सकता है कि सरकार हिचकिचाहट करे और सख्त कार्यवाही न करे। लेकिन एक नहीं, बीसीयों, सैंकडों ऐसे केसेज राजस्थान में मौजूद हैं, जहां सरकार का लिखित निर्णय है, उस लिखित निर्णय के विपरीत अधिकारियों ने पैसे का उपयोग किया है। उस उपयोग के बारे में ऑडिट ऐतराज हुए हैं और आज तक उन की जांच का निर्णय नहीं हो पाया है, न तो वह पैसा वसूल किया गया और न ही उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई।

शिक्षा विभाग, जिस की देख भाल राजस्थान के मुख्य मंत्री खुद कर रहे हैं आज कल और जो मुझे याद है, उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन इस सदन में बडा लाल पीला मुंह करके तेज तर्राटे से कह रहे थे कि हम भी इज्जत रखते हैं, हम भी आबरू रखते हैं इस प्रकार के इल्जाम करना नादुरुस्त है इत्यादि, इत्यादि; इस प्रकार की बातें उन्होंने कहीं थीं। बहुत अच्छा होता कि यदि वे आज यहां उपस्थित होते और वे इसको सुन पाते कि उनकी नाक के नीचे, उन्हीं के विभाग में क्या हो रहा है ? एक दिन से नहीं दो दिन से नहीं, डेढ साल से हो रहा है और तब वे कहते कि मैं इसको रोकने के लिए तैयार हूं, तब तो अपनी इज्जत और आबरू को बार बार बखानना दुरुस्त होता। लेकिन ऐसी इज्जत-आबरू उन्हीं को शोभा दे और सराहे, यह जनता की दृष्टि से तो ठीक नहीं है।

राजस्थान की सरकार तीन वर्ष पहले किताबें खरीदती है। राजस्थान की सरकार का हुक्म निकला २५ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिया जावे। एक रुपये की किताब सप्लाई की हो तो उसको बारह आना डिस्काउन्ट दिया जाय। यह हुक्म निकलता है टेन्डर निकलने के बाद। उस हुक्म में लिखा हुआ है कि २५ मार्च तक सप्लाई हो जाय और उस के बाद पेमेन्ट होता है ७॥ परसेन्ट पर, १२॥ परसेन्ट पर, २२॥ परसेन्ट पर। इसमें जांच की बात और जांच की गुन्जाइश नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। जहां जांच की गुन्जाइश है वहां मैं जानता हूं कि यह कह दिया जावेगा कि जांच होगी, निर्णय होगा। इसमें जांच की गुन्जाइश नहीं है। सरकार का हुक्म है २५ परसेन्ट का और पेमेन्ट होता है ७॥ परसेन्ट से, १२॥ परसेन्ट से और २२॥ परसेन्ट से। हजारों रुपया ओवर पेमेन्ट किया उसकी कोई जांच नहीं हुई। ढाई साल से यह मामला ओडिट में पडा हुआ है आज तक सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं हुआ। नेशनेलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स की प्रिन्टिंग की बात लीजिये। किताबें छपाई सरकार ने टेन्डर मांग कर कि अमुक अमुक रेट पर छपाई की जाय, जैसे ७॥ पाई, ८ पाई प्रोफोर्मा। इस सम्बन्ध में लिखित आदेश हैं। बिल आते हैं उसमें ६५०, ७००) का इजाफा हो जाता है, जोड दिये जाते हैं। इसके लिये कोई गवर्नमेंट सेन्क्शन नहीं। पेमेन्ट हो गया। पेमेन्ट लेने वाले सरकार के नजदीक के आदमी हैं। राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स उसका नाम है। जहां से 'नवयुग' छपता है। वही है उसका श्रोत। डेढ साल बीत गया कुछ नहीं हुआ। अभी परसों एक मोशन के विषय में सवाल आया भारत सरकार की किताबों की खरीद के बारे में और तफसील में गये बगैर मैं यह बात अर्ज करना चाहूंगा कि वह केस सदन के ध्यान में और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के खुद वे मंत्री हैं और जवाब देने की स्थिति में हैं। मार्च, ५६ में भारत सरकार का पब्लिकेशन है उसमें देने वाली फर्म वो की वो ही और लेने वाली पार्टी है राजस्थान सरकार। वो की वो ही किताब, वो की वो ही फर्म, वो के वो ही खरीदार, वो की वो ही महीना। २२ हजार खरीदीं १० पर्सेन्ट डिस्काउन्ट से, ३। हजार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

खरीदी १७ परसेन्ट डिस्काउन्ट से और ४०,५० हजार खरीदीं ३३½ परसेन्ट डिस्काउन्ट से। सारे के सारे बिल पास होते हैं ३१ मार्च, १९५६ को और उसके बाद, सारा का सारा पेमेन्ट होता है ३१ मार्च, १९५६ को और उसके बाद। इस का क्या उत्तर है ? एक ही किताब है, एक ही पार्टी देने वाली है और एक ही पार्टी लेने वाली है, एक ही महीने का केस है, एक ही महीने का ट्रान्जेक्शन है। पेमेन्ट सारा का सारा एक दिन के बाद। ३१ मार्च, ५६ के बाद और यह है अपनी इज्जत और आबरू पर ज्यादा जोर देने वाले मुख्य मंत्री के महकमे एजुकेशन का हाल। अगर केवल एक विभाग की बात हो तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है कि एक विभाग में गड़बड़ी होगी, ध्यान नहीं रखा होगा। मैं यह अर्ज करूं कि केवल एक विभाग की ही ऐसी बात नहीं, राजस्थान सरकार का कोई विभाग ऐसा नहीं बचा है कि जहां सरकारी रकम के दुरुपयोग की बीमारी बड़ा घर न कर गई हो। और उसका एक कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका कारण है कि ऐसे मामलों में ढिलाई बरती जाती है, लोग कहते हैं और बार बार कहते हैं और बार बार कहने पर भी उसका कन्ट्राडिक्शन नहीं होता। लोग कहते हैं कि ऐसे मामलों में मंत्रियों के पास जाकर और दबाव और सिफारिश और किसी का नाम ले कर तो कहते हैं कि रुपयों से काम करते हैं। ऐसी जब हालत है और ऐसी जब स्थिति हो तो उसमें सुधार कैसे हो ? उसके सुधार का तरीका सोचा जाय। मैंने यह एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कही। पॉवर हाऊस को ले लीजिये।

(घंटी)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। कुछ मुद्दे की बातें कह रहा हूं।

पॉवर हाउस की बात ले लीजियेगा। अभी माननीय मित्र कह चुके हैं कि बहुत कुछ कहना है। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो दुनिया मानेगी, माननीय मंत्री मानेंगे और सरकार मानेगी। आठ साल से गबन चला आ रहा था कोयले के मामले में और आठ साल से गबन चल रहा था, खुद विभाग ने हिसाब लगाया उस हिसाब से ६। लाख का गबन हुआ और अब ६। लाख का गबन हो जाने के बाद में भी क्या सरकार बताने की स्थिति में है कि हमने जांच करा ली तो अमुक अमुक खामी पायी, अमुक अमुक सुधार करा लिया ? लेकिन अभी इसका जवाब नहीं, विचाराधीन है। अभी यहां वे माननीय मंत्री हैं नहीं जिनसे इस पी. डब्ल्यू. डी. विभाग का सम्बन्ध है, वे इस विभाग में नये नये आये हैं, उनका दोष नहीं। उन्होंने जवाब दिया कोयले की खरीद के बारे में। वह केस तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके दो पहलू हैं वह मैं अर्ज करूंगा, जिसमें बहस की गुन्जाइश न हो। एक पर्टीकुलर फर्म है जिसका नाम है एस. एन. सन्डर्सन। उसने टेन्डर दिया है ३६ रु० २ आना का और सरकार ने उसको ओर्डर दिया है ३७ रु० ३ आने टन के हिसाब से। मंत्री महोदय कह गये कि कोयला लाने लेजाने में लोस हो जाता है, लोसेज ड्युरिंग ट्रान्जिट, इसलिए तीन परसेन्ट और दिया। मैं आज कह रहा हूं, उस दिन कहा था और मौका आयगा तो फिर कहूंगा। मंत्री महोदय को सहूलियत हो तो वे अपनी फाइल ले आवें, वे फाइल हाथ में रखें और देखते जावें और मैं कहता हूं वे उसको हां या इन्कार करते जांय। उस टेन्डर में ये शब्द हैं रेट एफ. ओ. आर. पॉवर हाउस, रेल ब्रिज।" नीचे दर्ज है ३६ रु० दो आना।" अब जो रेट एफ. ओ. आर. पोवर हाउस रेल ब्रिज है उस लोसेज ड्यूरिंग ट्रान्जिट कोई कैसे जोड़े ? यह अक्ल का काम राजस्थान सरकार ने किया तो कैसे किया ? कोई आकर कहे कि मैं आप के घर के फाटक पर इस भाव में दूध पहुंचा दूंगा तो उसको यह कहा जाय कि

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रास्ते में दूध गिर जाता होगा। गिर जाता होगा तो गिर जाता होगा वह तो घर के दरवाजे पर आकर देने का वादा करता है। रास्ते में गिरने का तो उसने पहले सोचा होगा। वह क्यों नहीं कहा जाता कि मंत्रीजी के साले के और उस फर्म वाले की आपस में पार्टनरशिप थी जो कुछ ही दिन पहले हुई। आपकी फाइल में उनके दस्तखत मौजूद हैं। उन्होंने जो १०-१२ चिट्ठियें दी थीं उनमें उनके दस्तखत मौजूद हैं पार्टनर की हैसियत से।

यह कोई एक ही डिपार्टमेन्ट की बात नहीं है। मैं ज्यादा तफसील में बयान नहीं कर सकता क्योंकि इसमें समय लगेगा, इसलिये मैं ऐसे चुनिन्दा मामले पेश करूंगा जो रेकॉर्ड से साबित हैं। मैंने बिजली विभाग की बात अभी कही। बिजली विभाग को जाने दीजिये। एग्रीकल्चर विभाग के बारे में आज एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, उस ओर संकेत किया जाय क्योंकि खुद मंत्रीजी जानते हैं कि इसमें कहां गड़बड़ है। आज जबाब दिया गया सरकारी ट्रेक्टर के बारे में। उस जबाब का न तो कोई सेन्स है और न उसका सर है न पैर है। जिन मंत्रीजी ने उस प्रश्न का जबाब दिया उनकी जानकारी इस मामले में १ पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा था कि जोब खोल दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जोब खोला नहीं गया और आज तक रेकर्ड मौजूद है। विधान सभा में जिक्र होने के बाद बिल बनाया गया और बैंक डेट से बनाया गया। इसके सबूत में मैं प्रस्तुत करता हूं डिस्पेच नंबर्स को, आप उसके डिस्पेच नंबर देखिये और उस विभाग के डिस्पेच रजिस्टर को देख कर पता लगाइये कि ये डिस्पेच नंबर किस तारीख के हैं और बिल को देख लीजिये। जिस तारीख का उस में जिक्र है उस तारीख का बिल नहीं बनाया गया। खैर इस बात को जाने दीजिये। १०-१२ लाख रुपयों के कंप्रेसर्स खरीदे। एक साल भर हो गया वे यों ही पड़े हैं। बरसात में उनमें काट भरता है, पानी भरता है। एक साल हो गया सरकार की पूंजी ब्लोक होकर पड़ी है, लेकिन उनमें से एक भी कंप्रेसर उपयोग में नहीं आया। अब यदि यह पूछा जाय कि ऐसी कौनसी स्थिति आपके सामने आई जिसके कारण आपको ये खरीदने पड़े? जब आपके पास उसको उपयोग करने के साधन नहीं तो आपने क्यों खरीदे? क्या खाली कमीशन के लोभ में आकर खरीद लिये? जिसके पास स्टोर न हो, गोदाम न हो, जिसका उपयोग न हो वे क्यों खरीदें? एग्रीकल्चर विभाग के दफ्तर के बाहर जहां ३-३ फुट पानी गड्ढे में भरता है और तालाब की तरह से भरा रहता है, उसमें भीग रहे हैं सरकार के ट्रेक्टर और कंप्रेसर। लेकिन कोई पूछ-ताछ करने वाला नहीं, कोई जाब्ते की कार्यवाही करने वाला नहीं।

ऐसी ही स्थिति देखी आपने मेडिकल विभाग की। कल एक प्रश्न में उल्लेख हुआ। मैं समझता हूं उसके बाद कुछ कहना नहीं चाहिये। लंबी-चौड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। सन् ५५-५६ के लिये टेन्डर्स मांगे सरकार ने अस्पतालों के लिये दवाइयों और इक्वीपमेन्ट्स के लिये। ये टेन्डर्स मांगे सन् १९५५-५६ में। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ५५-५६ का साल १ अप्रेल, १९५५ में शुरू होता है और ३१ मार्च, १९५६ को खत्म होता है। १ अप्रेल, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ की अवधि के लिये टेन्डर मांगे। उसकी जांच हुई, देखभाल हुई। और इस विभाग के मंत्रीजी कह रहे थे कि खूब छानबीन की गई और खूब देख भाल की गई। खूब देखभाल करते करते १६ मार्च,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

१९५६ को अस्पतालों को इतला दी गई कि अमुक अमुक दुकान से अमुक अमुक रेट पर सामान खरीद सकते हैं। यदि कोई पूछे कि कौनसे वर्ष के लिये तो कहा गया कि ५५-५६ के लिये। साल खत्म होने में १४ दिन बाकी थे। तब साल भर के लिये ओर्डर भेजते हैं और फिर कहते हैं कि रकम का दुरुपयोग नहीं था। मन चाहे ढंग से दवाइयें खरीदी गई मैं कहता हू कि इसमें क्या गोलमाल था ? मंत्रीजी कहते हैं जांच की गई कोई गोलमाल नहीं था। बात यह है कि जिस प्रकार के टेन्डर मांगे उसमें जांच करना सभव नहीं। सैकड़ों मैडिसिन्स के चार्ट पड़े हैं कोई जांच नहीं हो पाती। बात यह है कि नये टेन्डर की मंजूरी में सौदा नहीं पटा तब खींचातान हुई उसमें वक्त लग गया। उसके लिये रूल्स अमेन्ड करने की भी नौबत आई, उसमें भी वक्त लगा और साल बीतने का समय आ गया। तब यह कहा गया कि अस्पताल चाहें जैसा सामान खरीद सकते हैं। इसमें न कोई रुकावट हुई और न कोई बात हुई और न कोई तरीका रहा। दवाइयों के मामले में मार्च, ५५ से मार्च, ५६ तक के बीच में इस विभाग ने १० लाख रुपयों के एक्सरे इक्विपमेन्ट खरीदे, मोटर गाडियें खरीदीं, एम्बुलेन्स कार्स खरीदीं, ओपरेशन टेबल्स खरीदीं और वह सारा का सारा काम १०-१२ दिन में पूरा किया। न टेन्डर मांगा और न रेट को वेरिफाई किया और सारी कार्यवाही टेलिफोन पर ही करली गई, क्योंकि यदि देर करते तो सारा पैसा लेप्स हो जाता और इधर दवाइयां लेप्स हो जातीं। सामान पूरा आया नहीं, आया लेकिन बिल पास करने का समय आ गया इसलिये डाक्टरों को कहा गया कि सामान आ जायगा बिल वेरिफाई करदें। एक डाक्टर ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और कहा कि मेरे स्टोर में जब तक सामान नहीं आयगा तब तक मैं वेरिफाई करने को तैयार नहीं हूं। वह सामान रह गया और बाकी रुपयों का पेमेन्ट कर दिया गया। ऐसी स्थिति है। समय की कमी के कारण इस की आड में सब कुछ कर लिया गया, आगे न कह कर यही कहना चाहिये कि कोई अंत नहीं ऐसी घटनाओं का, चीजों का और मौका आयेगा तब और बताऊंगा।

जहां तक मंत्रीजी के नजदीक की बातों का उल्लेख करदूं हालांकि महकमा उनका नहीं है लेकिन उनके साथ में बैठने वाले रामनाथजी पोद्दार से संबंध रखता है।

अभी ८ दिन पहले सदन में एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था और यह कहा गया था कि जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल को चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिक विभाग ने बिना सरकारी आज्ञा के पुराने जयपुर राज्य के फैसले के कारण दो आना युनिट के बजाय ६ पैसा युनिट के हिसाब से बिजली देना शुरू कर दिया था। वह गलती सुधार ली गई है और अब उनको २ आना प्रति युनिट के हिसाब से बिजली दी जारही है। यह जबाब देने वाले पी. डब्ल्यू. डी. के डिप्टी मिनिस्टर श्री अलीमुद्दीनजी थे, प्रोसिडिंग्ज में मौजूद है, देख लीजिये यह तय हुआ था कि बिजली कंसेशन रेट पर दी जावेगी। फिर चीफ इंजीनियर ने बगैर गवर्नमेन्ट की इजाजत के ६ पैसा युनिट के हिसाब से बिजली देदी। उस पर ओडिट ओब्जेक्शन हुआ जिसमें यह लिखा है :—

"The unauthorized rate at which the concern was supplied electric energy put Government to a loss of Rs. 15,937/- in respect of electric energy supplied during the year 1953-54 alone."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

५३-५४ के एक वर्ष में १५९३७) रुपये का सरकार को नुकसान हुआ। हुआ जो हुआ। आज यह कहा जा रहा है कि हमने वह ओर्डर रद्द कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा एक बार सदन में जिक्र हुआ था कि शब्द झूठ अन्पार्लियामेंटरी शब्द है तो मैं अब आपकी मदद चाहूंगा, आप ही बता दें कि मैं क्या कहूं ? पर हकीकत तो यह है कि एक दिन भी उस फर्म से दो आना की रेट से चार्ज नहीं हुआ, आज भी नहीं होता, मैं जोर से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, उन इज्जत आबरू वालों से कहता हूं। यहां बयान दिया कि छः पैसे की रेट को बदल कर दो आना कर दिया है, पर दो आना की रेट से एक दिन भी चार्ज नहीं किया, किया वही ये कागजी हुक्म है वह भी रद्द कर दिया गया। आज तक बिल बनते हैं वह छः पैसे के हिसाब से बन रहे हैं। यह रामनाथ पोद्दार की कन्सर्न है इसलिये रियायत होती है।

सरकार अपने आपको नाकाबिल साबित कर चुकी है, सरकार ने अपने कार्यों से दिखा दिया है कि वह ऐसे कार्यों को रोकने में असमर्थ है। यह संभव है रोकना चाहती हो पर उसको तरीका याद न हो, इरादा होने पर भी कार्य करने की सहूलियत नहीं हो। तो माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि ४ माननीय सदस्यों की समिति बना कर सुझाव मांगे जायं इसे स्वीकार किया जाय। यह राजस्थान के हित का सुझाव है। सरकार अगर सुलझाडा करना चाहती है तो इसे स्वीकार करना चाहिये, अगर नहीं चाहती और चाहती है कि जैसा चलता है वैसा ही चलने दिया जाय तो यह बात दूसरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे, उधर बैठे हुए माननीय सदस्य भी चर्म उद्योग के मामले को लेकर ही सही, इसका समर्थन करेंगे।

श्री जगतसिंह झाला—उपाध्यक्ष महोदय, दांता-रामगढ़ से आये हुये माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उसके विषय में मैं भी चन्द शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

भ्रष्टाचार का बोलबाला राजस्थान में बढ़ता जा रहा है और सरकारी मुलाजिमों पर चार्ज लगाया जाता है कि वे बहुत सी सरकारी रकम का गबन करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात केवल राजस्थान सरकार की सेवा करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों पर ही लागू नहीं होती बल्कि राजस्थान सरकार की केबिनेट में भी इस तरह के सदस्य हैं जो सरकारी पैसे का गबन करते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं इसकी तारीफ में आ सकता है। राजस्थान के एक मिनिस्टर साहब जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि वे इस समय इस सदन में नहीं हैं। छोटी सादड़ी में उन्होंने अपने नाबालिग बच्चे के नाम से जमीन ली और तकाबी के लिये लम्बे अर्से से कागज चल रहे थे। हमने उनसे अर्ज किया था कि छोटे नाबालिग बच्चे के नाम से जमीन ली है वह नावाजिब है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा दुरुपयोग राजस्थान सरकार के मंत्री होने के पॉवर का किया है। वे राजस्थान सरकार के वन-मंत्री थे। उन्होंने छोटे लड़के के नाम से जो चार वर्ष का है, उसके नाम से जमीन ली। आज विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उस जमीन के लिये ५०००) रुपये की तकाबी मंजूर हुई है।

[श्री जगतसिंह झाला]

हमने विरोध किया तो आधी जमीन वहां एक रतनलाल नलवाया है उसके नाम से रख ली और आधी जमीन भू-दान में दे दी, तो फिर यह ५००००) रुपयों की तकावी किस बात को ले रहे हैं? क्या यह सरकारी धन के दुरुपयोग की तारीफ में नहीं आता? जब राजस्थान के मंत्री महोदय पचास पचास हजार रुपयों की तकावी ले सकते हैं और इस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग कर सकते हैं तो दूसरों के तो कहने ही क्या हैं, दूसरों के लिये तो किया ही क्या जा सकता है?

राजस्थान के मन्त्री महोदय अगर आज यह सोचते हैं कि आज मन्त्री हैं कल हट जायगे तो क्या करेंगे, इस चीज को सोच कर यदि सरकारी धन का इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि सदन के ध्यान में यह बातें लायें। तो इस तरह ५० हजार की तकावी मंजूर कराई गई है यह भी सरकारी रकम का बहुत बड़ा दुरुपयोग है।

भीलवाड़ा में महिला कल्याणकारी केन्द्र है, उसकी अध्यक्षा श्रीमान् माणिक्यलालजी वर्मा की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने अपनी पुत्री को सरकारी नौकरी में ले रखा है और ४० हजार की धन-राशि हमीरगढ़ महिला केन्द्र में खर्च करने के लिये स्वीकार किये गये, उनमें से कुछ भी रकम खर्च नहीं की गई और विरोध किया गया तो बाहर से कलकत्ता या और और जगह जाकर उस रकम को बटोरा जा रहा है, उस रकम को बटोरने के लिये सारी दौड़ धूप हो रही है। उस रकम का इस तरह दुरुपयोग हुआ। इस कारण से हमीरगढ़ में पंचायत अफसर को भी इस प्रकार की कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ा। वहां पंचायत का चुनाव हुआ उसमें विरोधी सदस्य आये, उनको हटाने के लिये यह दौड़ धूप करनी पड़ी, कलेक्टर तक को ओर्डर दिया कि वहां के सरपंच को चार्ज नहीं दिया जाय और एक साल बाद उनके नाम गजट में प्रकाशित हुए। हमीरगढ़ में जहां श्रीमती नारायणीदेवी थीं, एक सरपंच भी रहता था, वह वहां रहता है और विरोधी है जो सारी पोल को खोलेगा। इसलिये उस चुनाव में धांधली की कार्यवाही की गई। मैं मन्त्री महोदय से स्पष्ट निवेदन करूंगा कि अगर इस मामले की जांच करवाई जाय तो सब कुछ स्पष्ट मालूम हो जावेगा।

मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि राजस्थान के मन्त्री महोदय और राजस्थान के कांग्रेस के उच्चवर्ग के लोग इस तरह की कार्यवाहियां करते हैं, इस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं।

उदयपुर में दलितवर्ग की कान्फ्रेन्स के लिये ६००० रुपया दलितवर्ग संघ के लिये दिया गया था, उसका भी दुरुपयोग हुआ है। ६००० रुपया पूरा खर्च नहीं हुआ है ऐसा लोगों का कहना है, इसकी भी जांच करवाई जाय, नहीं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

आज हमें देखना है कि हमारे यहां प्रजातन्त्र एक बहुत छोटा बच्चा है उसको हटाने के लिये विरोधी भावना के आवेश में आकर या बदनामी करने के लिये या निन्दा करने के लिये नहीं कहते, हमारा यहां यह सब कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी प्रत्येक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिये यह निवेदन करते हैं। वर्ना हम निर्भीकता के साथ कह सकते हैं कि अगर यही बतौरा रहा तो राजस्थान कभी तरक्की नहीं कर सकता।

रावत श्री शंभुसिंह--दांता-रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव के बारे में सदन में जो चर्चा हुई वह काफी गम्भीर है और यों ही टाल देने का विषय नहीं है।

इस सदन में वक्त वक्त पर, क्या तो बजट के प्रस्तुत होने के वक्त पर अथवा श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के अवसर पर अथवा अन्य मौकों पर इस प्रकार की चर्चाएं होती रही हैं और सरकार की तरफ से भी इस प्रकार की चर्चाओं की सच्चाई स्वीकार की जाती रही है। जैसी कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और ऑडिट रिपोर्ट वक्त वक्त पर निकलती रहती हैं, उनको देखने से साफ जाहिर होता है कि सरकारी धन के गबन और दुरुपयोग के मामले जिस प्रकार के चार्ज यहां पर लगाये जाते हैं वह होते रहते हैं। तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रकार के दुरुपयोग और गबन के लिये रोक थाम की जावे। शुरू में पुलिस को पॉवर्स थे, इसके बाद एम्बेजलमेंट डिपार्टमेंट कायम हुआ और एक बोर्ड कायम हुआ उसमें इस सदन के सदस्य लिये गये, पर जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि ३०० मामले रजिस्टर हुए उनमें से कुछ ही का निबटारा हुआ। केवल कुछ ही मामलों का निपटारा हो पाया है और उनमें भी सन्तोषप्रद एक्शन नहीं लिया गया है। सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य जो सरकार के कार्यों की प्रगति में इतनी रुचि रखते हैं उनके लिये यह चिन्ता का विषय बन जाता है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी इस पर प्रकाश डाला है और इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि काफी मिसालें आपके सामने पेश हो चुकी हैं और और भी बहुतसी मिसालें हैं। जैसे कोयले का मामला जो इलेक्ट्रिक विभाग के सिलसिले में जुड़ा हुआ है और इसके सम्बन्ध में अभी हमारे जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया। इस प्रकार सरकार की ओर से कई लोगों को ऋण दिया जाता है और....

श्री जगतसिंह झाला--माननीय उपाध्यक्षजी, कोरम नहीं है।

श्री संतोषसिंह--कोरम नहीं है तो कल पर रख दिया जावे।

(गण-पूरक घंटी)

श्री शंभुसिंह--(जारी) मैं समझता हूं कि जो ऋण सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाता है वे लोग उसको वापिस नहीं लौटा पाये हैं, मगर फिर भी सरकार की तरफ से उनको ऋण दिया जाता है, इस प्रकार सरकार के कोष से जो रुपया लिया जाता है वह यदि वक्त पर नहीं वसूल किया जावे तो यह भी एक चिन्ता का विषय अवश्य है।

मैं आपको उदयपुर की बात कहूंगा, वहां पर प्रतापनगर सोसाइटी मुकर्रर हुई थी, उसको राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों सरकारों से धन प्राप्त हुआ था; यानी दोनों सरकारों से उनको धन प्राप्त हुआ, मगर उस सोसाइटी का क्या हुआ और वह धन किस प्रकार से उपयोग में लाया गया उसका कोई पता नहीं और जहां तक मैं समझता हूं इसमें भी बहुत बड़ी गोलमाल है, मगर अभी तक सरकार की तरफ से इसकी जांच पड़ताल का कुछ इन्तजाम नहीं किया गया है।

[रावत श्री शम्भुसिंह]

इसी प्रकार सप्लाई विभाग की तरफ से अनाज खरीदा गया था और वह विभिन्न स्टोर्स में रखा गया था। मगर यह पता नहीं कि अब वह बचा कितना और कितना खराब हुआ, अब कितना कहां कहां पर है ? इसके लिये एक सदन में प्रश्न भी प्रस्तुत हुआ था लेकिन सरकार के सप्लाई विभाग के मन्त्री महोदय ने उत्तर को बराबर टालने की कोशिश की और आखिरकार सम्बन्धित मन्त्री की तरफ से कोई संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार पी. डब्ल्यू. डी. और इरींगेशन में भी पैसा जो लगाया जाता है उसका भी सदुपयोग नहीं मिलता। हालांकि प्रत्यक्ष रूप में उसका दुरुपयोग होता है, यह यह तो नहीं कहा जा सकता मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि जितना रुपया इन विभागों पर खर्च होता है उसका सदुपयोग होता है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि इरींगेशन या पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत जिस कदर पैसा लगाया जाता है उसका आधा से भी कम रिटर्न हमको मिलता है। अभी कुछ बांध बनाये गये थे जो अतिवृष्टि से टूट गये और उनके टूट जाने से उस धन का दुरुपयोग नहीं हुआ तो क्या हुआ है ?

इन सारी बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि एक समिति बनादी जावे। क्योंकि इसको रोकने के लिये सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इससे सरकार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यह समिति तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिये कायम की जा रही है और इससे धन के दुरुपयोग को रोका जा सके और धन का सदुपयोग हो सके, उसकी व्यवस्था की जा सके। मैं समझता हूं कि सरकार के लिये भी यह एक अच्छी चीज होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संकल्प को सरकार अवश्य ही स्वीकार करेगी और इस समिति को मुकर्रर करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करेगी।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--उपाध्यक्ष महोदय, दांता-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरूंसिंह ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही शुभ है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह सरकार के बहुत खिलाफ पड़ता है इसलिये सरकार इसको पास कैसे करने देगी यह एक सोचने की बात है। क्योंकि सरकार में जितने काम होते हैं उसमें करीब करीब रुपये में बारह आने तो दुरुपयोग में जाते हैं और चार आने का काम जनता को मिलता है।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या आप यह अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं ?

श्री संतोषसिंह कछवाहा--मुझे यह तजुर्बा आप लोगों के साथ रहने से होगया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज कल जयपुर में ऑल इन्डिया एज्यूकेशनल कॉन्फ्रेन्स हो रही है। इसमें लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिये भी एक कमेटी बनाई जाकर इसकी इन्क्वायरी करें तो आपको पता लगेगा कि कितना धन का दुरुपयोग हो रहा है। अगर सरकार को कोई स्कूल खोलने के लिये कहते हैं या किसी को मदद देने के लिये कहते हैं तो यह सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है और जब उनको १०० या २०० रुपये के लिये कहा जाता है तो उस समय सरकार यह कहेगी कि आधा रुपया अपने चन्दे से इकट्ठा करो और आधा हम देंगे। मगर यह जो लाखों रुपया इस ऑल इन्डिया एज्यूकेशनल कॉन्फ्रेन्स में खर्च किया जा रहा है उसमें आधा रुपया किसने दिया और आधा कहां से लाये ?

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

जहां तक देखा गया है कि राजा और महाराजा लोग नाच गाने में पैसा बहुत खर्च करते थे और यह कहा जाता था कि वे लोग नाच गाने में पैसा बहुत बिगाड़ते हैं। मगर यह हमने देखा कि राजा लोग तो रंडियों को नचा कर पैसा उड़ाते थे मगर यहां पर हमारे कांग्रेस सरकार के अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे घराने की कुंवारी लड़कियों को नचा कर दिल बहलाते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार कमेटी कभी भी कायम नहीं करेगी। क्योंकि वह कमेटी तो भंडाफोड़ करेगी खुद का भंडाफोड़ वह कैसे होने देगी। मैं समझता हूं कि यह हमारी सरकार तो कमेटी के लिये कभी भी मंजूर नहीं करेगी। हालांकि यह सुझाव बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह सरकार के खिलाफ पड़ता है। अगर सच्चे माने में सरकार सच्ची है और रुपया जो भी खर्च करती है वह सदुपयोग में खर्च करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार को आगे होकर इस प्रकार का संकल्प पेश करना चाहिये था, मगर हम देखते हैं और सभी जानते हैं कि रात दिन पैसा अनाप शनाप उड़ाया जाता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यदि सरकार सोसियल पैटर्न को कायम करना चाहती है तो इस संकल्प का किसी भी हालत में विरोध नहीं करना चाहिये और न करेगी। अगर सरकार इसका विरोध नहीं करेगी तो पता चल जावेगा कि वाकई में यह सरकार चाहती है धन के दुरुपयोग को रोकना। अगर इसका विरोध होगा तो साफ जाहिर है कि जनता के पैसे का कितना दुरुपयोग किया जाता है। सरकार बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाह में ५००, १०००, ८००, १२०० कर देती है लेकिन एक ५० रुपये के पानेवाले के लिये एक रुपया भी बढ़ाना उनके लिये मुश्किल होजाता है। यदि इस प्रकार का धन का दुरुपयोग जो हो रहा है उसको सरकार रोकेगी तो सरकार को दाद देंगे कि वाकई में सरकार की इसके प्रति दिलचस्पी है और पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हो इनके लिये सरकार इसका विरोध नहीं करेगी। फिर भी मैंने अभी देखा कि इसका विरोध किया जावेगा क्योंकि इसके लिये व्हिप इश्यू होगया है कि इसका विरोध किया जावे।

श्री कंवरलाल—आपको किस तरह से यह प्रेरणा मिली है।

श्री संतोषसिंह—यह प्रेरणा आपकी तरफ से ही मिलती है। एक माननीय मन्त्री महोदय बैठे हैं जो बड़े सज्जन हैं वे ऐसे सुझाव के हामी रहेंगे और इसको जल्दी से पास करा देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष जी, जो संकल्प इस सदन के सामने रखा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि सरकारी रुपये का अपव्यय जो हो रहा है उस अपव्यय को रोकने के लिये एक समिति बनायी जाय जो सुझाव दे कि किस प्रकार से गबन और अपव्यय को रोका जा सकता है। इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें सदन में कही गई उनमें से बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो पहले भी कई दफा प्रश्नों के रूप में, कई दफा वाद-विवाद के रूप में सदन के सामने आ चुकी हैं। बजट पर डिस्कशन के रूप में और सवाल जवाब के रूप में आ चुकी हैं, कुछ बातें उनके अलावा भी कही गई।

एक आम बात यह कही गई कि गबन के जितने मामले हैं उन पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये निवेदन करदूं कि सरकार की कभी यह मन्शा नहीं रही है कि वे गबन के मामलों को ढांकने का प्रयत्न करे सरकार ऐसे मामलों में मुकदमें चलाती है इसके लिये खास तौर से इन्क्वायरी आफिसर को मुकर्रर किया गया है जिसकी मियाद पहले छः महीने की थी उसकी मियाद और छः महीने की बढ़ायी गई है। मैं सदन के सामने यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह बात

[श्री रामकिशोर व्यास]

ठीक है कि इन्क्वायरी एम्बेजलमेन्ट केसेज में होती है, उसमें देरी कुछ अवश्य लगती है लेकिन उसके लिये क्या किया जा सकता है ? जिस कायदे के अनुसार इनकी जांच की जाती है उसके नियम भी तो हमारे सदन द्वारा बनाये हुए हैं, उन नियमों के पालन में वक्त तो लगता ही है। अगर तक्मील पूरी नियमानुसार, कायदे के माफिक नहीं की जाती है तो सारी की सारी कार्यवाही को इल्लीगल करार दिया जासकता है और फिर नये सिरे से पुनः कार्यवाही चालू करनी पड़ती है। जहां तक ऐसे मामलों का ताल्लुक है उनमें नियमों का पालन और जो प्रोसीजर ले डाउन कर रखा है उसको ओब्जर्व करना पड़ता है, इसमें कुछ देर लगती है, मैं स्वयं भी ऐसा महसूस करता हूं कि ऐसे केसेज में ज्यादा समय लग जाता है कम लगना चाहिये। नियम इस प्रकार के हों जिसमें इस प्रकार के केसेज में ज्यादा समय न लगने पावे मैं इस बात को मान नहीं सकता कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, वक्त लगता है, किन्तु मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हम इन केसेज को निपटाने में जितना कम समय लगे, जितने जल्दी ये केसेज तय हों उस प्रकार करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी केसेज आज तक तय नहीं हो पाये हों, बहुत से केसेज तो कोर्ट में चालान भी हो चुके हैं कई केसेज तो फाइनल स्टेज पर हैं इसीलिये इन्क्वायरी ऑफिसर की मियाद छः महीने के लिये और बढ़ायी गई है, क्योंकि वर्क ज्यादा रहा इसलिये केसेज छः महीने की मियाद में पूरे नहीं हो सके। आज इन्क्वायरी ऑफिसर के पास १३ मुकदमें पेश हैं जिसकी वे तहकीकात कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी केसेज तय हो चुके हैं। प्रोसीजर फोलो करने में वक्त लगता है, वो तो लगता ही है, उस पर भी जितना जल्दी हो सकेगा हम कराने की कोशिश करेंगे।

एक बात यह भी कही गई पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है उस ओर भी ध्यान दिलाया गया है, मैं यह नहीं कहता कि उसमें जो लिखा है वह ठीक नहीं है, जो कुछ भी खामी उस रिपोर्ट में बतायी गई है उसकी ओर सरकार पूरी तरह से सतर्क है, उसमें जो भी बातें कही गई हैं उनको हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बातें उसमें बतायी गई हैं, उस पर एक्शन लिया है और आगे भी लेंगे। वक्त लगने की वजह से इतना जल्दी रिजल्ट सामने आने वाला नहीं है लेकिन जो भी बातें पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने पोइन्ट आउट की हैं उन पर जरूर अमल किया जायगा यह मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं।

दूसरी बात यह भी कही गई, जो एक अजीब सी बात है, जब से एम्बेजल कमेटी बनायी गई है तब से एम्बेजलमेन्ट के केसेज बढ़े हैं। मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं यह तो गवर्नमेन्ट की सतर्कता है इन कामों में ज्यादा दिलचस्पी लेने का नतीजा है कि इतने ज्यादा केसेज पकड़े गये हैं। ज्यादा केसेज का पकड़ना वह इस बात का प्रमाण है कि एम्बेजलमेन्ट कमेटी ने ऐसे केसेज को पकड़ने में ज्यादा सतर्कता बरती है, उसीका नतीजा है कि इतने ज्यादा केसेज पकड़े गये हैं। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं ज्यादा महनत के साथ काम किया गया, ज्यादा महनत के साथ तलाशी ली जाती है और एक्शन लिया जाता है, इसमें छिपाने या नजर अन्दाज करने का सवाल नहीं, काम करने की कोशिश करते हैं, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जो केसेज हैं वे तो हैं ही, उनसे इन्कार नहीं कर सकते। गबन के जितने भी केसेज हैं उनमें जांच की कार्यवाही हो सकती है, करेंगे और कर भी रहे हैं।

[श्री रामकिशोर व्यास]

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में भी कहा गया कि इसमें लाखों रुपयों का गबन हुआ है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सरकारी महकमा नहीं इसलिये उसको गवर्नमेन्ट के केसेज के साथ शामिल करना उचित नहीं। लेकिन यह जरूर है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के अन्डर सुपर्वीजन है।....

श्री मानसिंह महार--वह तो आप ही के द्वारा नामजद किया हुआ बोर्ड है।

श्री रामकिशोर व्यास-(जारी रखते हुए) मैं उसी पर आ रहा हूं, जो भी मामले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के शिकायतों के रूप में आये, उनमें कुछ मामलों में इन्क्वायरी के ऑर्डर भी दिये गये। इन्क्वायरी की जा रही है, मामले कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ ज्यादा वक्त लगने की संभावना है, उनमें भी एक दो केसेज तो मुकम्मिल दर्जे पर भी पहुंच चुके हैं और भी मामलों की छान-बीन चल रही है। पुलिस इस संबंध में मुनासिब कार्यवाही कर रही है फिर भी मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसको भी जल्दी निपटाने में जो भी मुनासिब कार्यवाही होगी जल्दी करने की कोशिश की जायगी। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसके जो भी केसेज चल रहे हैं उनमें नजर अन्दाज करने का गवर्नमेन्ट का कतई इरादा नहीं है।

श्री मानसिंह महार--जब एक दो मामले कम्प्लीट हो गये हैं तो उनमें गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती संबन्धित व्यक्ति को ?

श्री रामकिशोर व्यास--(जारी रखते हुए) उसमें भी कुछ कुछ कार्यवाही बाकी है, कुछ स्टेटमेन्ट्स नहीं आये, कुछ रेकॉर्ड्स पजेशन में नहीं आये इससे ज्यादा मैं डिसक्लोज करना नहीं चाहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--पहले संबन्धित आदमी को तो पकड़ लो, प्राइवेट रेकॉर्ड्स वगैरह तो बाद में भी आ सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास--एवीडेन्सेज पूरी कम्पलीट हो जांय उसके बिना एक्शन कैसे लिया जा सकता है ? इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में इन्क्वायरी हो रही है, जांच के बाद जो अपराधी प्रमाणित होगा उसके संबन्ध में उचित कार्यवाही की जायगी।

इसके अलावा ग्रामोद्योग संस्था को कुछ रुपये दिये जाने के बारे में भी जिक्र किया गया। इस संबन्ध में कल प्रश्नों के समय काफी रोशनी संबन्धित मंत्री महोदय द्वारा डाली जा चुकी है उसके ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं इतना निवेदन कर देना आवश्यक समझता हूं जो रुपया सहकारी समिति को दिया गया है वह बैंक में जमा है, उसका उपयोग अभी नहीं हुआ। उनको जो भी रुपया दिया गया वह रूल्स के माफिक दिया गया और भी कोई लेना चाहें उनको भी मिल सकता है, इसमें दुरुपयोग की बात कतई नहीं है। दुरुपयोग इस रुपये का हो रहा हो ऐसी बात हमारे नोटिस में नहीं आयी। अगर वह व्यक्ति किसी का रिश्तेदार है, किसी से ताल्लुक रखने वाला है तो यह तो कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं मानी जा सकती।

श्री मानसिंह मथुर—हरिजनों के लिये यह क्यों रुपया नहीं दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—हरिजन भी उसमें हैं। जब कि उस रुपये का दुरुपयोग हो रहा हो ऐसी बात किसी ने नहीं कही तो केवल यह कहना कि वे किसी के रिश्तेदार हैं इसलिये उनको रुपया नहीं मिलना चाहिये, यह कोई दलील नहीं है।

गंगानगर की नगरपालिका में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में कहा गया, इस पर्टीक्यूलर केस की जानकारी इतने थोडे समय में मैं प्राप्त नहीं कर सका, इसलिये इस संबन्ध में कुछ भी कहने की की स्थिति में नहीं हूं। मैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करके ही इस बारे में कुछ निवेदन कर सकता हूं।

कुछ लोगों ने पुलिस में हुए गबन के बारे में भी कहा है। मैं यह मानता हूं जो बातें कही गई सही हैं। कुछ मामलों में गबन हुआ है मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता। ज्योंही ये मामले हमारे नोटिस में लाये गये हमने कार्यवाही की है, लोगों को सस्पेन्ड भी किया है उसमें गजेटेड ऑफिसरों और नोन-गजेटेड दोनों को सस्पेन्ड किया है। प्रोसीक्यूशन की स्टेज पर कार्यवाही चल रही है उसका जो भी कुछ नतीजा निकलेगा सब के सामने आयेगा उसके बारेमें ज्यादा कहना उचित नहीं होगा।

छोलदारियों के बारे में भी कहा गया उसकी इन्क्वायरी भी कमिश्नर को दी गई उसकी रिपोर्ट भी आचुकी है, जहां तक मेरा खयाल है, या आने वाली है।

पुलिस विभाग में इस प्रकार के १९ केसेज थे। मार्च, १९५६ तक उसमें से पांच केसेज तो फाइनेलाइज हो चुके हैं। बाकी की तकमील होकर उनकी भी जो उचित कार्यवाही करनी होगी की जायगी। इस संबन्ध में सदन को मैं यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जो भी गबन के मामले हमारे सामने आये, हमने उचित कार्यवाही की है और आयन्दा भी करने को तैयार हैं। इसके अलावा मैं आपको इतना और इत्मीनान दिला सकता हूं कि जिस किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी बिना तकल्लुफ के की जायगी और सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी, इतना इत्मीनान दिला सकता हूं।

सप्लाई डिपार्टमेन्ट के बारे में कुछ कहा गया, गबन के मामले को लेकर जहां तक मुझे जानकारी है, मैं यह कह सकता हूं कुछ अकाउन्ट्स की गडबडी प्रीवियस स्टेट्स के जमाने से चली आ रही है, कई जगह अकाउन्ट्स फाइनेलाइज नहीं हुए इसके लिये गबन की बात सोचना भूल है। इससे सरकार इन्कार नहीं करती कि सप्लाईज के अकाउन्ट्स फाइनेलाइज नहीं हुए यह बातें सदन के सामने भी कई दफा आ चुकी हैं। किसी भी एक स्टेट का भी अगर अकाउन्ट कम्पलीट नहीं है तो उसका असर सारे अकाउन्ट पर पडता है। बहुत सी ऐसी स्टेट्स थीं जिनका अकाउन्ट ठीक था किन्तु उसके साथ साथ कुछ स्टेट्स में अकाउन्ट अच्छी तरह नहीं रखा हुआ था, अतः उसको फाइनेलाइज करने में दिक्कत आती है, कुछ स्टेट्स एफीशियेन्ट हो सकती हैं लेकिन अगर एक भी स्टेट के अकाउन्ट फाइनेलाइज नहीं होते हैं तो सारे प्रोसीजर में डिले हो जाती है, इसी वजह से अकाउन्ट फाइनेलाइज होने में देरी हुई है।

अगर गबन हुए हैं सप्लाई में, तो उनमें जरूर कार्यवाही की गई होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सबसे ज्यादा गबन अगर किसी विभाग में हुआ है तो नंबर ऑफ केसेज & amou :t involved सिविल सप्लाई में ही हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—मेरा यह कहना है कि अगर कहीं भी गबन हुआ है तो वहां कार्यवाही जरूर की जानी चाहिये और अगर ऐसे केसेज कहीं रह गये हैं जिन में कार्यवाही नहीं हुई है तो आप हमें बताएं। हम कार्यवाही करने की पूरी कोशिश करेंगे।

इसी तरह से यादव जी ने अपने लड़के के नाम से कोई जमीन ले ली इस बारे में भी कहा गया। इसके लिये भी कहूं कि अब तो न बांस रहा है न बांसुरी रही। अब वह जमीन भू-दान को दी जा चुकी है।

श्री जगतसिंह भाला—जब जमीन नहीं रही तो तकाबी के रूप में यह पचास हजार का लोन किस लिये दिया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं भी समझता हूं कि जब जमीन नहीं रही तो तकाबी मिलनी भी नहीं चाहिये।

श्री मानसिंह महार—दसेक बीघा रखली है तकाबी की खातिर।

श्री रामकिशोर व्यास—इसी तरह ६ हजार रुपया दलित वर्ग संघ, भीलवाड़ा में दिया गया उसके बारे में कहा गया। पर उसका अकाउन्ट हमारे पास आया है और उससे स्थिति सन्तोषजनक है। इसी तरह महिला कल्याण विभाग के बारे में कहा गया। उसमें भी दुरुपयोग की कोई बात नहीं है। इसमें उन्होंने चन्दा किया है अलग से और उस रुपये को इस के साथ जोड़ना सही नहीं है। एक आदमी कई संस्थाओं में काम करता है तो इसमें सब को एक जगह मिला देना उचित नहीं और इस आधार पर मैं डेफीनेटली कह सकता हूं कि यहां भी मिसएप्रोप्रियेशन जैसी कोई बात नहीं है।

एक बात जो मजेदार कही गई वह एज्यूकेशन कॉन्फ्रेन्स के बारे में कही गई कि लाखों रुपया इसमें खर्च किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कौनसा एम्बेजलमेन्ट या मिसएप्रोप्रियेशन का प्रश्न है ?

श्री संतोषसिंह कछवाहा- This is a work of public money.

श्री रामकिशोर व्यास—आ के कहने के अनुसार फिजूलखर्ची है। पर मैं आपसे निवेदन करूं कि आपकी यह इत्तला बिल्कुल गलत है। इसमें लाखों नहीं, कुल २५ हजार रुपया सैंक्शन हुआ है और कुछ प्राइवेट सोर्सेज से भी रिसेप्शन कमेटी ने टिकटों की बिक्री से, डेलीगेटों की फीस से, स्वागत समिति के सदस्यों से, कुछ पैसा इकट्ठा किया है पर वह भी अधिक नहीं है। और फिर यह फिजूलखर्ची भी नहीं है। यह तो हर साल शिक्षा के हित में देश के विभिन्न भागों में ऐसे समारोह होते रहते हैं, वे लोग शिक्षा के बारे में अपनी अपनी राय देते हैं, जो इसके बड़े बड़े धुरन्धर विद्वान हैं, शिक्षा विशेषज्ञ हैं, इसमें रूस और अमेरिका से भी प्रतिनिधि आये हैं, ये एक जगह इकट्ठे हों और विचार विमर्श के बाद जो राय शिक्षा के बारे में देते हैं वह तो बहुमूल्य होती है। ऐसी हालत में आप ऐतराज करते हैं तो यह समझ में नहीं आया।

श्री मानसिंह—शायद उनको बुलाया नहीं गया होगा।

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो हमारे लिये गौरव की बात है कि इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे यहां एकत्रित हुए हैं और हमें उनकी बातें सुनने का स्वर्ण अवसर मिला है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जब आप २५ हजार खर्च कर देते हैं तो फिर प्राइमरी स्कूल कहीं खोलने से क्यों इन्कार कर देते हैं, उसके एक २००) रुपये के लिये सैंक्शन देने में क्यों घबराते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—तो आपका यह कहना कि यह फिजूलखर्ची है उचित नहीं है। इसी तरह से सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ उसके लिये आप कहते हैं कि बच्चे नाचते हैं और जिस कलर में आपने लिया है उससे तो बड़ा अफसोस हुआ है। वह एक सदन के सदस्य के लायक बात नहीं है। आपने इसमें राजाओं के जमाने की बात कही, चौदह पन्द्रह साल के बच्चों के नाचने की बात कही और जिस रोशनी में रखकर आपने बात कही वह तो अफसोस की ही बात है। आपने जिस चश्मे से देखा वह चश्मा आप को अब बदलना होगा, आपको अपने उस चश्मे के नम्बर बदलने होंगे, वह चश्मा पुराने राजाशाही जमाने का चश्मा हो गया है, उसे आज के समय में बदलना होगा।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यह चश्मा तो राजाओं के जमाने का है।

श्री रामकिशोर व्यास—खैर, ये जो अलग अलग कई बातें कही गई उनके बारे में मैंने निवेदन किया संक्षेप में। अब इसमें जो एम्बेजलमेन्ट के बाकी केसेज हैं वे जल्दी डिस्पोज ऑफ हों, जो कोर्ट में जाने को हैं, वे कोर्ट में जाएं, कुछ कोर्ट में आये भी हैं, कुछ में विभागीय जांच हो तो यह सारी कार्यवाही चल रही है। आप भरोसा रक्खें कि हम इनमें पूरे सतर्क हैं और जल्दी से काम पूरा करेंगे। और इस आश्वासन के बाद मैं समझता हूं कि आप अपना यह प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने जो कहा उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया।

श्री रामकिशोर व्यास—इसकी जरूरत ही नहीं है। वजह यह है कि अभी इस बारे में तीन मशीनें हैं। एक तो गवर्नमेन्ट का आडिट डिपार्टमेन्ट है, दूसरा ए. जी. का आफिस है वह मशीनरी है, और तीसरा पब्लिक अकाउन्टस कमेटी है जो हमेशा बराबर इन्हीं बातों को देखती रहती है और अपने सुझाव भी सिफारिश के तौर पर सरकार को देती रहती है। ये तीन मशीनरियां इस वक्त मौजूद जिनमें सदन के सदस्य भी मौजूद हैं, अब अलग मशीनरी क्या करेगी ? पी. ए. सी. यही तो कर रही है। अब यह कमेटी जो अलग बनाऐंगे तो इसके क्या फंक्शन्स होंगे ? इनमें आपस में विरोध होगा। इसलिये इन तीन मशीनरियों की मौजूदगी में इसकी जरूरत नहीं है और आशा है प्रस्तावक महोदय इसे वापिस ले लेंगे।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय गृह मन्त्रीजी ने मेरे प्रस्ताव के उत्तर में जो बातें कही हैं, ऐसा मानता हूं कि उनसे सदन के माननीय सदस्य सन्तुष्ट हुए होंगे ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है। इस सदन में मैं ही नहीं, बल्कि मेरे इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने भी जो आरोप लगाये हैं उनका उत्तर देना तो दूर किनार रहा, परन्तु उनके बारे में गृह मंत्रीजी

[श्री भैरूंसिंह]
ने इतना भी नहीं कहा कि इसमें कोई और जांच की यदि आवश्यकता हुई तो सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। तो इससे ऐसा लगता है कि आज भी स्थिति ऐसी हो है कि सरकार जानबूझकर या कुछ अनजाने में या कुछ लोगों को शह देने की गरज से इस प्रकार की नीति अपनाये हुए है जिसके कारण ये इस प्रकार के एम्बेजलमेन्ट के केसेज और उन केसों में जो इन्वोल्व्ड अधिकारी हैं वे किसी भी प्रकार से पकड़ में न आवें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया कि राजस्थान में जयपुर के जिला बोर्ड, जिनके अध्यक्ष के विरुद्ध में एम्बेजलमेंट के कुछ चार्जेज लग हैं उनकी इन्क्वायरी हो रही है। मैं भी यही कह रहा था कि एन्क्वायरी हो रही है। मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा था कि एन्क्वायरी में कई लोगों के स्टेटमेन्ट्स हुए हैं और उनमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन चेयरमेन के विरुद्ध में कई उन बातों का भी उल्लेख है जिनसे सीधा सम्बन्ध पाया जावे इस प्रकार की बात निकलती है।

माननीय उपाध्यक्ष, यदि इस प्रकार का चार्ज, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सरकारी दल का नहीं है या सरकारी दल में सत्तारूढ़ दल का नहीं है यानी विरोधी दल का है, उस पर होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यही सरकार अपनी पुलिस के मार्फत मामूली से सबूत के ऊपर भी गिरफ्तार करके जेलखाने में भेजती। लेकिन एक आदमी के खिलाफ कई शहादतें हो जायं, कोर्ट्स में बयान हो जायं, प्रेलिमिनेरी एन्क्वायरी में पूरा सिद्ध होजाय, और उसके बाद में भी गिरफ्तार नहीं हो, वह इस बात की दलील है कि हमारी सरकार जानबूझ कर ऐसे मामलों के अन्दर इस प्रकार की नीति बरत रही है कि जिस नीति के कारण उनको बढ़ावा मिलता रहे और खयानत के मामले बढ़ते रहें। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी के लिए यह गौरव की बात होती कि वे आज एक लोक सभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की घोषणा यहां सदन में करते कि उस घोषणा के स्थान पर वह यह कहकर कि अभी तक गिरफ्तार करने की जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई है आज तक पुलिस ने कितने प्रयत्न किये हैं उस पर पानी फेर रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं, यदि माननीय गृह मंत्रीजी चाहें तो पुलिस की उस रिपोर्ट, सी. आई. डी. की उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि मैं अभी सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं जिसमें इस बात का संकेत किया गया है कि किसी एम. पी. के खिलाफ प्रिलीमिनेरी एन्क्वायरी में खयानत का मामला अच्छी तरह साबित हो चुका है। खयानत का मामला ही नहीं और भी कई मामले ऐसे हैं जिनके अन्दर पुलिस एन्क्वायरी कर रही है। अच्छा तो यह था कि इस प्रकार की रिपोर्ट आने के साथ ही सरकार इस तरह का आदेश देती कि उक्त माननीय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया जाय, लेकिन यह कह कर के कि उनके संबंध में और भी कई मामले हैं जिनकी एन्क्वायरी हो रही है, आज तक न्याय संगत मामला ऐसा नहीं है कि कई जुर्म साबित हों तभी गिरफ्तार किया जाय, बल्कि और भी कई ऐसे मामले हों तो गिरफ्तारी के बाद उनकी एन्क्वायरी होती है, उसको बचाना है। एक दूसरे मामले में जांच हुई है और वह साबित हो चुका है उसमें तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए यह कोई शोभा की बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, केवल यह कह कर कि नहीं हो सकती है क्योंकि वह अर्धसरकारी संस्था है, जिलाबोर्ड। जिलाबोर्ड में वे आपके द्वारा मनोनीत वे जिलाबोर्ड के चेयरमेन हैं। आपके द्वारा मनोनीत

[श्री भैरूंसिंह]

आपको पार्टी के सदस्य हैं। आपकी पार्टी ने लोक सभा के स्थान के लिए कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया और वह चुनाव जीतकर गये। बडे शर्म की बात है कि राजस्थान सरकार को इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि इनके खिलाफ एम्बेजलमेन्ट के केसेज हैं फिर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई और न किये जाने की चेष्टा की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष, एक बात उन्होंने बडी अजीब कही। माननीय गृह मंत्री ने बताया कि कुछ प्रोसीजर की कठिनाई है। वह प्रोसीजर सदन की आज्ञा से बनाया हुआ है। सदन के माननीय सदस्यों के कहने के अनुसार वह प्रोसीजर ऐसा बना हुआ है। अलबत्ता कहने को तो यह कहा जा सकता है और टेक्निकली सही भी है कि गवर्नमेंट जो बनी हुई है वह गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। वह गवर्नमेंट इस सदन के चुने हुए सदस्यों की है इसलिये इन्डाइरेक्ट वे में यदि यह कहा जाय कि जितने भी सरकार कानून बनाती है या सरकार की कोई भी गलती होती है, सरकार ऐसा प्रोसीजर ले डाउन करती है कि जिस प्रोसीजर के कारण एम्बेजलमेन्ट केसेज की रोकथाम नहीं कर सकती है तो निश्चित रूप से उसका जिम्मेदार मैं भी हो सकता हूं और सदन भी हो सकता है। लेकिन इस सदन ने राजस्थान सरकार के लिये कुछ व्यक्तियों को चुना है इसलिये वे ही व्यक्ति सीधे इस बात के लिये रेस्पॉन्सिबल हैं कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है। उस एडमिनिस्ट्रेशन में खयानत को रोकने के लिए प्रोसीजर की बाधा होती है तो सरकार का कर्तव्य होता है कि सरकार उस प्रोसीजर को बदले। सरकार उस प्रोसीजर को बदलने के लिये सोच नहीं सकती है, उसके पास सोचने के लिए यदि समय नहीं है तो मैंने जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि एक समिति नियुक्त की जाय कि जो समिति इन सब बातों पर, इन सारे तथ्यों पर विचार करे कि प्रोसीजर में क्या बाधाएं आती हैं। गवर्नमेंट के फाइनेन्शियल रूल्स में कौनसी कमी है ? गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइन्ट ऑफ व्यू से सर्विसेज रूल्स हैं उन सर्विसेज रूल्स से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है, इन सारी चीजों को स्टडी करके सुझाव पेश करे कि अमुक प्रकार के एमेन्डमेन्ट्स सर्विसेज रूल्स में किये जाय, अमुक प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स फाइनेन्शियल रूल्स में किये जायं, अमुक प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स और भी प्रशासनिक कार्यों में किये जायं, ताकि एम्बेजलमेंट के विषय में जो दोषी हैं उनको सजा दी जाय। लेकिन यह कह कर कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी बनी हुई है और डिपार्टमेन्ट उसके लिये जिम्मेदार है और सरकार के द्वारा पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के मातहत काम किया जाता है, सरकार ने एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त कर रखा है, कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने प्रबन्ध बहुत कर रखा है, उसको टाला गया है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यदि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर जिसके लिए वह कह रहे थे कि वह सदन के सदस्यों द्वारा बनाई जाती है लेकिन शायद यह उन्होंने नहीं कहा कि इन सदस्यों में बहुमत उस दल वालों का है कि जिस दल के माननीय गृह मंत्रीजी हैं। उस दल के द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट में जिन चीजों का उल्लेख किया जाता है, उस रिपोर्ट के द्वारा जिन चीजों की सिफारिश की जाती है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार उन पर ही ध्यान दे तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि एम्बेजलमेन्ट करने वाले आफिसरों के वह स्वप्न सारे दूर हो जायेंगे। आज मैं इस बात के कहने की स्थिति में हूं कि राजस्थान सरकार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को राजस्थान में लागू करे तो अगले वर्ष एक भी केस एम्बेजलमेन्ट का देखने को नहीं मिलेगा। बदकिस्मती तो यह है कि रिपोर्ट बनती है और रिपोर्ट पर खर्चा लगता है।

[श्री भैरूंसिंह]

सेक्रेटरीज का एक्जामिनेशन होता है। कई चीजें डिटेक्ट की जाती हैं, कई चीजें ट्रेस आउट की जाती हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता है। उनको बचाने की चेष्टा की जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष, एक बात कही जाती है कि एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी कमेटी के बनने के बाद, एम्बेजलमेन्ट एन्क्वायरी ऑफिसर की नियुक्त के बाद एम्बेजलमेंट के केसेज बहुत बढ़े हैं, वह इस बात की दलील है कि एन्क्वायरी कमेटी के बाद ही वे सतर्क हों ऐसी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की सतर्कता आपके लिए मुबारकबादी का चिन्ह है। एम्बेजलमेंट एन्क्वायरी कमेटी बनने के बाद में केसेज बहुत डिटेक्ट हुए हैं। एम्बेजलमेंट एन्कवायरी ऑफिसर की नियुक्ति के बाद में केसेज डिटेक्ट हुए हैं। आप देखें कि कमेटी की नियुक्ति के बाद में केसेज हुए हैं या पहले। केसेज डिटेक्ट हुए हैं। पहले के केसेज डिटेक्ट हुए हैं उनके मुकाबले में इस कमेटी की नियुक्ति के बाद में जितने भी केसेज हुए हैं वे ज्यादा हैं। इस कारण वह इस बात की दलील है कि इस प्रकार की कमेटी बनने के बाद में भी एम्बेजलमेंट के केसेज की संख्या बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि अगर एम्बेजलमेंट के जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिलती है और प्रोटेक्शन मिलता है, चेयरमेन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को प्रोटेक्शन मिलता है, रामचन्द्र झेनीवाल को प्रोटेक्शन मिलता है, जिन कॉमर्शियल कन्सर्न्स की बिजली की दरों में कमी की गई है, उनको रियायत देने के लिये जो फाइनेन्शियल लॉस किया गया है, उस जिम्मेदार अधिकारी को एक एक इन्डस्ट्रियल कन्सर्न को बचाने की गर्ज से प्रोटेक्शन मिलता है, यह कह कर कि उनका कोई कसूर नहीं है।

सप्लाई विभाग की बातों को लेकर कहा गया है कि शायद सप्लाई विभाग में गबन नहीं हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस है कि राजस्थान के गृह मंत्री जो गबन के मामले से सीधा संबंध रखते हैं, गबन करने में नहीं बल्कि गबन करने को रोकने के मामले में वह कहने की स्थिति में हैं कि सप्लाई विभाग में गबन नहीं है तो मैं कहता हूं कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है और अगर पढ़ा है तो जानबूझ कर वह एक ऐसी गलत बात कह रहे हैं कि जो फेक्ट्स पर आधारित नहीं है। यदि वे ऐसी स्थिति में हों तो माननीय सप्लाई विभाग के मंत्रीजी से कान में पूछ लें कि सप्लाई विभाग में कितने घोटाले हुए हैं। राजस्थान में सप्लाई विभाग के घोटालों के लिए राजस्थान के अधिकारी किस तरह से जिम्मेदार हैं। यदि आप चाहें तो सदन की एक समिति सप्लाई विभाग के घोटालों के लिये बना दें और वह उनके हाथ देदें, और यदि आपसे नहीं होता है तो विरोधी दल के सदस्यों को उसमें नियुक्त करदें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि १५ दिन के अन्दर कई ऑफिसर कठघरे में नजर आयेंगे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं यह कह कर कि हिसाब नहीं मिलता है, कहीं एन्क्वायरी नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है।

पुलिस विभाग को लेकर कहा गया है छोलदारी के केस में वह पकड़ा गया है और आदेश दिये हैं। वायरलेस सेट्स खरीदने में गड़बड़ हुई है तो कह दिया कि ऑफिसर को मोअत्तिल कर दिया है। यह कोई आपके करने से केसेज डिटेक्ट हुए हैं क्या? यह चीज सबसे पहले पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने आई थी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने आने के बाद भी दूसरी दफा एक्जामिनेशन हुआ, उन्हीं अधिकारी पर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का जोर लगा तो एक वर्ष के बाद कोई कार्यवाही

[श्री भरूसिंह]

करने की तजवीज आई है। एक वर्ष तक प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी होती रही। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने दूसरी दफा आने लगा तो इस प्रकार की कार्यवाही हुई। तो छोलदारी के मामले में जो हुक्म दिया है वह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और ऑडिट विभाग ने इस बात की ओर सरकार का ध्यान डेढ़ वर्ष पहले आकर्षित किया था। वायरलेस सेट्स के बारे में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने और राजस्थान के स्थानीय पत्रों ने इस चीज के बारे में प्रकाश डाला था लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया।

मैं माननीय उपाध्यक्ष, इन सब तथ्यों को देखते हुए यह कहूंगा कि आज एक कमेटी की आवश्यकता है। सुझाव देने के लिये इस प्रकार की कमेटी आवश्यक है। यदि सुझाव नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो सरकार पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के भरोसे, गवर्नमेंट के ऑडिटर जनरल के भरोसे, और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के भरोसे, इन तीनों के भरोसे नहीं रहेगी।

हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के बारे में केवल यह कह दिया जावे कि वह आदमी सब चीजों के लिये रेस्पोन्सिबल है। लेकिन आज तक जितने एम्बेजेलमेन्ट के केसेज हुए हैं, आज तक जितने एम्बेजेलमेन्ट के केसेज हमारे सामने आये हैं, वे बडे अधिकारियों की नेग्लीजेन्सी की वजह से हुए हैं। जो कैश बुक चैक करने के लिये देते हैं, एन्ट्री चैक करने के लिये देते हैं, खजाने में जितना रुपया पड़ा है उसकी जांच कराने के लिये जिम्मेदार हैं, उनको न तो इमिजियेट ऑफिसर उसी दिन चैक करते हैं और होता यह है कि कैशबुक का रजिस्टर उनके पास पहुंच जाता है एक महीने डेढ महीने के बाद वह चैक करते हैं, और कई कई केसेज में तो यहां तक पता चला है कि साल साल और डेढ़ साल तक रजिस्टर पडे रहते हैं और एकाउन्टस बुक पडी रहती है और उन पर दस्तखत समय पर न होने से, चैक समय पर न होने से उसका नतीजा यह होता है कि खयानत होती है और क्लर्क्स को खयानत करने का मौका मिल जाता है। जब ऑडिट पार्टी आती है, साल डेढ़ साल बाद आडिट पार्टी आती है तो वे केसेज डिटेक्ट होते हैं। आज पेमेन्ट करते हैं, आज जो पेमेन्ट अधिकारी करता है तो फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार यह आवश्यक हो जाता है कि जिसको पेमेन्ट किया जाय उसको उच्चाधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाय और वह यह विश्वास करले कि जो रुपया दिया गया है वह वाकई उसको मिल गया और वह उस पर अपने दस्तखत करें। लेकिन होता क्या है कि रुपया मिलता नहीं, सिविल सूट होते हैं और उसके जवाब देने में सरकार को पता चलता है कि फलां क्लर्क ने गबन कर लिया। अगर आप यह हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट से उम्मीद करेंगे कि वह अपने विभाग के घोटाले को डिटेक्ट करे, तो आप निश्चित रूप से मानिये कि यह संभव नहीं होगा कि पूरी तरह से उसकी छान-बीन होगी और उसकी गबन का पता चलेगा और इस प्रकार के एम्बेजेलमेन्ट केसेज रुकेंगे। अगर गवर्नमेन्ट कड़ा से कड़ा कदम उठाये, किसी डिपार्टमेन्ट में एम्बेजेलमेन्ट होता है, खरीद फरोख्त में होता है तो क्लर्क को कन्सर्न्ड को सजा दे, क्लर्क कन्सर्ड को यदि सजा देते हैं तो जो उसके काम को सुपरवाइज करता है, जो सुपरवाईजिंग ऑथोरिटी है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको देखने भालने की उनको भी सजा देंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हू कि इस प्रकार के केसेज रुकेंगे।

यहां केसेज रुकने का प्रश्न नहीं है लेकिन बढ़ने का प्रश्न है। माननीय उपाध्यक्षजी, इस पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट से और जो माननीय सदस्यों के समय समय पर भाषण इस सम्बन्ध में

[श्री भैरूंसिह]

होते हैं, हुए हैं, उनको देखने से पता चलेगा कि धन का जो दुरुपयोग होता है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है, सामान खरीद करने का और फरोख्त करने का। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने सिफारिश की है कि राजस्थान में सेन्ट्रल पर्चेजिंग कमेटी बननी चाहिये। आज हम देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स में सामान खरीदने और फरोख्त करने के बारे में अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, कोई डिपार्टमेन्ट किस चीज को खरीदता है, किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करता है, मर्जी चाहे उस तरह से टेन्डर मांग लिये, मर्जी चाहे उस तरह से स्वीकार कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। गवर्नमेन्ट के देखने का या रूल्स का प्रश्न नहीं रहता है। आप यह कहें कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी बहुत कुछ काम कर रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को उठा कर देख लीजिये। उन्होंने सेन्ट्रल पर्चेजिंग कमेटी की सिफारिश की है और गवर्नमेन्ट का इस सम्बन्ध में यह रिप्लाई है कि सरकार उस पर विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि न तो सरकार का विचार ही समाप्त होगा और न ही जाब्ते की पाबन्दी होगी। इसलिये गवर्नमेन्ट को इस संकल्प को आसानी से मान लेना चाहिये।

मैं समझता हूं कि जो समिति नियुक्त करते हैं उसमें राजस्थान के बडे रेस्पोन्सिबल आदमी हैं, जिम्मेदार आदमी नियुक्त किये जा रहे हैं, जो सिफारिश करेंगे। फाइनेन्शियल रूल्स में क्या दिक्कत है, जो दिक्कत है उसको दूर करेंगे, सेन्ट्रेल पर्चेजिन्ग कमेटी बनाने की सिफारिश करेंगे कि किस प्रकार से बननी चाहिये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इससे ऐसी रूपरेखा आवेगी जिस रूप रेखा द्वारा हम एम्बेजेलमेन्ट को रोक सकते हैं। मैं दुबारा निवेदन करूंगा कि आप इसको मंजूर करलें तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही है आप अपने मत से, चूंकि यह अच्छा प्रस्ताव है, इसको स्वीकार करावें और राजस्थान की गरीब जनता का जो लाखों रुपया का दुरुपयोग होता है उसको रोकने की चेष्टा करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री भैरूंसिह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय?

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हां पक्ष जीता।

कई माननीय सदस्य— Noes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—डिविजनबैल?

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री हरिराम निनावा—अरे! ना पक्ष जीता तो जीत गया।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—यहां सदन में मनोरंजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है · · · ·

श्री भैरूंसिंह—संशोधन नहीं, प्रस्ताव।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

(विराम)

श्री शंभुसिंह।

गायों की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी अशासकीय सङ्कल्प

(संशोधन सहित स्वीकृत)

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है—"इस सदन की सम्मति में राजस्थान से गायों की निकासी पर प्रतिबन्ध लगा दिया जावे।"

माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के सामने इस वक्त जो संकल्प प्रस्तुत है उसका एक विशेष महत्व है। राजस्थान एक कृषि-प्रधान और एक धर्म भीरू जनता का देश है। इस देश में राजस्थान बनने से पहले भिन्न राज्यों की इकाइयां थीं और उन राज्यों में इसी प्रकार के कानून थे कि जिनके अनुसार गायों की निकासी राज्यों से बाहर नहीं होती थी। और इस प्रकार का नियन्त्रण वहां के कस्टम विभाग के द्वारा होता था। परन्तु राजस्थान के एक होजाने के बाद उस प्रकार के नियन्त्रण में बहुत कुछ ढिलाई आगई और हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व जब कस्टम विभाग खत्म हुआ तो उसके बाद एक दम यहां जो नियन्त्रण था वह खत्म हो गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि--

(श्री जवान सिंह, सभापति, पदासीन)

राजस्थान राज्य से गो-धन बहुत बडी संख्या में बाहर जाने लगा। राज्य से बाहर गो-धन दो प्रकार से जाता है। एक तो वे हैं जो हमारे यहां से खरीदकर भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में ले जाते हैं। और दूसरे प्रकार से हमारे राज्य से लगा हुआ सीमावर्ती पाकिस्तान राज्य, जो एक दूसरा राज्य है उसमें चोरी से या अन्य प्रकार के उपायों से जाती हैं। तो माननीय चेयरमेन, हाल ही में, आपकी जानकारी में भी यह बात रही होगी, राजस्थान राज्य से गायों का एक बहुत बडा झुंड, यहां के कुछ व्यक्तियों द्वारा खरीदा जाकर, नागौर के पास होकर गुजर रहा था और उन गायों को छुडाने के लिये, नागौर में जो एक सार्वजनिक संस्था बनी हुई है, उनकी तरफ से प्रयत्न किया गया और मैं समझता हूं कुछ हद तक वे इसमें सफल भी हुए। यह तो एक प्रकार से खुले आम गायों का निष्कासन हो रहा था वह जानकारी में आगया इसलिये कुछ किया जा सकता। कुछ वर्ष पहले जयपुर में गायें खरीद कर बाहर लेजाई जा

[रावत श्री शम्भुसिंह]

रही थीं लेकिन यहां के कुछ आर. एस. एस. के लोगों ने और उत्साही हिन्दुओं ने उन गायों को छुड़ा लिया। यदि वे गायें नहीं छुड़ाई जातीं तो निसंदेह वे कसाईखाने में पहुंचतीं और उनकी हत्या होती। इसलिये यहां से जो गायों की निकासी होती है उसको लेकर चिन्ता बनी हुई है। इसी प्रश्न को लेकर यहां के नेता श्री रामचन्द्र वीर ने एक अनशन किया लंबी अवधि का। इसमें गो रक्षा और गो संवर्धन के साथ साथ उन्होंने यह भी मांग की थी कि राजस्थान से बाहर जो गायें निकलती हैं उन पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगना चाहिये और मैं भी इस बात को अत्यन्त आवश्यक समझता हूं। राजस्थान से इस प्रकार से गायें यदि निकलती रहीं तो यह राज्य के वास्ते अवनति का प्रश्न बन सकता है।

अब मैं इस पर तीन पहलुओं से विचार करूंगा। पहला वैधानिक, दूसरा आर्थिक और फिर धार्मिक पहलू। भारतवर्ष एक कृषि प्रदान देश है और यहां गायों का कितना बड़ा महत्व है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बारे में हमारे संविधान में भी प्रावधान है। हमारे संविधान में जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं उनको देखें तो उसमें आर्टिकल ३७ इस प्रकार है :—

"The provisions contained in this Part shall not be enforceable in any court, but the principles laid therein are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws."

इसके आगे आर्टिकल ४८ इस प्रकार है :—

"Organisation of Agriculture and Animal Husbandry.—The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."

तो माननीय चेयरमेन, मैं संविधान के कुछ अवतरण कोट करके आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट का यह फर्ज हो जाता है कि जो संविधान में निर्देशात्मक सिद्धान्त हैं उनके अनुसार यहां भी नियम बनावें। इस आर्टिकल में इस बात का स्पष्ट विधान है कि यहां की कृषि और पशु-धन की वृद्धि के वास्ते सरकार वक्त वक्त पर कार्यवाही करे और गो हत्या को बन्द करने के वास्ते दुधारू जीवों के संरक्षण के लिये प्रयत्न करे। इस वास्ते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस दिशा में आज तक, हमारे डाइरेक्टिव प्रिन्सपल्स होते हुए भी, इसकी उपेक्षा करते हुए, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में गायों का वध नहीं होता है, यह सत्य है। राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों के जमाने में जो कानून प्रचलित थे उनके अनुसार गो हत्या बन्द थी इसलिये राजस्थान बनने के बाद भी यहां गो हत्या नहीं होती थी। लेकिन वे ही गायें राजस्थान के बाहर जा सकती हैं और वहां उनका वध हो जावे तो राजस्थान के अन्दर वध नहीं होने से ही राजस्थान की गायों का वध से छुटकारा नहीं हुआ है। यह दूसरी बात है कि हमारे राज्य में गो-वध नहीं होता लेकिन बाहर लेजाई जाकर कलकत्ता, बम्बई आदि स्थानों के स्लॉटर हाउस में उनका वध हो तो यह एक प्रकार से गोवध को प्रोत्साहन देना है। तो गोवध नितान्त रोकने के लिये यह

[रावत श्री शम्भुसिंह]

आवश्यक है कि इस निर्देश के अनुसार सरकार इस प्रकार के नियम बनावे कि यहां से गायें बाहर निकाली नहीं जावें। इस प्रकार के कानून जो दूसरे राज्यों की सरकारों ने बनाये हैं, जैसे यू. पी. सरकार ने इसके लिये जो कमेटी मुकर्रर की थी और उसने जो रिपोर्ट दी थी उसका अवतरण पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं। वह जो कमेटी थी उसमें सर सीताराम थे, नवाब छतारी थे और दूसरे भी बडे बडे लोग थे। उन्होंने बहुमत से इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि गायों का वध एक दम रोका जावे। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि क्योंकि राजस्थान एक कृषि-प्रधान देश है और यहां से जो भयानक रूप से गायों की निकासी हो रही है उसको देखते हुए यदि यही क्रम जारी रहा तो हमारे राज्य को हम अनुचितता के गर्त में ढ़केलने में सहायक होवेंगे।

चेयरमेन महोदय, इस देश की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए इस देश में गायों और बैलों को वध से बचाने के लिये गायों की निकासी पर रोक लगाना नितान्त आवश्यक है। हमारे यहां जो वर्तमान सिंचाई के काम हो रहे हैं उनसे हमारे यहां निकट भविष्य में ज्यादा भूमि कृषि योग्य बनेगी। तो यह अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा कि अधिकाधिक भूमि जोतने के लिये अधिकाधिक बैलों की आवश्यकता हो। इस समय भी बैलों की कमी महसूस की जा रही है और किसानों को वाजिब कीमत पर बैल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और बैलों के वगैर जमीन जुतने से रह जाती है तो बडे बडे सिंचाई के काम जब पूरे हो जायेंगे उस समय अधिक भूमि में सिंचाई होने लगेगी, उस समय बैलों की जरूरत को कैसे रफा करेंगे ?

मैं कुछ फिगर्स पेश करना चाहता हूं उनसे आपको मालूम होगा कि इस प्रकार के बड़े सिंचाई के कार्य जो हमारे यहां हो रहे हैं उनके पूरा हो जाने के बाद हमारे राज्य में और कितनी जमीन सिंचाई के काम में आयेगी। तो चेयरमेन महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सिंचाई के वास्ते राजस्थान में जो बड़े बड़े बांध बन रहे हैं उनमें से एक जवाई प्रोजेक्ट है, उससे इर्रिगेटेड एरिया ४६००० बीघा बढ़ेगा और भाखरा से ५ लाख ७० हजार एकड़ सिंचाई की भूमि बढेगी। ये सब एकड़ हैं। चंबल प्रोजेक्ट से ७ लाख भूमि में एक्स्ट्रा ईरिगेशन हो सकेगा। और इस समय वर्तमान में जो हमारे यहां सिंचाई का आंकड़ा है वह इस प्रकार है जवाई से ३०० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी है, भाखरा से १ लाख ४२ हजार एकड जमीन की सिंचाई होने लग गई है।

अब डिस्ट्रिक्टवाइज़ आंकड़े मेरे सामने हैं उन्हें बताऊंगा। इर्रिगेशन वर्क्स कुल १०७ लिये गये हैं। उनमें से २-३ प्रोग्रेस में हैं और माइनर वर्क्स में १९० लिये गये हैं उनमें से ४६ प्रोग्रेस में हैं। उनके पूरा होने के बाद जब विकास कम्पलीट होगा तब बहुत बडी भूमि, बहुत बड़ा रकबा हमारे राज्य में खेती योग्य हो जायगा।

तो इसके लिये न केवल बैलों की ही मगर खाद की, मेन्योर की भी आवश्यकता होगी और साइन्स के आज कल के प्रयोगों से यह साबित हो चुका है कि आज बैलों और पशु-धन का खाद सबसे उपयोगी और अच्छा है इसलिये इतनी ज्यादा तादाद में आने वाले रकबे के वास्ते खाद और बैलों की बहुत बडी आवश्यकता होगी और हमारे राज्य में इस वक्त बैलों की इतनी ज्यादा तादाद नहीं है।

[रावत श्री शम्भुसिंह]

यह कहा जाता है कि ट्रेक्टर्स इस जरूरत को रफा कर सकेंगे परन्तु राजस्थान की जो हालत है वह यूरोप अमेरिका की हालत से भिन्न है, जहां ट्रेक्टर्स इस प्रकार सफलता पूर्वक कार्य करते हैं। इसके बारे में पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुस्तक है 'हिन्दुस्तान की खोज' उसके अन्दर से एक उदाहरण पढ़कर सुनाता हूं; उन्होंने लिखा है (लिखित भाषण प्राप्त न होने से पूर्ति की जा सकी) तो यहां के जो हालात हैं वे यूरोप और अमेरिका से भिन्न हैं हम यहां के रहने वाले जानते हैं कि हमारे राजस्थान में बहुत सी भूमि ऐसी है जहा खेत बहुत छोटे छोटे हैं और होल्डिंग्स बहुत स्केटर्ड हैं, उनमें ट्रेक्टर्स का उपयोग इस तरह नहीं कर सकते। अतः यहां पशु-धन की और बैलों की बहुत नितान्त आवश्यकता है, इसलिये यह जरूरी है कि हमारे यहां से गायों को बाहर जाना रोक दिया जावे।

इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के लिये यह आवश्यक है कि शुद्ध घी और शुद्ध दूध मिले। आज कल देश में शुद्ध दूध मिलना मुश्किल हो गया है और शुद्ध घी मिलना मुश्किल हो गया है और गायों का घी तो ढूंढ़े भी नहीं मिलता। हमारे देश के नवयुवकों का स्वास्थ्य बढ़ाने के वास्त हम इस बात की आवश्कता समझते हैं कि उनके लिये शुद्ध घी और दूध मिल सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी इस बात की आवश्यकता है कि राजस्थान से गायों की निकासी कतई बन्द कर दी जावे। और यहां जो वेजिटेबिल घी का इतना प्रचार हो रहा है उसको कम किया जावे।

इसके अलावा अब मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो गौरक्षा के वास्ते यहां की जनता की धार्मिक भावना से सम्बन्धित हैं। यहां की बहुसंख्यक जनता भी धर्म भीरू जनता है उसकी भावना की कद्र करते हुए भी जो गायें बहुत बड़ी तादाद में बाहर जाती हैं और उनका वध होता है जिससें यहां का पशु-धन कम होता है और यहां की धर्मपरायण जनता की भावना को कुचला जा रहा है, इसलिये यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार का नियम बना देवें कि राजस्थान से गायों की निकासी बिल्कुल बन्द कर दें।

माननीय चेयरमेन महोदय, हमारे यहां गाय एक पूज्य पशु माना जाता है, हमारे जो अवतार हुए हैं श्री कृष्ण भगवान उन्होंने गायों का इतना बडा महत्व समझा और खुद गोपाल बन कर उन्होंने गौओं का लालन पालन किया। इस धार्मिक दृष्टि से भी उन्होंने जो आदर्श उपस्थित किया उसका हमें पालन करना नितान्त आवश्यक हो जाता है।

हमारे यहां दिलीप एक बहुत बड़ राजा हो गये थे उन्होंने अपने आपको भी गाय की रक्षा के लिये न्योछावर कर दिया।

इन सब बातों को रखते हुए मैं सदन का ध्यान मेरे प्रस्ताव द्वारा इस समस्या की ओर आकर्षित करता हूं कि यह राजस्थान की एक बहुत बड़ी समस्या है, इस राजस्थान की बड़ी गंभीर समस्या को लाइट-ली नहीं लिया जा सकता। इसको गंभीर समस्या मानने के लिये मैं यह दलील दे देना चाहता हूं कि यदि हम यह मालूम करना चाहें कि हमारी जनता की वास्तविक भावना क्या है, गौओं की यहां किस कदर आवश्यकता है इस प्रश्न को लेकर यदि चुनाव लड़ा जावे कि जनता किस व्यक्ति को मत दे कर चुनती है

[रावत श्री शंभुसिंह]

गौ संरक्षण करने वाले व्यक्ति को यानी राजस्थान से गौ की निकासी को बन्द करने वाले व्यक्ति को या इस बात का विरोध करने वाले व्यक्ति को। अगर ऐसा किया जाय तो पता चल जायगा कि यहां की जनता गौ संरक्षण को पसंद करती है। तो आज हम एक प्रजातान्त्रिक युग में रहते हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि यहां की जनता की भावना की कद्र करें। और हमें हर प्रकार से अपने आचरण से यह सिद्ध करना चाहिये कि हम प्रजातन्त्र के हिमायती हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जो जनता की भावना को ठेस पहुंचाता हो। जब कि हमारे विधान में भी गौ संरक्षण के वास्ते साफ प्रावधान है तो विधान के प्रावधान के बावजूद भी हमें इस प्रकार का कानून बनाने में ढ़िलाई नहीं करनी चाहिये।

अतएव माननीय चेयरमेन, मैं आपके द्वारा सरकार से अपील करता हूं कि हमारे यहां की जनता की भावना की कद्र करते हुए, बैलों की नितान्त आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, गायों के दूध और घी की आवश्यकता को महसूस करते हुए, पशु-धन की वृद्धि और समृद्धि को मद्देनजर रखते हुए एवं कृषि की उन्नति के लिये बैलों और पशु-धन के खाद की आवश्यकता को महसूस करते हुए, इन सब आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें क्योंकि हमारे देश में निकट भविष्य में बहुत बडे बडे बांध बनने वाले हैं, उनके जरिये हमारे देश की बहुत अधिक तादाद में भूमि सिंचित हो कर योग्य बन जावेगी उसमें कृषि करने के लिये बैलों और पशु-धन के खाद की बहुत अधिक तादाद में आवश्यकता होगी। अगर हम पशु-धन की वृद्धि न कर सके तो इतनी बड़ी सिंचाई और कृषि योग्य भूमि में हम न खाद डाल सकेंगे और न उसको कृषि के काम में ही ले सकेंगे।

हमारी संस्कृति का सम्बन्ध भी गायों से जुडा हुआ है। हम हिन्दुओं में बहुत से वर्ग हैं और यदि देखते हैं तो कोई किसी तरह उपासना करता है तो कोई किसी तरह और कोई किसी को मानता है तो कोई किसीको मानता है, पर हमारे यहां सभी वर्ग के हिन्दू गायों को मानते हैं उसे श्रद्धा और पूजा की दृष्टि से देखते हैं। तो फिर मैं यह आवश्यकता समझता हूं कि राजस्थान से गायों की जो निकासी होती है वह बिल्कुल बन्द हो जानी चाहिये। इन गायों की निकासी की छूट कुछ दिन पहले इस वजह से मिल गई है कि कस्टम्स डिपार्टमेंट खत्म हो गया है। कस्टम्स डिपार्टमेंट खत्म हो जाने के बाद बडे भयंकर रूप में गायें राजस्थान से बाहर ले जाई जाती हैं। बहुत से बनजारे कसाइयों के एजेंट हैं। राजस्थान के किसान गरीब हैं और नहीं चाहते हुए भी गरीबी के कारण वे गायों को इन बनजारों के हाथ बेच देते हैं और ये बनजारे लोग इस तरह गायों को राजस्थान से बाहर ले जाते हैं और इन कसाईखानों को इन गायों को बेच देते हैं। तो इस तरह हमारे यहां बड़े भयंकर रूप में पशु-धन का ह्रास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। हमारे मन्त्री महोदय महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं। महात्मा गांधी के इस विषय में क्या विचार थे उसके लिये भी मैं आगे चलकर कहूंगा। उन्होंने यह बात कही थी कि गौ रक्षा का बहुत अधिक महत्व है और उन्होंने एक कमेटी में १९२६ में गौ रक्षा की आवश्यकता के बारे में कहा कि मैं गौ रक्षा के आदेश को नहीं छोड़ सकता। उन्होंने १५ जनवरी (सन् अश्रव्य) लोक जीवन में लिखा है कि "गौवध करना हिन्दुओं का खून करने के बराबर है। गौ हत्या मेरी हत्या है।" इस प्रकार जब हम एक महात्मा पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं और उनकी श्रद्धा पर काम करते हैं तो उनके जो वचन

[रावत श्री शंभुसिह]

और उनकी जो धारणा थी उनको कार्य रूप में अमल में लाना आवश्यक हो जाता है। जब हम अपने राजस्थान से बाहर गौ को भेजते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप में गौ वध में मदद देते हैं। हमको हमारे यहां पर कृषि कार्य की उन्नति के लिये इनकी बहुत ही आवश्यकता है। इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुऐ और पब्लिक की विभूति को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान पब्लिक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व देश वासियों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, जिनके लिये घी और दूध की बहुत जरूरत है और अभी अभाव है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और सब से बड़ी बात यह है कि पब्लिक की भावना की कदर करते हुए हमें यह नियम जल्दी से जल्दी बनाना चाहिये कि राजस्थान के बाहर एक भी गाय नहीं जा सकेगी। यदि हम ने इस प्रकार का नियम जल्दी से बना दिया तो गावों और शहरों में रहने वाली जनता वास्तव में इस बात को फील करेगी कि हमने वास्तव में मंत्रियों को अपने वोट देकर भेजे जो योग्य थे और उन्होंने विधान सभा में जाकर इस प्रकार का ठोस कार्य किया। इसकी वजह से मैं यह कहूंगा कि हमारे मंत्रियों की बहुत कदर होगी। और यदि हमने इस प्रकार का कदम नहीं उठाया तो संभव है कि दिन बदिन पशु-धन के बाहर जाने से हमारे यहां पर पशु-धन की कमी आ जावेगी। गौ-धन के बाहर जाने से हमारे यहां दूध और घी की कमी आ जावेगी। गौ-धन यदि बाहर जाता रहेगा और इसको रोकने में यदि किसी प्रकार की ढिलाई की जावेगी तो हमें कृषि के कार्य में भी बहुत आपत्ति पैदा होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको रोकने में किसी प्रकार की सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। पहले हमारे यहां पर इसको रोकने के लिये व्यवस्था थी लेकिन कस्टम विभाग के टूट जाने से वह व्यवस्था बिगड़ गई और मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इसको पुनः कायम करने में किसी प्रकार की सरकार को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये।

मैं इस बात को भी मानता हूं कि पशु-धन चोरी से बाहर जाता है और सरकार को यदि इस बात का पता लगे तो एक्शन लिया जा सकता है। मगर वावजूद इस सारी बात के सरकार की जानकारी में आते हुए भी सरकार एक्शन नहीं लेती है यह बहुत खेद की बात है। हमारे यहां पर गौवध के केसेज़ हुए और सरकार को इसका पता होते हुए भी व सरकार का ध्यान इस ओर आर्कषित किया गया सरकार ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं समझता हूं कि गौवध के मामले सरकार के ध्यान और जानकारी में अच्छी तरह से है। मगर फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया यह पब्लिक की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। मैं तो यह कहूंगा कि पब्लिक की भावना की कद्र करने की बात आनी चाहिये और पब्लिक-भावना को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले यहां से गायों को निकासी बाहर नहीं होती थी और यह कानूनन प्रोटेक्शन पाता था। मगर अब हमारे यहां पर यह एक विषय है कि आया कानून के अनुसार बन्द नहीं हो सकता। गायें राज्य से बाहर जाकर बहुत बडी संख्या में वध की जाती हैं, इसलिये इस बात को रोकने के लिये हमारे यहां से गायें बाहर ही नहीं जावें तो फिर वध कहां से होगा? इसके अलावा हमारे यहां की वर्तमान आवश्यकता है, खती के लिये गौ-धन की बहुत ही आवश्यकता है। उसकी पूर्ति हम भविष्य में कर सकें इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि यह संकल्प सरकार और आपके सामने प्रस्तुत किया गया है इस पर इधर बैठनेवाले और उधर बैठने वाले सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि यह कोई

[रावत श्री शम्भुसिंह]

बात नहीं है कि वे इधर बैठे हैं या उधर बैठे हों यह विषय सब के लिये समान विषय है और वह है गौ रक्षा करने का। गौ निकासी को रोकने के लिये राजस्थान सरकार और हमारा सब का फर्ज है। इसलिये मैं समझता हूं कि सभी भाई इस संकल्प के पक्ष में अपना मत देकर इस बात को सिद्ध कर देंगे कि जनता ने उन्हें मत देकर अपनी सेवा के लिये भेजा है उस कार्य को उन्होंने यहां आकर निभाया। इसलिये मैं बार बार आपसे यही अपील करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करें और सदन से निवेदन करूंगा कि एक मत से मेरे इस संकल्प को स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, मैं रावत श्री शंभुसिंहजी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या २ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

"शब्द 'निकासी' के आगे शब्द," पर "प्रतिबन्ध लगा दिया जावे" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जावे।

रोकना आवश्यक है और इसके लिये आवश्यक सुझाव देने के लिये निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति कायम की जावे :

(१) श्री रामनिवास मिर्धा .. कृषि मंत्री
(२) श्री अमृतलाल यादव .. पृथक राजस्व मंत्री
(३) श्री रामकिशोर व्यास .. न्याय मंत्री
(४) श्री शंभुसिंह
(५) श्री भैरूंसिंह (१६)
(६) श्री नाथूराम मिर्धा
(७) श्री गोपीलाल यादव"

माननीय चेयरमेन, गौ का हमारे समाज में धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि और भी तरह से बहुत बड़ा महत्व है, इसके बारे में कभी भी दो राय नहीं हो सकतीं।

(हर्ष-ध्वनियें)

और जैसा कि संकल्प प्रस्तुत करते समय प्रस्तावक ने बताया कि राजस्थान में पहले ऐसा अधिनियम मौजूद था जिसके अतर्गत गौ की निकासी बन्द थी। मगर जैसा कि नया विधान हिन्दुस्तान में लागू हुआ है उसके साथ साथ जो कानूनों का एकीकरण हुआ और आपगंक कानूनों का भी एकीकरण हुआ और सारे हिन्दुस्तान में एक ही से कानून लागू हुए, उसके अन्तर्गत कस्टम एक्ट हमारे यहां जो पहले लागू था वह समाप्त हो गया और उसी वजह से गौ निकासी बन्द नहीं हुई। इससे गौ निकासी ही बन्द नहीं हुई बल्कि राजस्थान सरकार को कई करोड़ रुपयों का घाटा भी हुआ। लेकिन हिन्दुस्तान में कानूनों का एकीकरण हुआ इसलिये हमने यह चीज अपनाई।

अभी प्रस्ताव में प्रस्तावक ने दो बातें सदन के समक्ष रखी हैं। एक तो गौ-वध और दूसरी गौ निकासी। मेरे ख्याल से गौ-वध से कोई ताल्लुक नहीं है। गौ-वध तो राजस्थान में नहीं होता। कहीं कहीं होता है वह भी धीरे धीरे बन्द हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि वह सब जगह बन्द हो

[श्री सोहनलाल भटनागर]

जायगा। लेकिन इसके साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण के साथ आर्थिक दृष्टिकोण है वह बहुत महत्व का है। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और इस में गौ और बैलों का बहुत बड़ा उपयोग है और इस के साथ साथ गौ के पालन करने के लिये भी हजारों की संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं, तो इस कानून को चालू रखने से राजस्थान में पशुओं का वेकूम आ जावेगा। राजस्थान का एक तरफ से बोर्डर पाकिस्तान को लगता है और दूसरा नेबरिंग स्टेटों से लगता है। दूसरे देशों जैसे पाकिस्तान से बोर्डर लगता है वहां से निकासी के लिये तो लैन्ड कस्टम एक्ट हमारे यहां मौजूद है जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया।

लेकिन जब कि कस्टम एक्ट हटा दिया गया है वैसी हालत में सब चीजों के आयात-निर्यात में रुकावट नहीं रही, यह एक प्रकार से वेकूम क्रिएट होगया ऐसा कोई कानून नहीं जिसके मातहत कार्य किया जाय। हो सकता है एक्साइज एक्ट के अन्तर्गत कोई भी कार्य करने जा रहे हैं जहां तक हम इसे सही रूप में कानूनी दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो जो हमारी विचारधारा है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। केवल भावनावश हो कोई कार्य नहीं कर सकते। जब हम इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते है कानून का राज्य हो तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि कानून के माफिक बात हो। यह बहुत बड़ी समस्या है, यहां तक कि विधान में परिवर्तन की भी समस्या आ सकती है इसके लिये भारत सरकार से निवेदन किया जा सकता है, इस तरह से यहां की प्रान्तीय सरकार है इस बारे में क्या कानून बना सकती है या नहीं बना सकती, केवल भावनावश आकर कोई कानून बना देती है तो आगे हाईकोर्ट में चेलेन्ज होकर वह समाप्त हो सकता है तो ऐसे कानून के बनाने से क्या फायदा ?

माननीय चेयरमेन, मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि मैंने जो एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है उसके अन्दर मंत्रीगण भी मौजूद हैं जो सरकारी राय दे सकें उसके अलावा दूसरे व्यक्तियों को भी रखा गया है जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, इसलिये मेरे माननीय संकल्पकर्त्ता महोदय मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लेंगे उनको भी इस कमेटी में रखा गया है। हम कोई कानून भावनावश न बनावें जो आगे जाकर चेलेन्ज हो और उससे कुछ मतलब न निकले, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह संशोधन रखा है आशा है सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Chairman, Sir, I hope those people who are a bit fanatic and biased in their thought will excuse me if I take a different line not based on religion or on their facts. I am emboldened to say that those who support this motion here give arguments firstly from the point of view of religion and secondly from the point of view of economy. I will traverse the ground on both these points, and the Hon'ble Members will excuse me if I do not quote facts and figures, because recently they have been supplied by Government with statistics. The Hon'ble Member who moved this motion has already got a booklet with him. Sir, the arguments adduced by the Hon'ble member in favour of his resolution are, firstly that it is embodied in the Directive Principles of our Constitution; secondly that in order to increase the livestock population we must prevent the cows from being taken out of Rajasthan and also we must prevent their slaughter.

[श्री श्रीमानसिंह]

However, I must make one thing clear, that I am not for cow slaughter. But, Sir, tackling this point from the agricultural and religious points of view, our sentimental worship of animals so much that we are giving day in and day out weightage to animals, while, Sir, I have not come across one resolution safeguards or guarantees food, clothing and housing to human beings.

Today, if we take the statistics of Rajasthan, the livestock population outstrips means and human beings, and in that if we include goats and sheep, perhaps for one man we will have 20 livestock including goats and sheep or 30 goats and sheep. Sir, if I refer here to the statistics outside, for instance, of Australia, there for one cow at least a man must have 5 to 6 acres of land. Here, Sir, taking the human population, there is not enough of land and we want to prevent and protect cows for which extra land will be needed. And what for ? Out expenses on the cows if we take normal feeding come to Rs. 2/8/- per cow per day. Rs. 2/8/- is the normal feeding expenses, the minimum. And Sir, take the average income of a man. It is well-known to you. I need not say that our cows are ill-fed, with the vital result that their milching capacity is insufficient. When our population, our people, our children, the hope of the future, live ill-clad, ill-housed, they die prematurely, our children live naked and starved we cannot provide the necessary living facilities for these hopes of the future, who shall guarantee; and who shall protect our freedom ? We are here in our religious zest for protecting the animals at our expense. This is the singular failure of religion, that it is foregetting mankind and it tries to protect cows. Our sacred Hinduism protects the animals. By all means protect the animals but protect the useful, protect those who serve our purpose, protect those animals which are valuable to mankind. Let them be protected. There is a struggle for survival between man and livestock on land. If we give weightage to livestock and animals, if we accept this resolution it will certainly solve the problem of the livestock, but then it will be at our expense. That we will have to make a vital decision that either to rehabilitate the livestock or us ? This, sir, is a vital question. I have not given figures because presuming that the members know, but here our animal population is more than men that our land can afford. We cannot feed them. I will take the House into confidence. We must look at our neighbour, Punjab. There the number of the cattle is less. They are well-preserved, well-fed, their milking capacity is high; there you will see healthy and sturdy Punjabis. But for instance, take Bengal. The growth of the cattle is stunted. The yielding capacity of a Bengali cattle is just one tea cup, and what is the result ? The weaker the cow, the more fertile it is, and it produces more infertile and barren cattle, the yielding capacity of which is less, and it must be kept, it must be fed, and feeding expenses cannot be reduced.

[श्री श्रीभानसिंह]

Therefore, Sir, we will have to take a very vital decision. We may appoint Committees. We may adopt this resolution, but a decision will have to be based on facts and figures, not on sentiments. There was a time when we had ample land, when men were less, when we had less cows, with better feeding. That was the time to protect them. Now the position is different. Again the argument is given that we need cows because we are in a prodominantly agricultural country. I agree, Sir, but again taking the statistics, in America, in Australia, in Russia, and now in China too, there, Sir, at least in the former three countries, 20 percent of the population feeds 80 percent of the population. and here the position is just the reverse. 85% of the population toils day in and day out, and what is the result ? It feeds 20% of the population. With our this unbalanced pressure on land, with out low yield, low production, how can we protect and feed the dried up cows ?

Whenever time comes, we give example of the progress made by the western countries, but we fail to understand the basis of their progress. It is very vital that we should understand it. Now taking the statistics of the whole country, our livestock population is the highest in the world. Probably a publication issued by the United Nations Organisation will give it out. We have got the highest livestock population and comparatively milking capacity is the lowest. We have the highest number of cows with the lowest milking capacity. The result is our people do not get the vital nutritions.

Therefore, Sir, I have spoken on this issue and tackled it from three points, factual, statistical and from the western countries point of view. Now the only argument that remains is that ours is a bullock economy. However, with small holding this is an argument which goes against keeping the livestock. How can a man provide for the cows when he cannot provide for himself, when his holding is hardly worth in size one or two acres; if he keeps one cow he must have additional holding of 5 to 6 acres so that he can make feeding arrangements for his livestock. If he cannot provide for them, what is the use of keeping parasites ? Bullock economy in India means protection of bullocks and not men. I am one of those people who are against bullock economy. I am confident that if this country is to progress in agriculture, some day or the other it will have to adopt mechanisation. That is the only solution. We may have small holding, but since our progressive policy is to form co-operatives, co-operatives must have mechanisation. So far we have not paid attention to mechanisation, but as the time goes, with the spread of education we will have more technicians, more and more use of tractors, and thus mechanisation will come some day or the other. Our land. our climate hardly differs from the other tropical countries.

[श्री शोभानसिंह]

We are hardly different, except in texture, from Austrian climate. An average Australian depends mainly on mechanisation. Here everything is done by man. Man has to do the extra labour. Here the argument is that if we adopt mechanisation there will be unemployment. That is not correct. We will utilise the extra labour in our industrial enterprises. Our only solution and salvation is that we must protect our men and men power and for men we must have industrialisation and cows and Religion and not man for them, and of course, for religion let it play its part as an intergrating force in society, which is its role, and let it remain that.

श्री जगतसिंह झाला—माननीय सभापतिजी महोदय, रायपुर-सहाडा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रक्खा है, उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। गायों को प्रतिवर्ष हजारों की तादात में निकासी होती है इसको अविलम्ब रोकने के लिये यह प्रस्ताव अति उचित है। यह प्रस्ताव आज ही आया हो ऐसो बात नहीं है। दो या तीन बार आज से पूर्व भी यह लाया गया था और इसके बार बार २ आने के कारण ही यह बात ठीक २ से जानी जा सकती है कि हमारी जनता और हम जनता के प्रतिनिधि जो यहां हैं वे इस आवाज को किस प्रकार से रखते रहे हैं।

हमारा कहना यह है कि कस्टम टैरिफ के माफ होने के बाद हजारों को तादाद में गायों की निकासी हो रही है और इसे रोकने के लिये सरकार के पास आज कोई साधन नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन करना है कि हमें इससे और भी अधिक दुःख है कि हजारों मील का सफर कर जाने के बाद भी इन गायों का पाकिस्तान में और राजस्थान के बाहर बुरी हालत में कत्ल होता है। यह राजस्थान के लिये एक बडी शर्म की बात है। इसके लिये सहाडा-सलूम्बर से आने वाले सदस्य ने जो प्रस्ताव रक्खा है उससे भी मेरा थोड़ा मत भेद है। इसका कारण यह है कि इस प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि गायों की निकासी रोकी तो जावे पर देर से रोकी जावे। जब कि मैं यह कहता हूं कि आज से ही इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये। जब जरूरी बात है तो फिर इसे आगे बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? आज ये जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं और छः महीने बाद तो नये चुनाव हो जावेंगे।

इसमें कानून की भी कोई अडचन जैसा आप कहते हैं नहीं है। आप चाहें तो आज ही प्रतिबन्ध लगा सकते हैं? मैं ९ तारीख की लोकवाणी का सम्वाद जो है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:—

राजस्थान से पाकिस्तान को गायों की निकासी। संगठित गिरोह सक्रिय। सरकार से जांच की मांग।

नई दिल्ली, ८ अक्तूबर—गौ हत्या निरोध समिति से सूचना मिली है कि गांव भालडी, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर के रहने वाले कुछ लोग गोपालन के नाम पर सूरतगढ़, गंगानगर, डिडवासी, सांगरिया, बीकानेर, इत्यादि से हजारों गायें खरीदते हैं। ५० गायें-बछडी २२-८-५६ को तथा ३००, ६-९-५६ को इनके द्वारा ले जाई गई। ये लोग बलदिये और भाटों से पांच रुपये प्रति गाय के हिसाब

[श्री जगतसिंह झाला]

खरीदते हैं और २० रुपये प्रति गाय के हिसाब से बेचते हैं । यह प्रायः करके ढाई साल की बछरियां खरीदते हैं । समिति ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि गिरोह की पूरी जांच करे ।"

इस प्रकार की सैंकडों खबरें हमारे अखबारों में छपती हैं और राजस्थान सरकार के लिये निस्सन्देह यह ऐसा विषय है कि उसे शरम आनी चाहिये ।

हमारे यहां रामचन्द्रजी शर्मा 'वीर' ने भी इस बारे में अनशन किया था । इस पर स्थगन प्रस्ताव भी रक्खा गया था । कुछ लोग भी गृह मन्त्रीजी से इस बारे में मिले थे और सारी बातें उनसे निवेदन की थीं । उन्होंने कहा कि सही है, पर क्या करें ? आप इस तरह का कोई कानून बनाकर लाओ । ये सारी बातें बतलाई गईं । हमारे गृहमंत्री महोदय, रामचन्द्र शर्मा 'वीर' से भी मिले हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है । अब वह क्या आश्वासन दिया है यह उन्हीं के मुंह से हम सुनना चाहते हैं । क्या उस आश्वासन के अनुसार ही यह प्रस्ताव लाया गया है या और कोई बात है ? क्योंकि उनकी हालत बडी चिन्ताजनक हो गई थी और अगर एक दो दिन और अनशन जारी रहता तो राजस्थान की राजधानी में यह एक कलंक की बात होती कि गौहत्या के लिये एक ऐसे वीर की मौत हुई है जिसने हजारों अनशन पहले करके हजारों बार ही उनमें सफलता प्राप्त की है ।

मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि यह बहुत ही आसान प्रश्न है । इसमें देर करने की जरूरत नहीं । उन्होंने जो प्रस्ताव रक्खा है उसमें सात सदस्यों के नाम आये हैं, पांच कांग्रेस की ओर के और दो विरोधीदल के रक्खे हैं । तो यह तो निस्सन्देह है कि हमारी वे क्या बात मानेंगे ? हमने यह हिन्दू ट्रस्ट बिल के दौरान में देखा है जहां हमारे कई नोट ऑफ डिस्सेन्टों के होते हुए भी एक भी धारा को नहीं मानते हैं, एक भी बात नहीं मान रहे हैं । इस संबंध में भी वे इस बात पर तुले हुए मालूम होते हैं कि यह निकासी नहीं रोकी जावे । आप हिन्दुओं के धर्म पर आक्षेप करने पर तुले हुए हैं । पर यह धार्मिक मामला होने के साथ २ आर्थिक मामला भी है । मैं मानता हूं कि इस चीज को सुलझाने के लिये ही यह प्रस्ताव रक्खा गया है । इस प्रस्ताव के मूलभूत सिद्धान्तों से मेरा विरोध नहीं है । पर यह चाहता हूं कि इसमें देरी न की जाकर तुरन्त प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये । देरी करने का मतलब यह है कि चुनाव में यह एक स्टन्ट खेला जा रहा है । आज की उनकी स्पीचें इस बात की द्योतक हैं । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं वे जिस भाषा में और जिस तरह से कहीं उससे ही साफ जाहिर है कि उनको हमारी संस्कृति से कितनी सहानुभूति है । उनकी सारी पद्धति बतलाती है कि वे पाश्चात्य शिक्षा के वातावरण में पले हैं, वे आज इस मामले में इस देश की संस्कृति और देशवासियों की भावना को नहीं जान सकते । हमारे यहां तो लोग ऐसे हैं जो गाय के लिये अपने ग्रास का पहला निवाला निकाल कर फिर भोजन करते हैं । आप कहते हैं कि जमीन इनके लिये चरने के लिये कम है । आप चलें मेरे साथ अगर जमीन कम है तो हम लोग आपको दिलावेंगे । आज भी ऐसे हजारों की तादाद में व्यक्ति मौजूद है जो चरणोंट की भूमि छोडने को तैयार हैं । हम ऐसे व्यक्ति नहीं कि जो गायों को तरसा कर उनकी जमीन खुद हडप लें । आपके मिनिस्टर लोग ही ऐसे हो सकते हैं जो ले लेते हैं, हडप लेते हैं । छोटी-सादडी में वैसी जमीन ली और ले सकते हैं और जयपुर में ले सकते हैं । पर हम ऐसी जमीन लेने को तैयार नहीं है ।

[श्री जगतसिंह झाला]

मेरा तो यह खयाल है कि इसको आप ६ महीने के लिये टालना चाहते हैं ताकि चुनाव का समय निकल जावे और इसमें आपने जो जनसंघ के अध्यक्ष को, रामराज्य, हिन्दू सभा के अध्यक्ष को रख लिया, तो इस तरह से आप उनको भी बदनाम करना चाहते हैं । कारण यह है कि बहुमत के जोर पर आप तो कोई बात मानने को तैयार नहीं होंगे और लोगों से आप कहेंगे कि हमने तो जनसंघ और हिंदू सभा वालों को भी इसमें रक्खा था, हम क्या करें अब ? इसलिये मेरा निवेदन करना है कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह कानून पास हो और हजारों की तादाद में निकलने वाली गायों की निकासी बन्द हो, तो आप तुरन्त इस कानून को पास करें और अविलम्ब निकासी पर प्रतिबन्ध लगा दें ।

वैसे इसको दूर करने के लिये आप ५० बातें काम में ला सकते हैं । जब आप जानते हैं कि यह कानून पास होना आवश्यक है और कस्टम टैरिफ रूल के हटने के बाद हजारों की तादाद में गायों की निकासी हो रही है और हमारे राष्ट्र के पशु धन का ह्रास हो रहा है और साथ ही साथ धार्मिक भावना को आघात पहुंचने का मौका मिल रहा है, तो क्या सोचने की बात है उसमें ? आप उसमें क्यों देर कर रहे हैं ? यह तो प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है कि जिसको उसी रूप में पास किया जा सकता है । इसके अन्दर संशोधन लाकर, वह व्हिप लगाकर, यह सारी बातें जिस भावना से उठाई गई हैं उसके फल स्वरूप से यह मालूम होता है कि चुनाव के चक्कर में आकर यह सारी कार्यवाही की है । चुनाव जल्दी आ रहा है । आप चाहते हैं कि यह पूरा नहीं हो, जल्दी उसको रोका जाय, तो इस रोकने के लिये आपने प्रस्ताव किया है कि एक कमेटी बनाई जाय ।

मुझे निवेदन करना यह है कि जो प्रस्ताव श्री शंभुसिंहजी ने रखा है उसके मूल स्वरूप का समर्थन किया जाय और आज गृह मंत्रीजी इस बात का ऐलान करें कि राजस्थान से गौ की निकासी हमने रोक दी है । बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री तेजमल बापना—चेयरमेन महोदय, जो संकल्प सहाड़ा ओर रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है और उसके साथ जो संशोधन श्री सोहनलाल जी ने रखा है तो संशोधन के साथ में इस प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

इस सदन में बैठने वाला इस ओर या उस ओर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसके मन में गौ के प्रति सद्भावना, प्रेम व आदर नहीं हो । राजस्थान से गौ की निकासी राजस्थान कस्टम एक्ट के समाप्त हो जाने के बाद में कुछ बढ़ी है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है । प्रत्येक सदस्य और उसके साथ साथ, मेरा खयाल है, राजस्थान राज्य की यह इच्छा हो सकती है कि इस निकासी को शीघ्रातिशीघ्र रोका जाय । भारत एक कृषि-प्रधान देश है और राजस्थान तो विशेषकर कृषि के लिये प्रसिद्ध है ही । ऐसी सूरत में गौ की निकासी जल्दी से जल्दी बन्द हो, इसके बारे में प्रत्येक सदस्य उत्सुक है और चाहता है कि यह निकासी बहुत जल्दी बन्द हो । लेकिन मैं जो श्री सोहनलाल ने यह प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन इसलिये करना चाहता हूं कि आज का युग एक कानून का युग है । बहुत कुछ चाहने पर भी इसमें कोई कानूनी दिक्कत हो सकती है कि जिसमें निकासी के ऊपर प्रतिबन्ध में किसी प्रकार से उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, इसमें सही सलाह की आवश्यकता

[श्री तेजमल बापना]

हैं । आज मैं इस बात को मानता हूं जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, कि इसमें विरोधी दल के सदस्य कुछ कम होते हैं तो मैं प्रस्तावक सदस्य से निवेदन करूंगा कि एक दो सदस्यों को और जोड लें तो कोई आपत्ति की बात नहीं होगी । इसमें जो कमेटी आपने बनाई है उसमें न्याय मंत्री भी उपस्थित हैं और उसमें पृथक राजस्व मंत्री भी सम्मिलित हैं, साथ ही साथ कृषि मंत्री भी हैं, राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष भी हैं और राजस्थान हिन्दू महा सभा के लीडर भी इसमें सम्मिलित है, और एक दो सज्जन और जोड दिये जांय तो मेरा खयाल है कि यह प्रस्ताव ठीक हो जायगा और इस सदन के करीब २ सभी मत उसमें सम्मिलित कर दिये जायेंगे । विशेष नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में गौ हत्या तो बन्द है और कानूनन बन्द है, लेकिन यह बात भी उससे कम महत्व की नहीं है । दरअसल यहां की गौ निकासी जल्द से जल्द बन्द हो । किस प्रकार से बन्द हो यह तो यह समिति जो है अपनी रिपोर्ट पेश करे । हो सकता है कि समिति कुछ देरी भी करे तो इसमें कुछ समय निर्धारित किया जा सकता है, महीना, दो महीना या जितना भी उचित समझा जाय, उसमें समय निर्धारित कर दिया जाय और उस समय के अन्दर २ यह कमेटी अपनी राय प्रस्तुत करे, और गवर्नमेन्ट कमेटी की राय के अनुसार जल्दी से जल्दी निकासी को रोक सकती है ।

यह कहना कि कांग्रेसमेन या कांग्रेस गवर्नमेन्ट गौ निकासी पर ध्यान नहीं देती है, गौ हत्या पर ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल निरर्थक है । प्रत्येक व्यक्ति इस भावना को जाहिर करता है, इस भावना को प्रोत्साहन देता है और तहेदिल से यह चाहता है कि गौहत्या बन्द हो और गौ निकासी राजस्थान में जल्द से जल्द बन्द हो । यही मैं अपने विचार प्रकट करता हूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी (सभापतिजी), यह जो श्री शंभुसिंह जी ने प्रस्ताव रक्खा है और मेरे दूसरे माननीय सदस्य ने भी एक संशोधन पेश किया है, करीब २ दोनों का ही वैसे तो मैं समर्थन करता हूं, परन्तु जैसा कि आज राजस्थान के अन्दर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में गाय को धार्मिक नाम पर न कह कर यह कहा जाय कि मनुष्य के अन्दर आज किस तरह से ज्यादा शक्ति पैदा की जाय उस आधार पर भी गाय को बचाया जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा । दूसरे देशों में जितना हिन्दुस्तान के लोग उस गाय के धार्मिक नाम पर जितना कर रहे हैं उतना नहीं करते हैं, परन्तु बाहर के देशों में आज उस गाय के लिये धार्मिक नाम पर नहीं करते हुए भी मनुष्य के अन्दर किस तरह से ज्यादा ताकत पैदा हो और उस ताकत से बुद्धि का विकास हो, उस दृष्टि से आज वहां गायों को किस तरह से खिलाते हैं, किस तरह से रखते हैं, और किस तरह से उनका पूरा पालन करते हैं, वह चीज आज हिन्दुस्तान के अन्दर नहीं हो रही है । आज हिन्दुस्तान के लोग उस गाय की उस दृष्टि से सेवा करते हैं जैसा कि धर्म के नाम पर की जाती है । आज वे धर्म के नाम को लेकर भी उसकी पूरी सेवा करें तो आज हिन्दुस्तान में गाय की बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है और राजस्थान में तो और भी उन्नति हो सकती है । परन्तु खेद है कि आज इस तरह से धर्म के नाम पर कोई चीज पैदा करते हैं वह चीज सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि दूसरी पब्लिक के अन्दर केवल अपना सिक्का जमाने के लिये करते हैं । परन्तु जब हम लोग यह देखते हैं कि उन्होंने या हमने उस चीज को कितना किया हमने खुद ने गाय के लिये कितना किया, यह कोई आदमी नहीं सोचता है । तो माननीय चेयरमेन, अगर राजस्थान सरकार इसकी निकासी, जैसा कि यू. पी. के अन्दर गाय का कटना बन्द हो गया है,

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

उसी तरह से वह भी बन्द कर देगी, तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आज वह १ करोड ७० लाख जो राजस्थान को जनता है उसका भला करेगी न कि उनका जो कि धर्म के नाम पर गाय की निकासी बन्द कराना चाहते हैं उनका भला करेगी राजस्थान सरकार । और उसके बावजूद जो आज राजस्थान सरकार के अन्दर लाखों रुपयों का, करोड़ों रुपयों का बोझ जो म्युनिसिपेलिटी और दूसरे २ डिपार्टमेन्ट पर होता है, उसी तरह से अगर गाय के मामले में म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों को सूचनार्थ प्रकाशित कर दिया जाय कि जो बेकार गायें होंगी उनके लिये दो सेन्टर राजस्थान सरकार ने खोले हैं । परन्तु उन सेन्टरों में जिस तरह से उन गायों को रखने की सुविधा और व्यवस्था हो रही है वह निश्चित रूप से ठीक तरह से हो । इसलिये इन म्युनिसिपेलिटीज और पंचायतों द्वारा खराब जो गायें होती हैं, लूली, लंगडी और दूसरी २ गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं उनकी अगर राजस्थान सरकार व्यवस्था कर दे तो आज जो राजस्थान इस नाम से पुकारा जाता है कि राजस्थान की गायें बाहर जाकर कटती हैं, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर गाय राजस्थान के बाहर नहीं जावेगी और वे गायें बिल्कुल भी नहीं कटेंगी । अगर राजस्थान सरकार इस तरह की व्यवस्था करे और उसको लेजाने की और लाने की जो व्यवस्था के अन्दर बाधायें पड़ रही हैं वो भारत सरकार से लिखा पढ़ी करके उनका कुछ कम किराया करके व्यवस्था करदी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । परन्तु अगर निकासी चार छः महीने नहीं होगी और एक समिति बना कर उस चीज को, क्योंकि आज सब लोग चुनाव के लिये लगे रहेंगे और गायों के मामले में कोई नहीं सोचेगा और यह भी नहीं सोचेगा कि यह जरूरी चीज है । इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि जो प्रस्ताव शंभुसिंहजी ने रखा है उसके अन्दर संशोधन रख कर उस प्रस्ताव को राजस्थान सरकार को मान लेना चाहिये । और अगर इस प्रस्ताव को राजस्थान सरकार नहीं मानती है तो आज जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट है उस डिपार्टमेन्ट के द्वारा उन गायों की व्यवस्था की जानी चाहिये । आज जो गायों की निकासी पर कम टैक्स है उस टैक्स को ज्यादा बढ़ाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी चाहिये जिससे कि गायें बाहर न जा सकें ।

श्री मानसिंह महार—माननीय चैयरमेन महोदय,······

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I move that the question be now put.

एक माननीय सदस्य—माननीय चेयरमेन,····

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move that the question be now put.

श्री सभापति—I would like to know the wishes of the Treasury Benches.

श्री मानसिंह महार—अभी तक तो बहुत लोग बोलना चाहते हैं। अभी तो कम लोगों ने ही बोला है।

(घंटी)

श्री सभापति—श्री रामकिशोर व्यास।

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन महोदय, हमको इजाजत दी जाय। सदन की राय इस पर ले ली जाय।

श्री सभापति—Order ! अभी जो क्लोजर मोशन मूव किया गया है उसके विषय में मैंने श्री रामकिशोर व्यास को निवेदन किया है कि वे हाउस में रोशनी डालें।

श्री रामकिशोर व्यास—यह जो संकल्प सदन के सामने है.....

श्री शम्भुसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन, सर, चेयर की ओर से ओर्डर हुआ है कि क्लोजर मोशन जो अभी मूव किया गया है उस पर रोशनी डाली जाय, न कि मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर।

श्री सभापति—He has heard it.

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—यह जो संकल्प सदन के सामने है उस पर यह तो सदन की मर्जी है कि कोई ज्यादा बोलना चाहे तो बोले। मुझे इसमें कोई अपत्ति नहीं है। मेरा जवाब सुनना चाहें तो सुनें। अगर माननीय सदस्य इस पर और बोलना चाहें तो बोलें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यदि मुझे जवाब देने का आदेश दें तो मैं उसके लिये भी तैयार हूं। मुझे दोनों बातों में कोई आपत्ति नहीं है। यह तो आपके निर्णय पर निर्भर है।

श्री मानसिंह महार—बोलना चाहेंगे।

श्री सभापति—मैं यह जानना चाहूंगा कि और कितने सदस्य हैं जो इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं ?

(सर्व श्री मानसिंह महार, रूप नारायण शास्त्री, कस्तूरचन्द के खड़े होने पर)।

श्री सभापति—I disallow the closer motion.

(करतल-ध्वनि)

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, सदन के समक्ष जो संकल्प गौ निकासी के बारे में प्रस्तुत हुआ है उस पर मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। चेयरमेन महोदय, शुरू में मेरी राय ऐसी नहीं थी कि ऐसे नोन कन्ट्रोवर्शियल मामले पर कोई बहुत अधिक वाद-विवाद किया जाय और खास तौर पर उस समय जब कि सरकार ने गौ निकासी को सिद्धान्ततः बन्द करने की बात को मन्जूर कर लिया है। चेयरमेन महोदय, मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने गौ निकासी को सिद्धान्ततः मन्जूर तो किया है....

एक माननीय सदस्य—गौ निकासी रोकना।

श्री मानसिंह महार—गौ निकासी रोकना मन्जूर किया है उसके लिये बधाई तो देता हूं, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार की बात को टालना चाहते हैं उससे थोड़ी मेरी सहमति नहीं है। जिस प्रकार का संशोधन कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने रखा है उससे हमको जरूर कुछ शंका होती है।

(विराम)

सचेतक महोदय ने रखा है। मुख्य सचेतक तो मैंने गलती से कह दिया। वे मुख्य सचेतक का ही काम करते हैं। वे इम्पोर्टेन्ट आदमी हैं आज कल। हमको इस कमेटी से कुछ एतराज है वह निवेदन करूंगा। पहले कांग्रेस बैंचेज पर बैठने वाले मेरे रूपवास से आने वाले मित्र ने चन्द बातें कहीं और अपने विद्वत्तापूर्ण भाषण में गो निकासी की बात का समर्थन किया है, उसका थोड़ा बहुत जवाब देना मैं अधिक उपयुक्त समझता हूं। उन्होंने जो इकोनोमिक बातें गौ निकासी के बारे में कहीं और दलीलें दीं उनका कायल हूं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर दुनियां के अन्दर सारी बातें इकोनोमिक तरीके से ही देखी जायं और व्यवहारिक तरीके को भुला दिया जाय तो बहुत मुमकिन है कि हमारे देश को बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए मेरे मित्र या तो यह कह देंगे कि हमारी बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हम लोगों को शादी करना रोक देना चाहिये या ऐसी बातें करना चाहिये जैसे केस्ट्रेशन कर दिया जावे आदमियों का। अगर इस प्रकार से इकनोमिक ढांचे में ओतप्रोत बातें करेंगे तो आगे आ सकते हैं। उनकी दलीलें दिखने में अच्छी थीं कि प्रत्येक गाय को ६ एकड़ जमीन छोड़नी चाहिये। ये दलीलें देखने में, चेयरमेन महोदय, अच्छी हैं। लेकिन अगर हम वास्तविकता की ओर जावें तो हमें यह देखना होगा कि हमारी यह जो गौ माता है, यह हमारे किसानों को कितना लाभ पहुंचाती है, उसको किसी प्रकार से बचाया जाय।

चेयरमेन महोदय, आज गायों की निकासी हमारे राजस्थान से नहीं रोकने के कारण राजस्थान के अन्दर बैलों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि एक गरीब किसान अच्छी तरह से बैल भी नहीं खरीद सकता है। आज यदि कोई किसान अच्छा बैल खरीदना चाहता है तो उसकी कीमत करीब ५०० रु० हो गई है। मैं पहले के जमाने में, मैं एबनोरमल जमाने की बात नहीं कह रहा हूं सन् ३३-३४ की जब कि २०रु० में अच्छे बैल बिकते थे, लेकिन आफ्टर वार टाइम की बात कर रहा हूं, जब कि अच्छे बैल २५० रु० में मिलते थे। वे ही बैल आज ५०० रु० में बिकते हैं या मिलते हैं। इस मंहगाई का मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां से गो धन बाहर जाने लगा है। इस बात को देखते हुए गायों की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है।

भरतपुर की तरफ से आने वाले माननीय साथी ने बहुत सी बातें बताईं कि हमको कोओपरेटिव फार्मिंग करना चाहिये, मिकेनाइज्ड फार्मिंग करना चाहिये। लेकिन चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ये बातें अभी केवल स्वप्न ही हैं। जब मिकेनाइज्ड फार्मिंग हो जाय, गांवों में मशीनें चल जायें और जब बैलों की आवश्यकता नहीं हो उस समय यदि ऐसा सुझाव रखें तो बहुत मुमकिन है उनकी जैसी विचारधारा वाले सज्जन भी, धर्म में आस्था नहीं रखते हुए वैसे इस प्रकार की बातें मन्जूर करने को तैयार हो जावें। उन्होंने अपने भाषण की प्रथम पंक्ति में धर्म मानने वालों के लिये जो बातें कहीं उस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन गौ माता के लिये उन्होंने 'पैरासाइट' शब्द इस्तेमाल किया, उस पर मुझे अफसोस हुआ। वे वही महाशय हैं जो गौ माता को पैरासाइट कहते हैं, ऐसे लोग भी

[श्री मानसिंह महार]

हिन्दू धर्म में मौजूद हैं। यदि इस प्रकार की उन्नति करते रहे तो हमारा बेड़ा पार हो चुका। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस शिक्षा संस्था में उन्होंने शिक्षा पाई है उसको मैं ऊंचे उद्देश्य से देखता था, लेकिन मैं नहीं जानता कि वहां इस प्रकार से गो माता के लिये गंदी बात बताई होगी। वे और कुछ फरमाते। किताबी दुनियां में जो बातें देखी हैं उनको सदन के समक्ष रखते या रखें लेकिन हमारी गौ माता को "पैरासाइट" शब्द से संबोधित नहीं करें। यह उनके लिये अच्छी बात नहीं है, सुनने वालों के लिये भी बुरी बात है। इसलिये उनकी दलील का जवाब देकर मैं सचेतक महोदय की बातों का जवाब देना चाहूंगा जिन्होंने संशोधन रखा है।

चेयरमेन महोदय, देखने में यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं है कि गो माता की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाने के तरीकों पर सोचने के लिये कमेटी बनाई जाय। इस बात का विरोध कौन कर सकता है? इसका तो स्वागत करना चाहिये और मैं भी इसका स्वागत करता हूं। लेकिन हमारा तजुर्बा यह रहा है कि यदि कोई कमेटी बनाई जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि काम को टाला जाय। यदि किसी काम के लिये कोई कमेटी बनाई जाती है तो कम से कम २ साल के लिये तो वह काम खत्ते में पड़ गया। यदि मन्त्रीजी इस प्रकार का आश्वासन दें कि उक्त कमेटी १ महीने में अपने सुझाव रखेगी तो हम इसे मान सकते हैं या संशोधन में ही इस तरह की बात हो सकती थी लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं है।

एक बात मुझे कमेटी के बारे में और निवेदन करनी है। वह यह है कि इस कमेटी में तीन मन्त्रियों को एसोसियेट किया गया है। इसका भी मैं विरोध करता हूं। यदि कमेटी को सुचारू रूप से चलाना है या कमेटी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करानी है तो उसमें सिर्फ एक मन्त्री रहना चाहिये। यदि तीन तीन मन्त्री रखे गये तो कोई मन्त्री चीन के दौरे पर चले जायेंगे और कोई मेवाड़ के दौरे पर चले जायेंगे और इस प्रकार निश्चित समय पर मीटिंग नहीं हो सकेगी। इसलिये मेरा यह ओब्जेक्शन है कि इस कमेटी के पर्सोनल्स डिफेक्टिव हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं कमेटी के सदस्यों के नाम पढ़ रहा था तब यह समझ रहा था कि कुछ ऐसे मित्रों को रखेंगे जो यह कोशिश करेंगे कि वास्तव में गायों की निकासी को कैसे रोका जाय? लेकिन इसमें जब दूसरे नम्बर का नाम देखा तो मैंने यह जाना कि यह कमेटी तो महज धोखा मात्र है, भुलावा मात्र है।

गो माता की निकासी रोकने के लिये कमेटी बनाई जा रही है और उसमें ऐसे आदमियों को एसोसियेट किया जाय जो गोचर भूमि पर कब्जा करें और सदन में पकड़े जायें तो उस भूमि को वापिस गोचर डिक्लेअर न करके भूदान में अपने जाति के लोगों को व रिश्तेदारों को बांट देवें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे गो माता पर आस्था नहीं रख सकते, उसकी इज्जत नहीं कर सकते और उसकी कद्र नहीं कर सकते। मैं रूपवास से आनेवाले मित्र की कद्र करता हूं जो यह कहते हैं कि आज गऊ को गौ माता कहते हैं लेकिन उसके खाने का प्रबन्ध नहीं करते। उसके खाने का प्रबन्ध नहीं करने का मुख्य कारण यह है कि जगह जगह, कई लोग कह रहे हैं, गोचर भूमि पर लोग नाजायज कब्जा कर लेते

[श्री मानसिंह महार]

हैं। मेरा भारी ऐतराज है कि कमेटी में नं. २ पर श्री अमृतलाल यादव, पृथक राजस्व मन्त्री का नाम रखा है, वह गलत है। जब तक वे इसमें रहेंगे तब तक, मैं समझता हू, यह कमेटी गायों को निकासी रोकने की कार्यवाही नहीं करेगी। वे इस बात का प्रयत्न करेंगे कि यहां से गायें बाहर जावें और गौधन की कमी हो और गोचर भूमि काम में ली जाय, और उस पर कब्जा करके उसे दूसरे मित्रों को और रिश्तेदारों को बांटी जाय। तो मैं सिद्धान्ततः इस नियुक्ति और नाम का विरोध करता हूं। मैं मानता हू कि यदि होम मिनिस्टर साहब को चेयरमेन बनाकर इस कमेटी में रखा जाय तो काम हो सकता है। मैं समझता हूं, वे धर्म में आस्था रखते हैं इसलिये वे इसमें काम करेंगे। लेकिन मैं भी तभी सहयोग दे सकता हू जब दूसरे नंबर का नाम हटाया जाय। चेअरमेन महोदय, आप ही सोचिये कि गोचर भूमि पर कब्जा करने वाले गौ निकासी रोकने के लिये बनाई गई कमेटी में रखे जाते हैं तो इससे बढ़ कर क्या दुःख की बात हो सकती है? मैं प्रस्तावकजी से निवेदन करूंगा कि वे खुद उनकी जगह अपना नाम रखें तो कोई ऐतराज नहीं होगा या वन उप-मन्त्रीजी को रखें तो ऐतराज नहीं है क्योंकि शेरगढ़ में बहुत सी जमीन यों ही पड़ी है, उसमें से यदि २०० बीघा जमीन पर कब्जा कर भी लेंगे तो कोई बात नहीं है लेकिन सादड़ी वालों का नाम रखा गया है, इसलिये मैं विरोध करता हूं।

चेयरमेन महोदय, अब मैं मूल प्रस्ताव पर आता हूं। मैं यह समझता था कि राजस्थान से गौ की निकासी बन्द है। इसमें क्या जरूरत है, इस प्रकार का अमेन्डमैन्ट लाने की? लेकिन अब यह मालूम हुआ कि हम कानून में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार निकासी रोकना चाहे तो कमेटी इसमें क्या करेगी? अपने लीगल एडवाइजर्स के साथ बैठकर सरकार दो चार दिन में ऐसा तरीका निकाले कि किसी तरीके से, डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली, इसको रोकने की तजवीज करे। नहीं तो एक कानून यहां मौजूद है कि यदि कोई गाय को मारेगा तो उसको सजा होगी। उसमें ही निकासी रोकने के बारे में एक और धारा डाल दी जाय। इसके लिये यह कहा जा सकता है कि इसमें लीगल डिफिकल्टीज हैं। लेकिन इसमें भी कोई तरीका निकल सकता है। यह निकासी रोकने का मामला है। इसको हर तरह से रोक सकते हैं यदि रोकने की नीयत हो तो।

सब कुछ हो सकता है पर इसको खत्ते में डालने की नीयत हो तो नहीं हो सकता।

कमेटी को मन्जूर कर लें तो दूसरी डिफिकल्टी यह आयेगी कि उस कमेटी को मिलने का मौका ही शायद कई दिनों तक नहीं आ पायेगा और फिर आयन्दा के लिये हमारी जुबान यह कह कर बन्द करदी जायगी कि कमेटी बन चुकी है। कमेटी मीट करेगी, कमेटी की रिपोर्ट आयेगी, उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर एक्स्पर्ट्स से जांच कराई जायेगी।

इसलिये मैं शम्भूसिंहजी के इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अगर माननीय गृहमन्त्रीजी और कांग्रेस पार्टी के सचेतक महोदय मेरे इस दो नं० के नाम के रिप्लेसमैन्ट की बात को मन्जूर करलें तो शायद कमेटी की बात को मैं मान लूं, पर मौजूदा पर्सोनल है उनके मैं सख्त खिलाफ हूं। जिन्होंने गौ निकासी रोकने की बात का विरोध किया है, उनको भी रख लें तो मुझे ऐतराज नहीं होगा, कम से कम उन्होंने अपनी दिल की बात तो कही है कि हम यह चाहते हैं, पर उन्होंने अन्दर से छुरी नहीं चलाई है गौ माता पर। इसलिये मैं ऐसे आदमियों को रखने का घोर विरोध करता हूं और इसलिये सदन के

[श्री मानसिंह महार]

सदस्य महोदयों से और संकेतक महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात को स्वीकार करके गौमाता को बढ़ावा देने के लिये, राजस्थान की धर्मप्राण जनता की भावना की कद्र करने के लिये इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और राजस्थान से गो माता के निकालने की बात है उनको रोकने के लिये मिल-जुल कर कोशिश करें। यही मेरा सुझाव है और आशा करूंगा कि सदन के समस्त सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय सभापति महोदय, गौ निकासी को बन्द करने के लिये जो श्री शम्भूसिंहजी ने संकल्प रखा है, उस संकल्प के संशोधन में जो श्री भटनागर का संशोधन है, उन दोनों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि दोनों ही अपने प्रान्त को गौ धन से सम्पन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। मैं भी इसी सिद्धान्त का व्यक्ति हूं। मैं भी चाहता हूं कि हमारा प्रान्त गो धन से समृद्ध और सम्पन्न हो।

मुझे इस समय महाभारत की एक कथा की याद आती है कि जब दुर्योधन ने यह मालूम करना चाहा कि पांडव कहां हैं, तो उन्हें पता नहीं लगा। आखिर दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गये और उनसे पूछा कि पितामह, यह बताओ कि पांडव कहां हैं? भीष्म ने कहा कि यह तो मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि पाण्डव कहां हैं परन्तु मैं जितनी बातें कहता हूं, वे सब जहां हों वहीं समझो कि पाण्डव हैं। जहां धर्मराज युधिष्ठिर रहते हैं वहां गौधन की वृद्धि होती है, जहां गोधन समृद्ध हो वही देश पाण्डवों के रहने का देश है और इसी बात से दुर्योधन को पता चला था कि पाण्डव विराट के नगर में हैं। वह विराट नगर सौभाग्य से राजस्थान में ही है, आज भी राजस्थान को गोधन से समृद्धि और सम्पन्न करें, यह सर्वोत्कृष्ट बात है।

इसके अलावा देश को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न किया जाय, इस दृष्टि से भी गौधन को समृद्ध एवं सम्पन्न करना नितान्त आवश्यक है। कई ऐसा कहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से राजस्थान को गोधन से समृद्ध किया जाय और कई कहते हैं कि धार्मिक दृष्टि से राजस्थान को गौधन से समृद्ध किया जाय, मैं तो कहता हूं कि सभी दृष्टियों से; धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से—सभी दृष्टियों से गोधन को समृद्ध एवं सम्पन्न करना चाहिये आरोग्य की दृष्टि से भी गौधन को समृद्ध करना आवश्यक है।

गाय के अलावा संसार में किसी और जानवर का दूध इतना आरोग्यप्रद नहीं है जितना कि गाय का है। वैसे दूध भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, पर गाय का दूध जितना आरोग्यप्रद सिद्ध हुआ है उतना किसी और जानवर का नहीं हुआ है। केवल इस दृष्टि से कि गाय का दूध अच्छा है और गाय दूध देती है, इसलिये उसकी रक्षा करनी चाहिये, मैं इतने पर ही निर्भर नहीं रहता। अगर यह मानेंगे कि गाय दूध देती है इसलिये इसकी रक्षा की जानी चाहिये, तो जो गायें ६ महीनों तक दूध नहीं देतीं उनके बाहर जाने की आज्ञा हो सकती है। गाय प्रसवकाल में दो तीन महीने पहले से ही दूध देना बन्द कर देती हैं, कुछ गायें अधिक समय से ब्याती हैं। तो दूध देती हैं इसलिये गायों की रक्षा करनी चाहिये और फिर निकाल देना चाहिये, इसके माने तो यह होंगे कि जब तक मां युवती है और घर का कामकाज करती है तब तक आदरणीय है, जब वृद्ध हो जाय तो उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिये क्योंकि हमारा तो अर्थ से सम्बन्ध है, धर्म से सम्बन्ध नहीं। इसी प्रकार धर्मपत्नियों और पतियों के लिये भी हो

सकता है कि जब तक धर्मपत्नी युवती है तब तक रखा जाय, फिर घर से निकाल दिया जाय तो हर बात केवल अर्थ को दृष्टि से योग्य, सम्पन्न और उपादेय है, यह बात नहीं कही जा सकती। जो धर्म नियन्त्रित आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त हो वही हमें मानना चाहिये।

गाय के लिये कह सकते हैं कि जितने और पशु हैं उनकी अपेक्षा अधिक आर्थिक महत्व यह है कि उसके बच्चे, बैल जितने कीमती होते हैं वैसे किसी पशु के बच्चे उतने उपयोगी और कीमती नहीं होते। बैल सवारी के काम में आता है, बोझा ढोने के काम में आता है, खेती करने के काम में आता है, इसका गोबर खाद के काम में आता है और कोई भी काम लेंगे तो बैल उसके काम में आता है। तो अच्छी संतान उत्पन्न करने की दृष्टि से भी गाय का बहुत अधिक महत्व है। आरोग्य की दृष्टि से भी गाय का बहुत अधिक महत्व है, सहिष्णुता और कम खर्च की दृष्टि से भी गाय का अधिक महत्व है। केवल आर्थिक दृष्टि से गाय का महत्व हो, यह बात मैं नहीं मानता धार्मिक दृष्टि से भी गाय का महत्व है। तो धार्मिक दृष्टि से भी कह सकते हैं कि गौ निकासी बन्द कर दी जाय। गाय ही एक ऐसा पशु है जिसे कामधेनु शब्द से सम्बोधित किया जाता है। कामधेनु का मतलब है काम को पूर्ण करने वाली, कोई भी कामना हो गाय ही ऐसा पशु है जो उसे पूर्ण करती है।

इसके लिए मैं यह कहता हूं कि मैं इस संशोधन में इसलिए विश्वास नहीं करता कि यह संशोधन तो केवल समय को लम्बा करने के लिये हो सकता है। हो सकता है कि माननीय सदस्य की भावना अच्छी हो, पर ऐसे कामों में कमेटी नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है, इसको तो फौरन रोक लगाई जा सकती है और राजस्थान गवर्नमेन्ट इसके लिये यशस्विनि हो सकती है। इसके लिये कमेटी मुकर्रर करने की और उसकी रिपोर्ट की इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह रोक तो तत्काल लगाई जानी चाहिये।

श्री भोपालसिंह—माननीय सभापति महोदय,....

एक माननीय सदस्य—माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—श्री भोपालसिंह।

श्री रामकिशोर व्यास—यह आप खोल दीजिये कि डिबेट को कन्टिन्यू रखना है तो और बात है, आज खत्म करना हो तो मैं जवाब दे दूं, इसके बाद मत ले लिये जायें।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—माननीय सदस्य जिस प्रकार से इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि इस संकल्प को पास करने के बजाय टॉक आउट कराना चाहते हैं। यदि यह इच्छा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वाद-विवाद करते रहें। वर्ना यह ठीक रहेगा, जैसा कि सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया है कि जवाब देने के बाद मत ले लिये जायें।

राज श्री हिम्मतसिंह—यही हम चाहते हैं कि मत ले लिये जायें।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—चेयरमेन महोदय, जो संकल्प रखा गया है उसका अभिप्राय यही है कि राजस्थान सरकार गो निकासी बन्द करे। इस संकल्प में जो सिद्धांत हैं वह राजस्थान सरकार को मंजूर हैं। राजस्थान सरकार की हमेशा यही नीति रही है कि पशु जो हमारे देश के धन हैं उनका धन्धा विकसित हो ओर समय समय पर इस बात पर गवर्नमेन्ट ने अपनी नीति स्पष्ट सदन के सामने बताई और जानकारी आपके सामने रखी। मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि गो निकासी बन्द होनी चाहिये।

(हिअर, हिअर)

मगर किस तरह से हमारे ध्येय की पूर्ति हो इस बात को देखना है। इसके दो रूप हैं। जैसा मैंने पहले कहा था एक तो अन्तर्प्रान्तीय और एक भारत से बाहर जाने की बात है। जहां तक भारत से बाहर जाने की बात है उसके लिये तो लैण्ड कस्टम एक्ट है, उससे इसको रोका जा सकता है और जहां तक अंतर्प्रान्तीय रोक का प्रश्न है वहां हमारे पास कस्टम एक्ट जो पहले था उसकी एक धारा मौजूद है, उसके अनुसार हम गो निकासी को अभी तक रोकते रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कई प्रकार की आपत्तियें आती हैं, हमारे सामने कि इस प्रकार से रोकना कहां तक वैधानिक है? हमारा ऐसा मानना है कि कस्टम एक्ट के कुछ प्रोविजनों को सुपरसीड किया गया है, बाकी चलते हैं और गो निकासी का जो क्लॉज उस एक्ट में था वह कायम है। इसलिये उस क्लॉज की तहत में रोका जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सी बातें विचारणीय हैं। विधान के अनुसार इस प्रकार कि आया कोई रोक लगाई जा सकती है या नहीं, आया एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने के लिये रोक लगाई जा सकती है या नहीं, आया यह नियम के अनुकूल है या प्रतिकूल? पहले तो कस्टम एक्ट पूरा का पूरा हमारे यहां पर लागू था लेकिन अब उस कस्टम एक्ट की एक ही धारा है जिसके अनुसार कार्य करते हैं। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आया हम नये कानून इस संबंध में बना सकते हैं और कानूनी स्थिति जिस प्रकार से है, जो कानून पहले से चले आ रहे हैं उनको जारी किया जा सकता है, नये कानून इस प्रकार के जिसके द्वारा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में जाने से रोक लगाई जा सकती है, यह सब विचार करने की बात है। इन बातों पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव को किस तरह से अमल में लाया जावे इसके लिये श्री भटनागर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसके लिये एक समिति बना दी जाय तो मैं समझता हूं कि किसी को इसमें आपत्ति नहीं होगी। रिजोल्यूशन में एक व्यक्ति के बारे में आपत्ति है। मगर मैं यह कहूंगा कि वह आपत्ति नहीं होनी चाहिये। कुछ भाइयों को वर्तमान कमेटी जो कायम करने के लिये प्रस्ताव आया है वह मंजूर नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि सरकार इसको कमेटी मुकर्रर करके लंबा करना चाहती है। मगर मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेन्ट यह नहीं चाहती कि गो निकासी बन्द न हो इसलिये यह बात सोची है। मैं यह कहूंगा कि आपको हर चीज इस नुक्ते निगाह से नहीं सोचनी चाहिये कि इलेक्शन होने वाले हैं इसलिये कांग्रेस की तरफ से जो बात आई है वह कुछ न कुछ गड़बड़ है। जो कांग्रेस की तरफ से इसको कार्यान्वित करने के लिये सुझाव आता है तो महज इस नीयत से इसकी मुखालफत की जाती है कि इसको कांग्रेस वालों ने रखा है, न मालूम किस नीयत से रखा है इसलिये आपको शक होता है कि न मालूम इसके पीछे क्या बात छुपी होगी। मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें खराबी की बात क्या है? आप यही समझते हैं कि अवश्य कांग्रेस

[श्री रामकिशोर व्यास]

ने इसको रखा है इसलिये कोई खराबी की बात होगी या कोई अवश्य ही चालाकी होगी। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव श्री मोहन लाल जी ने रखा है उसकी भावना यह है कि गौ निकासी बन्द हो। मगर जिस जरिये से गौ निकासी बन्द हो, इस पर विचार करने के लिये समिति है, कानूनी समस्या हो उस पर विचार करने की बात हो। अगर हम अभी यह निर्णय ले लें और इस रूप में जो प्रस्ताव आया है उसको मंजूर कर भी लें तो आगे चल कर वह समस्या बन सकती है, तो यह एक विचार का विषय रह जाता है कि कानून इसके लिये कोई बना सकते हैं या नहीं। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं कि सरकार ने खुद ने कानून बना दिया, हमको अपने विचार प्रकट करने का मौका नहीं दिया। यदि हम कानून के विशेषज्ञों से जानकारी लें और मान लें कि उनका ऐसा निर्णय आ जावे कि ऐसा कानून नहीं बना सकते तो आप ही कहेंगे कि हमको आपने शरीक नहीं किया। हमको शामिल करना सरकार वास्तव में चाहती नहीं। मतलब यह कि चित भी हमारी और पुट भी हमारी; गवर्नमेन्ट चाहती है इसलिये यह कमेटी बनाई है और आप कहते हैं कि जरूरत नहीं है समिति की। जब हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो आपको शंका होती है, यह नीति आपकी ठीक नहीं है। आपको हर चीज के मेरिट पर सोचना चाहिये। यह कमेटी के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है वह आपको मंजूर करना चाहिये। जैसा मैंने कहा कि हम कानून की तहत में काम कर रहे हैं इसलिये इस मामले में देरी करके लंबा करने की कोई बात नहीं है। इस कमेटी के बनाने से आज जो कानून चल रहा है उसको बन्द नहीं किया जा रहा है, कस्टम एक्ट की दफा रोकी नहीं जा रही है। यह कमेटी इसलिये बनाई गई है कि इसके आगे हम इसके लिये क्या सोच सकते हैं? यह मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि यह मौजूदा कानून को बन्द करने की बात नहीं है। हम उस दफा के माफिक कार्यवाही करते रहे हैं और करते रहेंगे। कमेटी बनाई जानी चाहिये जिससे इस पर पूरी तरह से विचार हो सकेगा। इसमें सदन के किसी भी सदस्य को ऐतराज नहीं होना चाहिये।

अब ऐतराज यह है कि इसमें तीन मंत्री क्यों रखे गये? उसके लिये मैं यह कहूंगा कि इसमें तीन मंत्रियों का संबंध आता है इसलिये तीन मंत्रियों को रखा गया है। कृषि का संबन्ध है इसलिये कृषि मंत्री को रखा गया है और कस्टम से संबन्ध है इसलिये पृथक् राजस्व मंत्री को रखा गया है और लॉ से संबन्ध है इसलिये लॉ मंत्री को इसमें रखा गया है और इसके अलावा इनको रखने का कोई दूसरा कारण नहीं है। अब यह कहा गया है कि कोई मिनिस्टर उदयपुर चला जावेगा दौरे में और काम रुक जाएगा तो मैं यह कहूंगा कि कोरम पूरा होगा तो काम चलेगा। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार करें। इसकी पूरी जांच हो जावे और फिर यह कहने का किसी को मौका नहीं मिले कि कोई कोताई रह गई। इस पर कमेटी में पूरी तरह से विचार किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि आपके प्रस्ताव का मकसद इसमें आ जाता है। आपने अपने प्रस्ताव में यही रखा है कि गौ निकासी बन्द होनी चाहिये और आपके सिद्धान्त को हमने स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि इस कमेटी में इस पर अच्छी तरह से विचार होगा, आप भी इसमें शामिल हैं तथा और और भी इस मामले में दिलचस्पी रखनेवाले लोग शामिल हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

Page No 105

श्री सभापति—आपको इनका संशोधन मंजूर है या नहीं ?

श्री शंभुसिंह—मुझे मंजूर नहीं है । मुझे कुछ जबाब देना है ।

श्री सभापति—मामला स्पष्ट है । जबाब की कोई जरूरत नहीं है ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधित संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधित संकल्प स्वीकार किया गया ।

(विराम)

Now we adjourn for tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५-० बजे मध्यान्होत्तर पर दिनांक २५ अक्टूबर, १९५६ के मध्यान्हपूर्व ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक—२४ अक्तूबर, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न--

१. (२०।एम. एल. एस.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., (विभाजन संख्या ८७)--क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(क) १ जनवरी, १९५६ के बाद जयपुर जिले के किन २ कम्पाउंडर्स का तबादला अन्य जिलों में किया गया और अन्य जिलों से किन २ कम्पाउन्डर्स को जयपुर जिले में भेजा गया ?

(ख) उक्त कम्पाउन्डर्स को कितना २ वेतन मिलता है ?

(ग) ऐसे कौन २ से कम्पाउंडर्स हैं जिनका ट्रान्सफर जयपुर जिले के बाहर नहीं करने के आदेश स्वायत्त शासन मंत्री के होते हुये भी उनके ट्रान्सफर जिले के बाहिर किये गये हैं।

(घ) उक्त ट्रान्सफर के क्या क्या कारण हैं ?

उत्तर--

१. निम्न कम्पाउन्डर्स का तबादला जयपुर जिले से अन्य जिलों में १ जनवरी सन् १९५६ के बाद किया गया:--

(क) कम्पाउन्डर विशनगोपाल, फोर्थ ग्रेड मौजमाबाद से झालावाड ।

(ख) कम्पाउन्डर गंगानारायण, थर्ड ग्रेड वाई. एन. होस्पीटल किशनगढ से मुकन्दगढ ।

(ग) कम्पाउन्डर मनोहर लाल, ग्रेड थर्ड बैराठ से नगर ।

कम्पाउन्डर विशनगोपाल का तबादला उसकी इच्छा पर उसके जिले में झालावाड किया गया और गंगानारायण जिसका तबादला नदबई जिला भरतपुर से हुआ था बाद में उसकी प्रार्थना पर सीकर जिले में हुआ ?

२. निम्न कम्पाउन्डर्स का तबादला अन्य जिलों से जयपुर जिले में हुआ:--

(अ) कं० राधाकृष्ण, ग्रेड फोर्थ झालावाड से मौजमाबाद ।

(ब) कं० बहादुरसिंह, ग्रेड थर्ड मुकन्दगढ से दौसा ।

(स) कं० मुकुट लाल, ग्रेड थर्ड नगर से बैराठ ।

कं० राधाकृष्ण का तबादला डी. एम. एच. ओ. झालावाड की सिफारिश पर कं० विष्णुगोपाल को उसके जिले में भेजने के कारण किया गया और अन्य २ कम्पाउन्डरों का तबादला अन्य जिलों से उनके जिले के अन्दर किया गया ।

३. थर्ड ग्रेड कम्पाउन्डर को १०५ रु० मासिक व फोर्थ ग्रेड कम्पाउन्डर्स को ६० रु० मासिक मिलता है।

४. ऐसा कोई भी तबादला नहीं हुआ है।

५. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

प्रश्न—

२. (६६ एम. एल. एम.,) श्री रामरतन कोचर, एम. एल ए. (विभाजन संख्या ६६)—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल होस्पीटल के मर्दाना, जनाना व अन्य विभागों में १९४८ से लेकर अब तक प्रति साल आउट डोर, इन्डोर, ऑपरेशन, एक्स-रे कराने वाले मरीजों की कितनी २ संख्या रही है ?

(ख) उक्त अस्पताल पर सन् १९४८ से लेकर आज तक प्रति साल कितना रुपया वेतन, दवाओं, खुराक पर खर्च हुआ है ?

(ग) गंगा शहर व नापासर में दवाओं पर १९५१ से लेकर अबतक प्रति साल कितनी धन राशि व्यय हो रही है ?

(घ) क्या दवाओं के खर्चे में पहले के मुकाबले में कोई कमी हुई है ?

उत्तर—

(क) इस सम्बन्ध में सूची संलग्न है।

(ख) जी हाँ।

Statement of indoor (major) out door (minor) Operations performed in P.B.M. Man's Hospital, Bikaner, from 1948 to 1955.

OPERATION

Year	*Major*	*Minor*	*Total*
1948	2305	7006	9311
1949	2296	7116	9412
1950	2371	6647	9018
1951	2151	7281	9432
1952	2040	7522	9562
1953	1878	9372	11250
1954	1914	9154	11068
1955	2086	10630	12716

Statement of indoor (major) outdoor (minor) operations performed in P.B.M. Women's Hospital, Bikaner, from 1948 to 1955.

Year	*Major*	*Minor*	*Total*
1948	198	3094	3292
1949	235	5086	5321
1950	237	2045	2312
1951	498	2194	2692
1952	720	1680	2400
1953	415	6180	6595
1954	329	2218	2547
1955	466	3456	3922

Statement of Patients treated in the X-Ray Department, Bikaner from 1948 to 1955

Year	*Number*
1948	4,403
1949	4,326
1950	4,603
1951	4,689
1952	4,804
1953	6,878
1954	7,670
1955	7,711

Statement of operations performed in G.G.J.T.B. Hospital, Bikaner, from 1948 to 1955.

OPERATION.

Year	*Major*	*Minor*
1948	..	6198
1949	..	5185
1950	..	5675
1951	..	5386
1952	..	6675
1953	..	4848
1954	..	4059
1955	..	3430

Statement showing expenditure in P.B.M. Men's Hospital, Bikaner

	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56
Pay	1,60,861	1,64,844	3,40,503	3,10,251/8/-	3,42,372	3,88,103	4,69,894	4,95,770
Drugs and Medicines ..	1,60,424	1,13,100	83,595	1,50,950	90,950	95,935	99,702	1,00,700
Diet	88,752	80,000	78,666	90,000	75,000	74,975	79,783	69,490
TOTAL ..	4,10,037	3,75,944	5,02,764	5,51,201/8/-	5,08,321	5,59,013	6,94,379	6,65,960

In P.B.M. Women's Hospital, Bikaner.

	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56
Pay	1,17,392	1,31,564	1,48,513	1,19,267	1,40,700	1,49,336	1,73,970	1,97,939
Drugs and Medicines ..	69,356	41,000	35,384	41,000	30,000	29,988	29,968	29,983
Diet	46,490	30,000	30,000	30,000	31,000	34,736	58,503	43,492
TOTAL ..	2,33,238	2,02,564	2,13,897	1,90,267	2,01,700	2,14,060	2,62,441	2,71,414

Statement showing the Expenditure of Drugs and Medicines in Napasar and Gangashar Dispensary

Name of Dispensaries	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	1956-57	REMARKS
1. Gangashar	2,350/-	2,350/-	2,400/-	2,400/-	1,800/-	1,500/-	
2. Napasar	900/-	900/-	900/-	900/-	1,055/-	1,055/-	

Comparative statement showing the sanctioned grant and actual expenditure of P.B.M. Men's Hospital and P.B.M. Women's Hospital, Bikaner in respect of Drugs and Diet from 1950-51 to 1956-57.

P.B.M. MEN'S HOSPITAL, BIKANER.

Year	Drugs and Medicines		Diet	
	Sanctioned grant	Actual expenditure	Sanctioned grant	Actual expenditure
1950-51	1,05,950/-	83,595/-	90,000/-	78,666/-
1951-52	90,950/-	1,50,950/-	75,000/-	90,000/-
1952-53	90,950/-	90,950/-	75,000/-	75,000/-
1953-54	90,950/-	95,935/-	75,000/-	74,975/-
1954-55	1,00,000/-	99,702/-	80,000/-	79,783/-
1955-56	1,00,000/-	1,00,700/-	80,000/-	69,490/-
1956-57			80,000/-	
P.B.M. WOMEN'S HOSPITAL				
1950-51	33,800/-	35,384/-	30,000/-	30,000/-
1951-52	51,000/-	41,000/-	30 000/-	30,000/-
1952-53	30,000/-	30,000/-	21,000/-	31,000/- *
1953-54	30,000/-	29,988/-	21,000/-	34,736/- *
1954-55	30,000/-	29,968/-	21,000/-	58,503/- *
1955-56	30,000/-	29,983/-	23,000/-	43,492/- *
1956-57	30,000/-	..	35,000/-	.. *

* Extra grants sanctioned from the savings of other hospitals to meet the liabilities.

शुद्धि-पत्र

कार्य-विवरण दिनांक २४ अक्टूबर, १६५६

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१०६१	शीर्ष व शीर्षक	१६५६	१६५२
१०६१	१४	श्री भैरू सिंह	श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)
११००	शीर्ष के नीचे २	श्री मरू सिंह	श्री भैरू सिंह